पंचम माला, खंड 64, अंक 15, मंगलवार, 31 अगस्त, 1976/9 भाद्र, 1898 (शक)

Fifth Series, Vol. LXIV, No. 15, Tuesday, August 31, 1976/Bhadra 9, 1898 (Saka)

PARLIAMENT...
Acc. No ... 276 (1)

लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित, संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

सत्रहवां सत्र

Seventeenth Session

5th Lok Sabha

खंड 64 में अंक 11 से 17 तक हैं

Vol. LXIV contains Nos. 11 to 17

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi]

विषय सूची/Contents

अंक 15, मंगलवार, 31 अगस्त, 1976/भाद्र 9, 1898 (शक)

No. 15, Tuesday, August 31, 1976/Bhadra 9, 1898 (Saka)

विषय	SUBJECT	PAGES
निधन सम्बन्धी उल्लेख	Obituary Reference	1-2
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	**Oral Answers to Questions—**	
तारांकित प्रश्न संख्या 282, 283, 285 से 290, 292 और 293	Starred Questions Nos. 282, 283, 285 to 290, 292 and 293	2—17
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	**Written Answers to Questions—**	
तारांकित प्रश्न संख्या 284, 291 और 294 से 302	Starred Questions Nos. 284, 291 and 294 to 302	17—22
अतारांकित प्रश्न संख्या 2064 से 2183	Unstarred Questions Nos. 2064 to 2183	22—86
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table . . .	87—94
राज्य सभा से संदेश—	Messages from Rajya Sabha—	
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	Code of Criminal Procedure (Amendment) Bill As passed by Rajya Sabha . .	94-95
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति—	Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes —	
अध्ययन दौरों आदि के प्रतिवेदन	Reports of Study Tours, etc. . .	94
लोक लेखा समिति-	Public Accounts Committee—	
227वां और 230वां प्रतिवेदन	Two hundred and twenty-seventh and two hundred and thirtieth Report. . .	95-96
विशेषाधिकार समिति—	Committee of Privileges—	
19वां और 20वां प्रतिवेदन	Nineteenth and Twnentieth Reports .	96

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The sign + marked above the name of a Member indicated that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	PAGES
सभा की बठको से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति--	Committee on Absence of Members from the Sittings of the House—	
(एक) 30वां प्रतिवेदन	(I) Thirtieth Report	96
(दो) कार्यवाही सारांश	(II) Minutes	96
संसद् सदस्यों के वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक--पुरःस्थापित	Salaries and Allowances of Members of Parliament (Amendment) Bill—Introduced	96—98
केरल विधान सभा (कालावधि का विस्तार) दूसरा संशोधन विधेयक--	Kerala Legislative Assembly (Extension of Duration) Second Amendment Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव--	Motion to consider—	
श्री बी० आर० शुक्ल	Shri B.R. Shukla	98-99
श्री एन० श्रीकान्तन नायर	Shri N. Sreekantan Nair . . .	99
श्री जी० विश्वनाथन्	Shri G. Viswanathan	100
श्री सी० एच० मोहम्मद कोया	Shri C.H.Mohamed Koya . .	100
डा० वी० ए० सैयद मुहम्मद	Dr. V.A. Seyid Muhammad . .	100-101
खण्ड 2 और 1	Clauses 2 and 1	101
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass	101
डा० वी० ए० सैयद मुहम्मद	Dr. V.A. Seyid Muhammad . . .	101
केन्द्रीय विक्रय कर (संशोधन) विधेयक	Central Sales Tax (Amendment) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider	102—122
श्री प्रणव कुमार मुखर्जी	Shri Pranab Kumar Mukherjee	102-103, 116-117
श्री सी० एच० मोहम्मद कोया	Shri C.H. Mohamed Koya . .	104
श्री सी० एम० स्टीफन	Shri C.M. Stephen	105-106
श्री दिनेश जोरदार	Shri Dinesh Joarder	106-107
श्री हरी सिंह	Shri Hari Singh	107
श्री डी० के० पंडा	Shri D.K. Panda	107-108
श्री डी० एन० तिवारी	Shri D.N. Tiwary	108-109
श्री एन० श्रीकान्तन नायर	Shri N. Sreekantan Nair . . .	109
सरदार स्वर्ण सिंह सोखी	Sardar Swaran Singh Sokhi . .	109-110
श्री वाई० एस० महाजन	Shri Y.S. Mahajan	110-111
श्री राजा कुलकर्णी	Shri Raja Kulkarni . . .	111
श्री वयालार रवि	Shri Vayalar Ravi	111-112
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन्	Shri K.P. Unnikrishnan . . .	112-113

विषय	SUBJECT	PAGES
डा० कैलास	Dr. Kailas	113
श्री शिवाजी राव एस० देशमुख	Shri Shivaji Rao S. Deshmukh . .	113—114
डा० हेनरी आस्टिन	Dr. Henry Austin	114
श्री मूल चन्द डागा	Shri M. C. Daga	114
श्री वसंत साठे	Shri Vasant Sathe	114—115
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee . . .	115—116
खण्ड 2 से 9 और 1	Clauses 2 to 9 and 1	118
पारित करने का प्रस्ताव, संशोधित रूप में	Motion to pass, as amended . . .	120
श्री प्रणब कुमार मुखर्जी	Shri Pranab Kumar Mukherjee .	119—122
गुजरात राज्य के सम्बन्ध में जारी की गई उद्घोषणा को लागू रखने के बारे में सांविधिक संकल्प	Statutory Resolution *re.* Continuation in force of proclamation in relation to the State of Gujarat.—	
श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी	Shri K. Brahmananda Reddy . .	123—124
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	Shri Krishna Chandra Halder . .	124—125
श्री नटवर लाल पटेल	Shri Natwarlal Patel	125

लोक सभा

LOR SABHA

मंगलवार, 31 अगस्त, 1976/9 भाद्र. 1898 (शक)

Tuesday, August 31, 1976|Bhadra 9, 1898(Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

MR. SPEAKER *in che Chair*

निधन सम्बन्धी उल्लेख

OBITUARY REFERENCE

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, मुझे प्रसिद्ध कवि काजी नजरुल इस्लाम के दु:खद निधन की सूचना सभा को देनी है। काजी जी 77 वर्ष की आयुमें 29 अगस्त, 1976 को ढाका में स्वर्गवास हो गये।

उनका जन्म पश्चिम बंगाल के बर्दवान जिले के चुरलिया गांव में हुआ था। छोटी अवस्था में ही उन्होंने फारसी, संस्कृत और उर्दू में योग्यता प्राप्त कर ली और लोकगीत लिखने लगे। काजी नजरुल इस्लाम में क्रान्तिकारी विचार और देश की आजादी की भावना कूट-कूट कर भरी थी। वह सन् 1920 तक 49 वीं बंगाली रेजीमेंट में भी रहे। बाद में उन्होंने सारा जीवन साहित्यिक गतिविधियों में लगा दिया और कई छोटी कहानियां, नाटक और उपन्यासों की रचना की जिनमें उनके क्रान्तिकारी विचारों की स्पष्ट झलक है। कुछ समय तक उन्होंने एक बंगाली दैनिक 'नवयुग' और 'सेवक' का भी सम्पादन किया। बाद में उन्होंने 'धूमकेतु' नाम से एक साप्ताहिक पत्र निकाला।

काजी नजरुल इस्लाम ने एक हिन्दू विदूषी विवाह कर उसे अपना धर्मत्यागने को कभी नहीं कहा। वह काली माता के पुजारी थे। उन्होंने 'लेबरस्वराज पार्टी' के गठन में भी योगदान दिया जिसे बाद में 'वर्कर्स एंड पीजेंट्स पार्टी' के नाम से जाना जाने लगा।

काजी नजरुल इस्लाम अपने समय के महान कवि थे जिन्होंने जोश भरे गीत लिख कर एक नई चेतना फूंक दी।

हम इस महान कवि की मृत्यु पर गहरा दु:ख प्रकट करते हैं। उनके लेख और गीत उनके नाम को अमर बनाये रखेंगे। मुझे विश्वास है कि संतप्त परिवार के प्रति समवेदना व्यक्त करने में सभा मेरे साथ है।

अब सभा दुःख प्रकट करने के लिए थोड़ी देर मौन खड़ी हो।

तत्पश्चात् सदस्य कुछ देर मौन खड़े रहे।

The members then stood in silence for a short while

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

साधारण निर्वाचन कराने के बारे में निर्णय

*282. **श्री एम० कल्याणसुन्दरम :**

श्री सोमनाथ चटर्जी :

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने वर्ष 1977 में साधारण निर्वाचन कराने का निर्णय कर लिया है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : 1977 में होने वाले साधारण निर्वाचनों के कराये जाने के बारे में सरकार ने अभी तक कोई निर्णय नहीं किया है।

श्री एम० कल्याणसुरन्दरम : उत्तर से स्पष्ट है कि साधारण निर्वाचन 1977 में होने हैं। समाचारों के अनुसार विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री ने दूसरे सदन में कहा है कि निर्वाचन स्थगित नहीं किये जायेंगे। क्या मंत्री जी इस सभा को विश्वास में लेकर बतायेंगे कि निर्वाचन यथाशीघ्र कराये जायेंगे?

श्री एच० आर० गोखले : माननीय सदस्य के अनुसार उत्तर से स्पष्ट झलकता है कि निर्वाचन 1977 में किये जाने हैं। लेकिन यह तो संवैधानिक उपबंध है। जहां तक मेरे सहयोगी डा० सैय्यद मुहम्मद द्वारा वक्तव्य देने का सम्बन्ध है, उन्होंने यह नहीं कहा कि निर्वाचन स्थगित नहीं किये जायेंगे। उन्होंने कहा है कि निर्वाचन शीघ्र ही कराये जायेंगे। कई बार ऐसे सीधे-सादे वक्तव्य का भी कुछ और अर्थ देश में अवांछित तत्वों द्वारा लगा लिया जाता है। मेरे सहयोगी ने किसी प्रकार का वचन नहीं दिया है।

श्री एम० कल्याणसुन्दरम : अब मंत्री जी अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए बच निकल जाना चाहते हैं। मेरे विचार से मूल उत्तर में एक प्रकार का वचन दिया गया था। क्या नियत तारीख को होने वाले निर्वाचन को स्थगित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

श्री एच० आर० गोखले : इस समय निर्वाचन कराने या स्थगित करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या मैं मंत्री जी से पूछ सकता हूं कि निर्वाचन कराने का सम्बन्ध आपात स्थिति से है। यदि आपात स्थिति रहती है तो क्या निर्वाचन बाद में कराये जायेंगे। मुझे पता है कि यह प्रधान मंत्री का विशेषाधिकार है लेकिन क्या यह आपात स्थिति जारी रहने या न रहने पर निर्भर करेगा?

श्री एच० आर० गोखले : निर्वाचन कराने या न कराने सम्बन्धी निर्णय लेते समय बहुत सी बातों पर विचार किया जाता है। सदस्य महोदय को पता होगा कि आपात स्थिति रहते हुए भी पहले निर्वाचन कराये गये हैं। आपात स्थिति का लागू होना केवल एक कारण हो सकता है।

पर्वतीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में रेल लाइनें

*283. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विकास के उद्देश्य से देश के पर्वतीय, पिछड़े क्षेत्रों और रेल सम्पर्क विहीन क्षेत्रों में रेल लाइनें बिछाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख). दो विवरण सभा पटल पर रख दिये गये हैं जिनमें से एक में नयी लाइनें/पुनः बिछायी जाने वाली लाइनें, जो फिलहाल निर्माणाधीन हैं अथवा जिनके निर्माण के लिए अनुमोदन कर दिया गया है का उल्लेख किया गया है। [**ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए** संख्या एल०टी०-11312/76] दूसरे में, विभिन्न राज्यों में नयी लाइनें बिछाने के लिए किये जा रहे सर्वेक्षण कार्य दिखाये गये हैं। ये सभी लाइनें पिछड़े क्षेत्रों में और कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित हैं।

Shri Sukhdev Prasad Verma: Sir. May I know from the hon'ble Minister the criterion for surveying a particualr area? Whether the Railways . Deptt. itself surveys the areas to find out if the backward or hilly areas or this infomation is supplied by the State Government?

Secondly I want clarification about the Gaya-Rajgir line. Will it be taken up during 1976-77?

Thirdly I want to know whether there is any proposal under consideration of the Government to construct Gaya-Sonnagar line because Sirghati-Imamganj, Domaria in Gaya district of Bihar are backward and hilly areas and there is no pucca road leading to Domaria? Whether the State Government have received any representation from the residents of that area in this regard?

Shri Boota Singh: We receive information from the State Governments regarding the backwardness of a particular area. The Planning Commission also possesses this type of information.

Regarding the second question of Gaya-Rajgir line are going to take up field study shortly. After that survey will be undertaken. Only then we can say about the feasibility of constructing that railway line.

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मंत्री जी के वक्तव्य की पहली सूची में मद संख्या 5 में लिखा है 'हाल्दिया बन्दरगाह रेल मार्ग। लेकिन दूसरी सूची में मेजिया के बारे में कोई उल्लेख नहीं। भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण ने वहां कोयले के बड़े भंडार होने की बात कही है। यह पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। क्या हाल्दिया बन्दरगाह को बांकुरा और मेजिया के रास्ते रानीगंज से मिलाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

श्री बूटा सिंह : जैसा कि प्रथम सूची में दिया गया है पश्चिम बंगाल में हाल्दिया तक रेल लाइन बिछाने का कार्य पिछड़े क्षेत्र में लाइन बिछाने के रूप में लिया गयाथा। लेकिन दुर्भाग्य से रेलवे के पास इतनी निधि भी नहीं है कि पहले आरम्भ किये गये कार्यों को भी पूरा किया जा सके।

श्री सैय्यद अहमद आगा : मैं जानना चाहता हूं कि सरकार काश्मीर घाटी की अवहेलना क्यों कर रही है ? हम रेल लाइन के अभाव में वहां कोई उद्योग स्थापित नहीं कर सकते और देश के शेष भाग से उसे पूरी तरह नहीं मिला सकते। अंग्रेजों के जमाने में रियासी के रास्ते रेल लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण किया गया था। अब उस बारे में क्या किया जा रहा है। इसमें केवल 8 मील लम्बी सुरंग बनायी जानी है। आप इस बारे में क्या कर रहे हैं ?

श्री बूटा सिंह : मैं सदस्य महोदय से सहमत हूं कि श्रीनगर घाटी को देश के शेष भाग से मिलाने के लिए रेल लाइन का बहुत महत्व है। इसीलिए पिछड़े क्षेत्रों की सूची में जम्मू और उधमपुर को मिलाने का प्रस्ताव है। यह लाइन 56.10 कि०मी० लम्बी है और उस पर 40.65 करोड़ रुपये लागत आने का अनुमान है। निधि उपलब्ध हो तो हम रेल लाइन के निर्माण के लिए सदस्य महोदय से अधिक इच्छुक हैं।

अध्यक्ष महोदय : बहुत से सदस्य खड़े हो रहे हैं। मैं समझता हूं कि प्रश्नकाल में इसे पूरा नहीं किया जा सकेगा। मेरा सुझाव है कि मंत्री जो उन सदस्यों से, जो प्रश्न पूछना चाहते हैं, इस विषय पर चर्चा कर लें।

रेल मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी) : आपके अनुदेशों का पालन किया जायेगा। लेकिन मैं यह बताना चाहता हूं कि सालाहकार समिति में ये सभी प्रश्न पूछे गये थे और उनके उत्तर दे दिये गये थे।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य आप सब को बुलाने के लिए सहमत हो गये हैं।

श्री दीनेन भट्टाचार्य : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। मद संख्या 18 से 20 सूची में बहुत दिनों से पड़ी हैं। कई बार आश्वासन दिये गये। लेकिन कुछ नहीं हुआ।

श्री दरबारा सिंह मंत्री जी को चाहिए कि पिछड़े क्षेत्रों के सदस्यों को बुलाकर उनसे इन प्रश्नों पर चर्चा कर ली जाये।

अध्यक्ष महोदय : जो माननीय सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं तथा इस विषय पर चर्चा करना चाहते हैं वह मंत्री महोदय को अपने नाम दे दें इस प्रकार इस मामले पर बेहतर ढंग से विचार हो सकेगा।

श्री कमलापति त्रिपाठी : सभी सदस्यों का स्वागत है। वह जो भी प्रश्न पूछना चाहें अथवा इस पर चर्चा करना चाह, कर सकते हैं।

कम्पनियों के लाभ का 10 प्रतिशत भाग आरक्षित निधि में डाला जाना

*285. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कम्पनियों के लाभ में से आरक्षित निधि में धन डाले जाने की राशि की सीमा 10 प्रतिशत निर्धारित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी बातें क्या हैं; और

(ग) विदेशी सहयोग से स्थापित कम्पनियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) नहीं, श्रीमान जी। जबकि कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा पुरःस्थापित धारा 205 की उप-धारा (2क) में अपेक्षित है कि कम्पनी को, किसी वित्तीय वर्ष के लिए लाभांश को घोषित करने या देने से पूर्व, उसके लाभों का 10 प्रतिशत से अनधिक जैसा निर्धारित किया जाए अपने आरक्षित में हस्तांतरित करना चाहिए। इस उप-धारा का परन्तुक, इस सम्बन्ध में बनाये गये नियमों के अनुसरण में अपने लाभों की उच्चतर प्रतिशत का आरक्षितों में स्वैच्छिक हस्तांतरण की अनुमति देता है। ये नियम केन्द्रीय सरकार द्वारा 26-7-75 को पहिले ही अधिसूचित किये जा चुके हैं और अनुवर्ती 24-7-76 को संशोधित किये गये थे। नियमों और अनुवर्ती संशोधनों को क्रमशः 6-8-1975 और 17-8-76 को सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दिया गया था।

(ख) तथा (ग) उत्पन्न नहीं होता।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है वह काफी तकनीकी है उसे समझना थोड़ा कठिन है क्योंकि उसमें काफी नियमों का उल्लेख किया गया है। मैं चाहता हूं मंत्री महोदय इस सम्बन्ध में सदन को विस्तार से बताएं उसकी व्याख्या करें 1974 के विधान अनुसार कम्पनी को लाभों का 10 प्रतिशत से अनधिक आरक्षित निधि में डालना चाहिए क्या सरकार हमें बताएगी कि किस उद्देश्य हेतु इस धन का उपयोग किया जाएगा क्या कम्पनी अपनी इच्छानुसार किसी भी उद्देश्य हेतु इसका उपयोग कर सकती है अथवा यह धन चलन में न आए इसलिए इसको रोका जाता है ?

श्री एच० आर० गोखले : मैं माननीय सदस्य की कठिनाई को समझता हूं। उन्हें कानून के उपबन्ध के बारे में पता नहीं। उनके प्रश्न से ऐसा ज्ञात होता है जैसे कि लाभों पर कोई सीमा लगी हो जबकि वस्तुतः ऐसा कुछ नहीं है पहले जब भी मुनाफा होता था तो सारा का सारा मुनाफा लाभांश के रूप में बांट दिया जाता था। विधेयक में पारित होने से पहले जो संयुक्त समिति बनाई गई उसने इस प्रश्न पर विस्तार में विचार किया गया और उसने यह राय प्रकट की कि यदि लाभ का कुछ भाग आरक्षित निधि में डाल दिया जाए तो इससे न केवल कम्पनी को ही लाभ होगा अपितु यह शेयरधारियों के भी हित में होगा।

और अब कानून में यह उपबन्ध किया गया है कि मुनाफे का लाभांश के रूप में वितरण करने से पहले उसका कुछ प्रतिशत भाग जोकि 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा आरक्षित निधि में हस्तांतरित कर दिया । आरक्षित निधि में अधिक से अधिक लाभ का 10 प्रतिशत भाग डाला जाएगा । लेकिन मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि अब नियमों के अन्तर्गत आरक्षित निधि में विभिन्न स्तरों पर हस्तांतरित की जाने वाली राशि की प्रतिशतता निर्धारित कर दी गई है । यदि प्रस्तावित लाभांश 10 प्रतिशत से अधिक है लेकिन 12.5 प्रतिशत से कम है, तो उन्हें आरक्षित निधि में कम से कम 2.5 प्रतिशत राशि अवश्य हस्तांतरित करनी पड़ेगी और यदि लाभांश 12.5 प्रतिशत से अधिक है और 15 प्रतिशत से कम है तो उन्हें 5 प्रतिशत आरक्षित निधि में हस्तान्तरित करना होगा और यदि लाभांश 15 प्रतिशत है और 20 प्रतिशत से कम है तो 7.5 प्रतिशत राशि और यदि लाभांश 20 प्रतिशत है तो उन्हें अधिकतम राशि अर्थात् 10 प्रतिशत आरक्षित निधि में हस्तांतरित करनी होगी ।

जहां तक आरक्षित निधि के उपयोग का सम्बन्ध है इसका प्रयोग विभिन्न उद्देश्यों हेतु किया जा सकता है । इसका प्रयोग आधुनिकीकरण, पुनर्वास अनुसन्धान और विकास कार्यों जैसे विभिन्न उद्देश्यों हेतु किया जा सकता है । बोनस शेयर जारी करने जैसे उचित और वैध मामलों के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : अनिवार्य जमा योजना पर चर्चा करते समय सरकार ने कहा था कि वह उद्योग को भी मुद्रास्फीति रोकने की दृष्टि से इसका बलिदान करने के लिए कह रही है । इस सन्दर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव है जिसके द्वारा वह कम्पनियों को अपने लाभ का कुछ प्रतिशत भाग उसके पास जमा कराने के लिए कह सकती हैं जैसा कि कर्मचारियों के मामले में किया जा रहा है ।

श्री एच० आर० गोखले : जी नहीं ।

डा० रानेन सेन : उत्तर में मंत्री महोदय ने कहा है कि इस आरक्षित निधि का उपयोग कम्पनियों द्वारा आधुनिकीकरण, अनुसन्धान तथा विकास कार्यों के लिए किया जा सकता है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस बात का पता लगाने के लिए कि आरक्षित निधि का प्रयोग उसी उद्देश्य हेतु किया जा रहा है जिसके लिए वह बनाई गई है सरकार के पास कोई तरीका है ? क्योंकि हमारा अनुभव यह है कि पटसन तथा सूती कपड़ा उद्योगों में आरक्षित निधि का उपयोग आधुनिकीकरण इत्यादि के लिए न करके उनका दुरूपयोग किया गया है अथवा उन्हें हड़प लिया गया है ।

श्री एच० आर० गोखले : 1974 के संशोधन अधिनियम के पारित होने से पहले हो सकता है कुछ सीमा तक ऐसा होता रहा हो लेकिन अब नए अधिनियम के अन्तर्गत पर्याप्त विनियम तथा प्रतिबन्ध हैं जिनके द्वारा इस सम्बन्ध में कम्पनी की कार्यवाहियों पर नियंत्रण रखा जा सकता है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि कम्पनियों द्वारा राजनीतिक दलों को चन्दा देने की अनुमति देने वाले प्रस्तावित कानून को ध्यान में रखते

हुए जहां तक सामान्य आरक्षित निधि के रख रखाव का सम्बन्ध है क्या कम्पनी नियमो और कम्पनी अधिनियम में मार्गदर्शी सिद्धांत फिर से निर्धारित किए जायेंगे अथवा उन पर पुनर्विचार किया जाएगा ?

श्री एच० आर० गोखले : मेरे विचार में आपका प्रश्न संगत नहीं है ।

श्री सोमनाथ : चटर्जी : चन्दा सामान्य आरक्षित निधि से दिया जाएगा ।

श्री एच० आर० गोखले : यह कोई जरूरी नहीं है चन्दा लाभ में से भी दिया जा सकता है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : लाभ का एक भाग आरक्षित निधि में डाला जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या कम्पनी (संशोधन) विधेयक पास हो गया है ।

श्री एच० आर० गोखले : अभी नहीं ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : इसे परिचालित किया गया था और यह कार्य सूची में भी था पर अब इसे आदेश पत्र से हटा दिया गया है ।

श्री एच० आर० गोखले : इसे हटाया नहीं गया है । अन्य महत्वपूर्ण अविलम्बनीय मदों के कारण यह आदेश पत्र में नहीं आया ।

अखिल भारतीय न्यायिक सेवा

*286. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **विधि न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अखिल भारतीय न्यायिक सेवा गठित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) अभी तक नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री राजदेव सिंह : मेरे प्रश्न के पहले भाग के उत्तर में कहा गया है 'अभी तक नहीं' इससे यह प्रतीत होता है कि प्रस्ताव पर अभी विचार नही हो रहा है यदि हां, तो कब तक इसके क्रियान्वित होने की सम्भावना है।

श्री एच० आर० गोखले : जब संविधान संशोधन विचारार्थ रखे जायेंगे तो सबसे पहले इस उद्देश्य हेतु संविधान में आवश्यक उपबन्ध करने के लिए सदन में इस पर चर्चा की जाएगी । यदि संसद् ने वह उपबन्ध पास कर दिया तभी अखिल भारतीय न्यायिक सेवा गठित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी ।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी । मंत्री महोदय ने न्यायाधीशों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण करने के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है फिर न्यायिक अधिकारियों के लिए अखिल भारतीय न्यायिक सेवा गठित करने में क्या कठिनाई है ?

श्री एच० आर० गोखले : मैने यह नहीं कहा कि इस सम्बन्ध में कुछ कठिनाई है ?

कीटनाशी पदार्थ बनाने वाला कारखाना

*287. **श्री एन० ई० होरो** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कीटनाशी पदार्थ बनाने वाले नये कारखाने स्थापित करने का कोई प्रस्ताव, विशेषतया पर्याप्त खपत वाले तथा पिछड़े क्षेत्रों में सरकार के विचाराधीन हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सी० पी० मांझी) : (क) और (ख) । क्योंकि कीटनाशक सूत्रयोगों की स्थापित क्षमता अधिक है इसलिए सरकार की यह नीति है कि अतिरिक्त सूत्रयोगों की क्षमता की स्वीकृति न दी जाये जब तक कि तकनीकी कीटनाशकों के निर्माण के लिए उनका कोई समयवद्ध कार्यक्रम न हो ।

पिछड़े क्षेत्रों के लिए तथा सरकारी उपक्रमों के लिए इस नीति में ढील दिये जाने के प्रश्न पर सरकार यथासमय विचार करेगी ।

श्री एन० ई० होरो : यह तथ्य सर्वाविदित है कि कीटनाशी पदार्थ उन क्षेत्रों में जहां इनकी भारी मात्रा में खपत है तथा पिछड़े क्षेत्रों में आसानी से और पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते । क्या यह सच नहीं है कि यह स्थिति फालतू क्षमता की नहीं है, जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा है, परन्तु इस कारण है कि कीटनाशी पदार्थ बनाने वाली कुछ फर्मों के निहित स्वार्थ हैं और वे इन क्षेत्रों में नये एकक खोलने को तैयार नहीं हैं । कीटनाशी पदार्थ पिछड़े क्षेत्रों में तथा उन क्षेत्रों में जहां इनकी भारी खपत है उपलब्ध कराये जाने चाहियें । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस तथ्य को देखते हुए सरकार अपनी नीति पर पुनर्विचार करेगी तथा उपयोक्ताओं और किसानों के लाभ के लिए ऐसे क्षेत्रों में नए एकक खोलने की व्यवस्था करेगी ? सरकार को इस प्रश्न पर उत्पादकों की दृष्टि से नहीं, अपितु कृषकों की दृष्टि से विचार करना चाहिए ।

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : कीटनाशी पदार्थों के आधार पर यह संभव नहीं है कि हर क्षेत्र तथा हर राज्य में कीटनाशी पदार्थों के बनाने के कारखाने स्थापित किये जायें, क्यों कारखानों की स्थापना के स्थानों का निर्णय मुख्यतया गैर सरकारी पार्टियों पर निर्भर है । परन्तु हमारी यह नीति रही है कि कीटनाशी पदार्थ आवश्यकता के अनुसार हर राज्य में उपलब्ध हों ।

श्री एन० ई० होरो : मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकारी क्षेत्र में कीटनाशी पदार्थ बनाने को प्रोत्साहन देने के प्रश्न पर पुनर्विचार किया जाएगा ? क्या वह इस पर पुनर्विचार करेंगे ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी : विचार तथा पुनर्विचार करना हमेशा हमारी नीति रही है ।

Shri Bhagat Ram Manhar: Pesticides are required in huge quantities. Where paddy is cultivated. I would like to know whether priority will be given to setting up this industry in backward areas. Bastar is between Madhya Pradesh and Andhra Pradesh. Where this industry can be located. I would like to know where there is any proposal to set up a pesticide factory in Bastar?

Shri P. C. Sethi: Definitely we are willing to set up a factory, provided the hon. Member has any such party.

डा० हेनरी आस्टिन : मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या उनके मंत्रालय को पता है कि कीटनाशी पदार्थों का पक्षियों पर कुप्रभाव पड़ता है । उदाहरण के तौर पर मेरे राज्य में तीन लाख बतखें मर गई हैं तथा इस बारे में किये गए अध्ययन से पता चला है कि उनकी मृत्यु का कारण कीटनाशी पदार्थ हैं ।

अत: क्या मंत्री महोदय नए कीटनाशी पदार्थ कारखाने खोलने से पहले अधिकारियों को यह निदेश देंगे कि कीटनाशी पदार्थों के कुप्रभाव न हो, यह अवश्य सुनिश्चित किया जाए ?

श्री पी०सी० सेठी : कीटनाशी अधिनियम 1969 से लागू है तथा इस अधिनियम के अन्तर्गत सब कीटनाशी पदार्थों की कीटनाशी बोर्ड द्वारा स्वीकृति लेनी होती है । इसलिए कीटनाशी पदार्थों को खेतों में इस्तेमाल करने से पहले उनके प्रभाव के बारे में बोर्ड की मंजुरी लेनी होती है ।

जहां तक बहुत अधिक संख्या में पक्षियों के मर जाने का प्रश्न है, यदि माननीय सदस्य मुझे विस्तृत रिपोर्ट दें, तो मैं जांच करूंगा ।

Benefit of Concessional Tickets

*288. **Shri M. S. Purty:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the names of the institutions which are getting benefit of concessional tickets in the Railways;

(b) whether recently some concession has also been offered to the people of hilly areas to visit the State Capitals; and

(c) if so, the salient features thereof?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 11313/76]

Shri M. S. Purty: I would like to know whether the benefit of Concessional tickets is also available to the groups of sportsmen and mountaineers?

Shri Mohd. Shafi Qureshi: Yes, Concession has been available to sportsmen and athelets since long and the same is still available.

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : विवरण से ऐसा प्रतीत होता है कि ये रियायत बड़ी लाइन पर तभी मिलेगी जब कि दल की सदस्य संख्या 75 हो तथा मीटर गेज पर भी दल की सदस्य संख्या 60 होने पर ही मिलेगी। क्या यह बात सही है कि यदि सदस्य संख्या 75 के स्थान पर 74 तथा 60 के स्थान पर 59 हो तो यह रियायत नहीं मिलेगी ?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि स्टेशनों की सूची में, जिन तक यात्रा करने से रियायत मिलती है, गोहाटी का नाम नहीं है, हालांकि वह एक राज्य की राजधानी और एतिहासिक महत्व का नगर है। क्या सरकार का इस खामी को दूर करने का कोई प्रस्ताव है, ताकि जम्मू तथा काश्मीर और ऐसी ही अन्य स्थानों से गोहाटी तथा शिलांग की भी यात्रा करने वाले व्यक्तियों को यह रियायत मिल सके।

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : पहाड़ी रियायत की पहली पद्धति यह थी कि गैर-पहाड़ी स्टेशनों को रियायत दी जाती थी ताकि लोग मैदानों से पहाड़ों पर जा सकें। अब रेल मंत्रालय द्वारा एक योजना बनाई गई है। जिसके अन्तर्गत लोग पहाड़ों से मैदानों में आने के लिए रियायत ले सकते हैं। यह योजना 1 जुलाई, 1976 से लागू की गई थी तथा इस योजना के अन्तर्गत सामान्य टिकट का 33 1/2 प्रतिशत रियायत मिलती है। मीटरगेज लाइन पर यात्रियों की न्यूनतम संख्या 60 तथा बड़ी लाइन पर न्यूनतम संख्या 75 है। परन्तु यदि यात्रियों की संख्या कम हो और राज्य सरकार यह प्रमाणित करे कि और व्यक्ति नहीं मिल सके, तो उनके नाम ले पर विचार किया जा सकता है। जहां तक गोहाटी का सम्बन्ध है, मैं माननीय मंत्री सदस्य को विश्वास दिलाता हूं कि गोहाटी का नाम सूची में शामिल किया जाएगा।

श्री पी० गंगादेव : छात्रों को वायुयान के किराये में रियायत की तुलना में रेलवे किराये में रियायत देने के लिए क्या रेलवे द्वारा दी जा रही रियायत का पुनरीक्षण करने का प्रस्ताव है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : हम वायु सेवा द्वारा दी जा रही रियायत की रेलवे द्वारा दी जा रही रियायत से तुलना नहीं कर रहे हैं। रियायत देने की हमारी अपनी पद्धति है जिसे छात्रों ने स्वीकार किया है तो जो सही ढंग से कार्य कर रही है।

प्रत्येक यात्री के लिए एक स्थान (सीट) की व्यवस्था

*289. **श्री के० एल० राव :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बारे में कोई अध्ययन किया गया है कि विभिन्न मार्गों पर रेल गाड़ियों में प्रत्येक यात्री के लिए स्थान (सीट) सुनिश्चित करने के लिए कितने रेल डिब्बों की आवश्यकता होगी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बुटा सिंह) (क) और (ख) जी नहीं : लेकिन रेलों पर वर्ष में दो बार सभी अनुपनगरीय यात्री गाड़ियों के उपयोग का आवधिक मूल्यांकन किया जाता है ताकि प्रत्येक गाड़ी में उपयोग किये गये स्थान की सीमा का निर्धारण हो सके और इन मूल्यांकनों के आधार पर तथा अपेक्षित संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए विभिन्न मार्गों पर यातायात की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त गाड़ियां चलाने और वर्तमान गाड़ियों का चालन क्षेत्र बढ़ाने तथा उनमें अधिक डिब्बे लगाने के लिए कदम उठाए जाते हैं ।

डा० के० एल० राव : भारतीय रेलों में भीड़भाड़ को देखते हुए क्या यह वांछनीय नहीं है कि विभिन्न गाड़ियों में विभिन्न समय पर भीड़भाड़ की प्रतिशतता का पता लगाने के लिए नियमित सर्वेक्षण किये जायें ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री ऐसा करेंगे ?

श्री बूटा सिंह : मैं माननीय सदस्य के सुझाव को ध्यान में रखूंगा । परन्तु जहां तक मेरी जानकारी है रेल गाड़ियों में यात्रियों की संख्या तथा भीड़भाड़ आदि के बारे में वर्ष में दो बार नियमित रूप से सर्वेक्षण किया जाता है । भारतीय रेलों में यह एक आम बात है और इससे हमें पता चल जाता है कि भारतीय रेलो के मुख्य मुख्य मार्गों पर कितनी भीड़भाड़ है ।

डा० के० एल० राव : क्या माननीय मंत्री का बिचार थोड़ी दूरी के लिये एक स्थान से दूसरे स्थान तक की सेवा आरम्भ करके तथा सीटों का डिजाइन बदल करके तथा अतिरिक्त डिब्बे लगाकर कुछ अल्पकालिक उपाय करने का है ? भीड़भाड़ बुरी चीज है और चाहे कितनी ही भीड़भाड़ हो हर यात्री को अपनी सीट के लिए किराया देना होता है । इसलिए क्या माननीय मंत्री भारतीय रेलों में भीड़भाड़ को रोकने के लिए कोई उपाय करेंगे ?

श्री बूटा सिंह : हम कई कदम उठा रहे हैं । माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिया है वह भी बहुत महत्वपूर्ण है तथा उससे भीड़भाड़ में कमी होगी । माननीय सदस्य का सुझाव थोड़ी दूरी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए सेवा आरम्भ करने से सम्बन्धित है । हमने पहले ही इस समस्या पर ध्यान दिया हुआ है । तथा बड़े मार्गों पर भीड़भाड़ को रोकने के लिए अनेक छोटी दूरी की गाड़ियां चलाई गई । मुख्य मार्गों का विद्युतीकरण करके अथवा उन मार्गों पर डीजल चालित गाड़ियां आरम्भ करके भी हमने रेलगाड़ियों की क्षमता को बढ़ाया है ।

Shri Narain Singh Pandey: Will the hon. Minister conduct any survey regarding the percentage of rush of passengers in the trains and the extent to which it has been able to supply additional coaches?

Shri Butta Singh: As I have already stated regular survey is done in this regard. As I have stated the extent of rush due to overcrowding is about twenty to forty per cent on major trains. The hon. member has enquired about additional coaches. At present there are about 26,000 coaches and there are about another 20,000 coaches which are hauled by electric engines. We have asked the Planning Commission for granting us additional funds in order to meet the demand for additional coaches. The Planning Commission has not been able to provide us fund in accordance with our demand and as such we had not been able to manufacture the number of coaches according to our requirement.

श्री दीनेन भट्टाचार्य——महोदय, माननीय मंत्री ने कहा है कि रेलवे बोर्ड इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार कर रहा है तथा वह यह सुनिश्चित करने के लियप्रयाप्त संख्या में डिब्बे उपलब्ध कर रहा है कि यात्रियों की भीड़भाड़ कम से कम हो। मेरा प्रश्न यह है कि उपनगरीय रेलगाड़ियों में, मैं विशेषतया हावड़ा-डेडेल-सयालदाह स्टेशन की स्थानीय रेलगाड़ियों का उल्लेख कर रहा हूं जिनमें रवीवारों तथा राजपत्रित छुट्टियों के दिन यात्री डिब्बों को कैंसिल किया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री स्थानीय अधिकारियों द्वारा किये गये कतिपय निरक्षण पर निर्भर किये बिना, जोकि मंत्री महोदय को अपनी प्रतिवेदन नहीं देने हैं, इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार करेंगे ?

श्री बूटा सिंह : यह जानकारी मुझे माननीय सदस्य से मिली है। मैं समझता हूं कि यात्री डिब्बों की कमी नहीं है। हम इस प्रश्न पर पुनर्विचार करेंगे।

Shri K. M. 'Madhukar': Mr. Speaker Sir, I would like to know whether it is a fact that in Bihar, particularly on Patna Mukama and Baurani Smastipur sections there is much overcrowding of passengers and at the same time I have been informed that there is conivance between the major Bus Operator, and the high railway Officers and the timing of the railway trains are so fixed that more passengers travel by buses instead of railway trains and this enable the bus operators to earn more profit?

Shri Buta Singh: As I have stated attempts have been made to mainmise the overcrowding by resorting to electrification and dieselisation of railway trains and introduction of special trains.

अध्यक्ष महोदय : क्या आप यातायात निजी बसों को सौंप रहे हैं ?

श्री बूटा सिंह : जी नहीं।

Shri D. N. Tewari: The hon. Member has stated, that twice a year there is regular survey done on the occupancy of the trains, rush of passengers etc. and this enables him to know the extent of overcrowding on all major routes of Indian Railways, I would like to know the sections where overcrowding has been found the order of the day and the steps taken to minimise the overcrowding in those sections.

Shri Buta Singh: There are two aspects of this problem. There is overcrowding in long distance throughout their journey and secondly there is rush at certain particulars points due to local passengers. The number of short distance trains has been increased in order to over-come this problem of overcrowding in those particular points and long distance trains.

ईरान के साथ रेल सम्पर्क

*290. **श्री राम सहाय पाँडे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निकट भविष्य में ईरान के साथ रेल सम्पर्क स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) तथा (ख) ईरान में केरमान तथा जहेदान के बीच नये रेल सर्म्पक के निर्माण से सम्बन्धित प्रस्ताव वहां की सरकार के विचाराधीन हैं। यदि ये प्रस्ताव कभी कार्यान्वित किये जायेंगे तो पाकिस्तानी रेलों के माध्यम से भारतीय रेलों के साथ रेल सम्पर्क की व्यवस्था हो जायेगी।

श्री राम सहाय पांडे : : आज ही समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि भारत को ईरान से 200 करोड़ पये का ठेका मिला है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : इसमें कोई सचाई नहीं ।

श्री एम० एस० संजीव राव : मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री को ज्ञात है कि मध्य पूर्व के देशों तथा ईरान तक यात्रा करने में काफ़ी समय लगता है। इस पृष्ठ भूमि में मैं जानना चाहता हूं कि क्या न केवल ईरान को परन्तु मध्यपूर्व के देशों को रेल सम्पर्क शीघ्रताशीघ्र प्राथमिकता के आधार पर स्थापित किया जायेगा ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : यह दोनों देशों की सरकारो की परस्पर सहमति पर निर्भर है। जब भी कोई सरकार भारतीय रेलों से बातचीत करना चाहे, हम तैयार हैं। हमने ईरान और ईराक सरकारों से बातचीत आरम्भ कर रखी है। बातचीत अभी जारी हैं।

श्री विभूति मिश्र : क्या माननीय मंत्री कोई समय सीमा बता सकते हैं ?

Shri Mohd. Shafi Qureshi: It is very difficult to lay down any time limit. For instance Pakistan wanted to have rail link with us, but this could not materlise for twelve years. It is possible only on bilateral basis and as such not time limit can be laid down.

डा० रानेन सेन : महोदय, जब हमारे देश के विभिन्न भागों में रेल संपर्क न होने के कारण व्यापार तथा उद्योग पर कुप्रभाव पड़ रहा है, तो ईरान और ईराक के साथ रेल सम्पर्क स्थापित करने पर धन खर्च करने की क्या जरूरत है, जहां हम जहाज द्वारा जा सकते हैं ?

श्री मुहम्मद शफी कुरेशी : महोदय, दूसरे देशों के साथ रेल सम्पर्क स्थापित करना भी हमारे औद्योगिक और आर्थिक विकास का एक अंग है। अंततः हमारा व्यापार देश के अन्दर ही सीमित नहीं रह सकता। हमें दूसरे देशों के साथ भी व्यापार करना होता है। एशियाई रेल सम्पर्क के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ का भी एक प्रस्ताव है।

कुकिंग गैस विक्रेताओं की गिरफ्तारी

+

*292. **श्री आर० के० सिन्हा** : क्या पैट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में कम मात्रा में गैस वाले गैस-सिलेन्डर बेचने पर कुछ कुकिंग-गैस विक्रता गिरफ्तार किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे गैस-विक्रेताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन के सिविल सप्लाई विभाग द्वारा 2 एवं 3 अगस्त, 1976 की 57 तरल पेट्रोलियम गैस के डीलरों की जांच की गई है । दैनिक स्टाक रजिस्टार में गलतियां और मूल्यों और स्टाक का न लिखा जाना, जैसी अनियमितताएं 12 डीलरों के मामलों में पाई गई थी जिनके विरुद्ध भारत रक्षा कानून के अन्तर्गत प्रथम जांच रिपोर्ट दर्ज की गई थी । एक मामले में एक सिलैंडर में 7 कि०ग्रा० गैस कम पाई गई है । तेल कम्पनियों के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार कम गैस भरे सिलैन्डरों की सप्लाई के लिए अन्य राज्यों में किसी एल० पो० जी० डीलर को गिरफ्तार नहीं किया गया है ।

श्री आर० के० सिन्हा : महोदय, समाचार पत्रों में यह समाचार प्रकाशित हुआ है कि जनता को दिये गये गैस सिलंडरो में काफ़ी कम मात्रा में गैस पाई गई है । कार्यकारी पार्षद श्री ओ० पो० बहल ने प्रेस वक्तव्य में कहा है कि गैस सिलंडरों को जारी किये जाने से पहले सील किया जायेगा, क्योंकि एक मामले में 6 किलोग्राम गैस कम पाई गई । ऐसे 55 मामले हुए हैं । मंत्री महोदय का इस कदाचार को रोकने के लिए क्या पग उठाने का विचार है ? हो सकता है कि यह कदाचार बड़े पैमाने पर चल रहा हो ।

श्री के० डी० मालवीय : गैस सिलेन्डरों में कम गैस भरी जाती है, इस ओर श्री बहल ने हमारा ध्यान दिलवाया है और यह जानकारी हमें देश के कुछ अन्य भागों से प्राप्त समाचारों से भी मिली है । किन्तु ऐसे मामले इतने नहीं है । जितने बताये गये हैं । सरकार इसे रोकने के तरीके निकालने की कोशिश कर रही है । एक तरीका यह है कि इन सिलेन्डरों को ऐसे ढ़ंग से सील कर दिया जाए कि जब तक सारी गैस खत्म न हो जाये तब तक इन्हें कोई भी न खोल सके । इस तरीके से कम गैस भरने के मामलों को रोका जा सकता है ।

श्री आर० के० सिन्हा : एक तरीका यह भी है कि ऐसा काम करने वालों को कड़ा दण्ड दिया जाए । इस पर मंत्री की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री के०डी० मालवीय : हम इस प्रकार के गलत कामों को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं । हम इसके प्रति जागरुक हैं । कड़ी कार्यवाही की जा रही है । मैं मानता हूं कि जब कभी भी ऐसा कोई मामला ध्यान में आये तो कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए और यह की जा रही है ।

Shri Ishaque Sambhali: In North Avenue, a general complaint is that the gas is exhausted as soon as it comes. From the gas cylinder it cannot be ascertained whether it contains adequate quantity or less quantity of gas. It is heartening to note that the Hon'ble Mnister has stated that some ways and nears are being devised to stop the underfilling of gas cylinders some punishment is being contemplated for those who indulge in this practice. Can't we have meters fitted in the gas cylinders? Honest traders will have no objection to it. Till arrangement to this effect are made, Government showed have the gas cylinders issued by the companies examined from time to time without any information to the Companies concerned so that this large scale pilferage could be stopped.

Shri K. D. Malaviya: At present it is not possible to have metres fitted in the gas cylinders. Cylinder supplied to the consumer. Arrangement for installing a meter thereon cannot be made. However, arrangements are being contemplated for sealing the cylinders in such a way that after the gas is filled in them, nobody may be able to break them and we may know when the gas is exhausted in the cylinder. We have nearly solved this problem. But it is a fact that consumers are generally supplied under-filled cylinders. We keep constant watch on this practice and from the persons can got indulging in this practice are punished, Government are fully seized of this problem We would certainly provide for awarding strikest punishment to those who indulge in this malpractice.

डा० एच० पी० शर्मा : यह चोरी बड़े पैमाने पर हो रही है । इसलिए जब तक सील करने का तरीका नहीं अपनाया जाता तब तक यह आदेश दिये जाने चाहिए कि इन सिलेन्डरों का वजन किया जाये ।

श्री के० डी० मालवीय : हमने सिलिन्डरों और गैस का वजन प्रत्येक उपभोक्ता को बता दिया है । लेकिन दिक्कत यह है कि यह बुराई काफी फैल गई है । हमें आशा है कि हम शीघ्र ही इसे सील करने का तरीका निकाल लेंगे और फिर यह बुराई दूर हो जाये ।

श्री राजा कुलकर्णी : मेरी जानकारी के अनुसार वितरक का सिलिन्डर भरने में कोई सम्बन्ध नहीं है । यदि सिलिन्डर में कम गेस है तो इसका कारण शोधन शालाओं में जहां सिलिन्डर भरे जाते हैं पर्यवेक्षण का अभाव है क्या माननीय मंत्री इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करेंगे ।

श्री के० डी० मालवीय : जब भी सिलिन्डर भरे जाते है उनकी जांच की जाती है । वास्तव में वितरक सिलिन्डर को अनौपचारिक रुप से जल्दी से बदल लेता है और यह सिलिन्डर अनौपचारिक रुप से किसी को दे दिया जाता है और गैस इस्तेमाल कर ली जाती है । हमें इस बुराई का पता है और इसे काफी हद तक दबा दिया गया है । सरल करने का तरीका ढूंड निकालने के बाद यह बुराई बिलकुल खत्म हो जाएगी ।

श्री दिनेश जोरदार : कम गैस सप्लाई करने के आलावा कलकत्ता जैसे नगरों मे गैस नहीं मिलती । उपभोक्ताओं के प्रार्थना को करने के बाद भी 10 या 13 दिन तक उन्हें गैस नहीं मिलती । बहुत बड़े इलाके में केवल एक वितरक होता है और वह एक समय से बहुत से उपभोक्ताओं को गैस सप्लाई नही कर सकता । तो क्या सरकार जिला मुख्यालयों और अर्ध-नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र में गैस सप्लाई करने पर विचार करेगी क्योंकि कोयला बहुत मंहगा हो गया है और जिला मुख्यालय में लोगों को कोयला नहीं मिलता ।

श्री के० डी० मालवीय : एल० आई० गैस का उत्पादन बहुत कम होता है । यह जितना अशोधित तेल हमें मिलता है और हमारी शोधनशालाओं में शोधित होता है उसके अनुपात में ही होता है । पश्चिम बंगाल में एल० पी० गैस की कमी है इसके अलावा सिलिन्डरों की भी कमी है । हाल में हल्दिया ने भी एल० पी० गैस का उत्पादन आरम्भ किया है और हम आशा

करते हैं कि एल० पी० गैस की अधिक सप्लाई होने के कारण बंगाल में भी दशा सुधरेगी । हम बम्बई में और अन्य स्थानों से सिलेण्डर मंगाने की कोशिश कर रहे है लेकिन सिलेंडरों का कल उत्पादन पर्याप्त नहीं है

औषध फर्मों का विस्तार एंव उनके द्वारा अन्य वस्तुएं बनाया जाना

*293. **श्री रानेन सेन :**

श्रीमती पार्वती कृष्णन :

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगें कि :

(क) विदेशी तथा भारतीय औषध निर्माता कम्पनियों द्वारा विस्तार और अन्य प्रकार की वस्तुएं बनाये जाने के लिए यदि कोई योजना बनाई गई है तो वह क्या है ?

(ख) उस योजना को क्रियान्वित करने के लिए क्या ठोस उपाय किए गए है ; और

(ग) उक्त योजना के बारे में विदेशी औषध कम्पनियों की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और उर्वरक उपमंत्री श्री सी० पी० मांझी (क) से (ग) : औषध उद्योग के नियमित और संतुलित विकास के लिए औषध एवं भेषज पर समिति की सिफारिशों का ध्यान रखते हुए नई औषध नीति तैयार की जा रही है। इस बीच में उत्पादन कार्यक्रम से सम्बंधित समिति की मुख्य दो सिफारिशों यानि (i) समिति द्वारा अनुसूचित 117 आवश्यक सूत्रयोगों के उत्पादन के लिए आवश्यक प्रमुंज औषधों के चिन्हित करना (ii) सरकारी क्षेत्र के लिए भारतीय क्षेत्र के लिए और विदेशी क्षेत्र सहित सबके लिए खुले उत्पादन लिषयों का निर्धारण किया जाना—ली गई है और औषध उद्योग के ध्यान मे लायी गयी है पूर्ण निति की घोषणा होने पर सरकार कि सभी क्षेत्रों से अच्छी प्रतिक्रिया मिलने की आशा है । 1-4-75 से 50 प्रतिशत से अधिक विदेशी पूंजी वाली कंपनियों के 22 प्रार्थना पत्रों सहित 126 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं ।

डा० रानेन सेन : ऐसा लगता है कि सरकार उस समिति की औषध और भेसज उद्योग बहु-राष्ट्रीय निगमों को अपने अधिकार में लेने सम्बन्धी सिफारिश नही मान रही है । तो क्या इन बहुराष्ट्रीय निगमों पर कोई दबाब डाला जा रहा है क्योंकि ये अभी तक अधिक मूल्य वाली और कम वजन वाली औषध ही बना रहे हैं और कुछ विशेष किस्म का उष्ण कटिबंधीय रोगों के लिए औषधियां तैयार नहीं कर रहे हैं। क्या यह इसलिए किया जा रहा हैं ताकि बहुराष्ट्रीय निगम कोढ आदि रोगों के लिए आवश्यक औषधियों का उत्पादन कर सकें ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : माननीय सदस्य हाथी समिति के सदस्य थे। हाथी समिति ने इस समस्या का अच्छा विश्लेषण किया हैं। लेकिन उपचारों का सुझाव देते समय उन्होने बहुत सी बातों को मिला दिया जिससे और भी ज्यादा गडबडी पैदा हो गई । यह किसी न्यायालय का फैसला नही था । यह समिति तो हमारे भावि होने के लिए नियुक्त की गई थी । आपने प्रतिवेदन दे दिया हैं और हम उस पर विचार कर रहे हैं ? मंत्री परिषद उप-समिती ने इस समिती के प्रतिवेदन पर विचार करना हैं ?

जहां तक धवल रोग (लियोको डर्मा) और कोढ का सम्बन्ध है, माननीय सदस्य स्वयं हमदर्द दवाखानें में जाकर देख सकते हैं। कि उन्होंने इन रोगों का इलाज ढूंढ़ लिया है। मैं स्वंय वहां गया था। उन्होंने अच्छी प्रगति की है। विदेशी कम्पनियों के सम्बन्ध में हमने कार्यक्रम बना लिया है। हमने तीन सूचियां बनाई हैं। एक सूची सबके लिये है, एक केवल सरकारी क्षेत्र के लिये है और एक भारत के सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के लिये है।

डा० रामेन सेन: इन 117 आवश्यक औषधों में से कितनी औषधियां विदेशी कम्पनियां बनाती हैं और कितनी भारतीय कम्पनियां ?

श्री पी०सी० सेठी: यूनानी और आयुर्वेदिक औषधियों के अलावा बोरों वेलकम ने कोढ़ के लिये डी० डी०एस० नामक एक औषधि बनाई है। इन 112 औषधियों में से 43 गोलियां और कैपसूल हैं। 39 इंजेकशन हैं और 35 प्रकीर्ण हैं। ये विदेशी, भारतीय और सरकारी क्षेत्र में बन रही हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

भारत की यात्रा करने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए योजनाएं

*284. **श्री चन्द्रशेखर सिंह**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सितम्बर, 1975 में आरंभ की गई "जैसे चाहो, यात्रा करो" (ट्रेवल एज यू लाइक) जैसी अन्य योजनाएं विदेशी तथा भारतीय पर्यटकों के लिये आरंभ की जायेंगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

अशोधित तेल के लिए विदेशी कम्पनियों के साथ करार

*291. **श्री के० मालन्ना** : क्या पैट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशोधित तेल के लिए चालू वर्ष के दौरान विदेशी कम्पनियों के साथ कोई करार किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो अशोधित तेल की मात्रा और उसके मूल्य संबंधी मख्य रूप-रेखा क्या है और विदेशी कम्पनियों के नाम क्या हैं ?

पेट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) और (ख) : 1976 के दौरान अशोधित तेल के आयात के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएं की गई हैं :—

देश का नाम	मिलियन मी० टन में मात्रा
यूएई	1
साऊदी अरेबिया	1.1
दराक	2.1

ऐसे आयातों के लिए इण्डियन आयल कारपोरेशन ने इन देशों की नेशनल तेल कम्पनियों के साथ समझौते किए हैं। 1975 के अनुसार 1976 के दौरान ईरान से 2 मिलियन मी० टन तक की सप्लाई की सम्भावना है ।

मद्रास शोधनशाला के बारे में 1976 के दौरान अशोधित तेल के आयात की आवश्यकताएं ईरान से अशोधित तेल की सप्लाई के लिए उनके दीर्घकालीन समझौते की शर्तों में पूरी की जाती हैं। हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन शोधनशाला की अरेवियन अशोधित तेल की सप्लाई एक्शन के साथ अशोधित तेल की सप्लाई समझौते के अन्तर्गत पूरी की जाती है ।

यह स्वीकार्य प्रथा है कि विदेशी देशों से खरीदे हुए तेलों की शर्तें न बताई जाए।

पेरिस की बैठक में तेल के मूल्यों के बारे में तेल का उत्पादन तथा निर्यात करने वाले देशों का निर्णय

*294. **श्री राजा कुलकर्णी** : क्या पट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तेल मूल्य की दूहरी पद्धति के प्रश्न पर, जिसका तात्पर्य नकद ऋण देने तथा उधार तेल देकर सहायता देने के बजाय विकासशील देशों को मूल्यों में रियायत देना है, तेल का उत्पादन तथा निर्यात करने वाले देशों और तेल की खपत वाले देशों के बीच पेरिस में हुई बैठक में लिए गये निर्णय पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय): सरकार को ऐसे निर्णय को कोई जानकारी नही है।

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के रिडिस्ट्रीब्यूशन स्टाकिस्ट (पुनर्वितरण स्टाकधारी)

*295. **श्री एस० एम० बनर्जी** : क्या विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा अपने उत्पादों के मूल्य में वृद्धि करने के लिये केवल रिडिस्ट्रीब्यूशन स्टाकिस्ट नामक विचौलिया रखे जाने के बारे में सरकार को कई शिकायतें मिली हैं ;

(ख) क्या कम्पनी ने अपने उत्पादों को निर्धारित विचौलियों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यापारी को सीधे सप्लाई न किये जाने की स्पष्ट घोषणा की है ;

(ग) क्या व्यापारी कम्पनी के गोदामों से सीधे माल उठाने के लिए तैयार है; और

(घ) यदि हां, तो इस कम्पनी को ऐसे कदाचार से रोकने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले): (क) सरकार को, कम्पनी द्वारा अपनाये गये "रिडिस्ट्रीब्यूशन स्टाकिस्टस" के नियुक्त करने की व्यवस्था के विरूद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त हुई है।

(ख) तथा (ग) : सरकार को निर्देशित विषयों की बाबत कोई सूचना नहीं है।

(घ) कम्पनी के "रिडिस्ट्रीब्यूशन स्टाकिस्ट्स" नियुक्त करने की प्रक्रिया, इसके विरुद्ध; एकाधिकार एवं निबंधनकारी व्यापार प्रथा आयोग द्वारा की गई निबंधनकारी व्यापार प्रथा जांच का एक आधार विषय था, जिसने कम्पनी को साथ साथ क्षेत्रीय बन्धन की निबंधनकारी व्यापार प्रथाओं को यथापूर्व जारी रखने से रीकते हुये, दिनांक 17-3-1976 को एक आदेश पारित किया था। तथापि; कम्पनी ने आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील दायर कर दी है, एवं अब यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अनिर्णीत है।

नये इण्डन गैस विक्रेताओं की नियुक्ति

*296. **चौधरी राम प्रकाश** : क्या पैट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में इण्डन गैस वितरकों की संख्या में वृद्धि करने का है ;

(ख) इस समय इन वितरकों की संख्या कितनी है ; और

(ग) युद्ध में शहीदों की विधवाओं, हरिजनों तथा बेरोजगार इंजिनियरों की संख्या कितनी है जिन्हें नई वितरण प्रणाली के अधीन वर्ष 1975-76 के दौरान इण्डन गैस की डीलरशिप/एजेन्सियां दी गई हैं ?

पैट्रोलियम मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी हां। सिलेंडरों में भरी हुई एल पी जी की उपलब्धता में वृद्धि होने पर पूरे देश में इण्डन गैस वितरक एजेंसियों की संख्या बढाने का प्रस्ताव है।

(ख) 31-3-76 तक सारे देश में 367 इण्डन वितरक थे।

(ग) 1975-76 के दौरान आरम्भ हुई इण्डन वितरक एजेंसियां इस प्रकार थी:—

बेरोजगार स्नातक	शुन्य
रक्षा श्रेणियां (युद्ध विधवाओं सहित)	40
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	8

श्रम विधि व्यवसायियों के सम्मेलन में दिये गये सुझाव

*297. **श्री वसन्त साठे** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, 1976 में नागपुर में हुए श्रम विधि व्यवसायियों के सम्मेलन में सरकार को कुछ सुझाव दिये गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) (क) : जी हां। केन्द्रीय सरकार को नागपुर में अप्रैल, 1976 में (न कि मई, 1976 में) हुए विदर्भ के श्रम कानून वकीलों के सम्मेलन में पारित किए गए संकल्प की एक प्रति महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त हुई है। सम्मेलन में पारित किए गए सकल्प सं० 6 में अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 30 को लागू करने और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 36 (4) का और अन्य अधिनियमों का संशोधन करने की बात कही गई है।

(ख) इस विषय में सरकार ने कोई निर्णय नहीं किया है।

Backward area from Railway's Point of view

*298. **Shri Chiranjib Jha:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state the list of backward areas in the country in order of their backwardness from the point of view of railway facilities?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): The Ministry of Railways are guided primarily by the judgement of the respective State Governments in this regard. No such list of the regions considered as backward for railways is maintained by this Ministry, as proposals for the development of backward areas are considered as and when recommended by the State Governments. The project are taken up for the development of backward areas if it is found that the area is not well served by the Railways and the provision of a railway line will lead to its economic development.

गुजरात फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड का विस्तार

*299. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड ने विस्तार और विविधीकरण के लिये आवेदन किया है ;

(ख) क्या इसकी स्वीकृती दे दी गई है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ग) : मैसर्स गुजरात राज्य उर्वरक कम्पनी लि० को निम्नलिखत अतिरिक्त उर्वरक क्षमताएं स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है :—

अमोनिया	प्रतिवर्ष	445,500 मी0टन
यूरिया		528,000 मी0टन

संयंत्र जो गुजरात में बड़ौच जिला में स्थापित किया जाना है वह संभरण सामग्री के रुप में इंधन तेल पर आधारित होगा और उस पर लग भग 225 करोड़ रुपये की लागत की संभावना है।

रेलवे की आय बढ़ाने के उपाय

*300. **श्री हरी सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 जून, 1976 को हुए सम्मेलन में सरकार ने रेलवे के सभी जोनों के महा-प्रबन्धकों से कहा था कि वे रेलवे की आय बढाने के लिए उपाय करें ; और

(ख) यदि हां, तो महा-प्रबन्धकों ने इस सम्बन्ध में क्या सुझाव दिये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) जी हां, सम्मेलन 30 जुलाई 1976 को हुआ था न कि 30 जून, 1976 को।

(ख) इस बात पर सर्वसम्मति थी कि सेवा स्तर में सुधार करके और अधिक यातायात आकर्षित किया जाये।

रेलवे में कोयला और राख की ढुलाई का काम

*301. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे में कोयला और राख की ढुलाई का काम ठेके के श्रमिकों द्वारा किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो रेलवे के विभिन्न केन्द्रों पर ठेकेदारों द्वारा ऐसे श्रमिकों को किस दर पर मजूरी दी जाती है ;

(ग) क्या ठेकेदार उनकी न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अनुसार मजूरी नहीं दे रहे है ; और

(घ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां, यह कार्य रेलों द्वारा विभागीय रूप से और वास्तविक कार्यकारों की श्रमिक सहकारी समितियों द्वारा भी किया जाता है।

(ख) ठेकों के अनुसार ठेकेदारों को अपने कर्मचारियों को उस दर से भुगतान करना अपेक्षित होता है जो दर आस-पास के क्षेत्रों में वैसे ही काम के लिए स्थानीय सिविल प्राधिकारियों द्वारा नियत की गयी हो।

(ग) और (घ) : रेलों पर कोयला और राख सम्भलाई का काम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अन्तर्गत नही आता है अतः इस अधिनियम के अन्तर्गत मजदूरी भुगतान का प्रश्न नहीं उठता।

उर्वरक संयंत्रों के लिए स्वीकृति

*302. **श्री शंकरराव सावन्त :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन उर्वरक संयंत्रों को अब तक स्वीकृति प्रदान की गई है ;

(ख) प्रत्येक की स्थापना किन-किन स्थानों पर की जायेगी, प्रत्येक की क्षमता कितनी होगी तथा प्रत्येक पर कितना खर्च आने का अनुमान है ; और

(ग) निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा तथा कब पूरा होगा ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ग) : कार्यान्वयन की जा रही प्रयोजनाओं के बारें में वांछित विवरण देते हुए एक विवरण पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत किया जाता है। **[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी –11314/76]**

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मिस्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा सारणीबद्ध मदों का वितरण

2064. **श्री नानुभाई एन० पटेल** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा सारणीबद्ध मदों के वितरण पर भी आयात व्यापार नियंत्रण नीति लागू होती है जिसमें स्वदेशी उत्पादन को मिलाने की अनुमति नहीं है ;

(ख) क्या इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लिमिटेड द्वारा सप्लाई की गई आयातित औषधियों और देश में निर्मित औषधियों के लिए उसे अलग-अलग लाभ-रेखा रखना जरूरी नहीं है ; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितने मामलों में आई० पी० एल० का देश में निर्मित औषधियों का उत्पादन लक्ष्यों से कम रहा और औषधियों का अधिक आयात करना पड़ा तथा इसके लक्ष्य क्या हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख). सारणीबद्ध मदों का वितरण समय समय पर लागू आयात व्यापार नियंत्रण नीति के अनुसार किया जाता है। विद्यमान नीति के अनुसार सारणीबद्ध सूची के 11 औषध मदों के लिये वास्तविक उपभोक्ताओं को आई० डी० पी० एल० के ऊपर रिलीज आदेश प्रवर्तित करने वाले अधिकारियों द्वारा दिये जाते हैं। यह सरकारी एजेन्सी न केवल अपने उत्पादन का परन्तु आयातित माल का भी वितरण करती है । आयात का प्रबन्ध केवल तभी किया जाता है जब स्वदेशी उत्पादन पर्याप्त नहीं होता । इनका प्रबन्ध स्टेट कैमीकल्स एण्ड फार्मास्युटीकल्स कारपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा किया जाता है और ये प्रवर्तित करने वाले अधिकारियों के रिलीज आदेशों पर वितरण हेतु आई० डी० पी० एल० को सौंपे जाते हैं ।

आई० डी० पी० एल० के वितरण रेंज में आने वाली 11 मदों में से 5 मदों की वर्तमान उपलब्धि पर्याप्त है । बाकी छः मदों के लिए स्वदेशी उत्पादन में मांग की तुलना में कमी होने

तक आयात से पूरा किया जाता है । इन छः मदों के लिए आयातित मूल्य और स्वदेशी मूल्य जो दोनों बी० आई० सी० पी० द्वारा निर्धारित किये जाते हैं ; के औसतन के आधार पर पूल्ड मूल्यो का निर्धारण किया जाता है । यदि आयातित मात्रा या स्वदेशी मात्रा में कुछ परिवर्तन के कारण इनमें कोई अधिशेष या कमी होती है तो ऐसे अविशेष या कमी को आने वाले वर्ष में समायोजित किया जाता है 1974-75 और 1975-76 की अवधि के लिए समस्त पूल क्रिया में आई० डी० पी० एल० ने 29 लाख रुपये की कमी की सूचना दी है ।

(ग) जिन औषध के उत्पादन में कमी हुई थी और जिनका अधिक आयात करना पड़ा था उनका विवरण संलग्न विवरण पत्र में दिया गया है। **[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०– 11315/76]** ।

भारतीय क्षेत्र में औषध-फर्मों को फार्मूलेशनों को बताने की अनुमति

2065. **श्री भालजीभाई रावजीभाई परमार :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में कितनी भारतीय औषध कम्पनियों को देशी आयातित और सारणीबद्ध कच्चे माल से फार्मूलेशन बनाने की अनुमति दी गई हैं और यह अनुमति किस आधार पर दी गई है ;

(ख) इसी अवधि में कितनी कम्पनियों को देशी/आयातित/सारणीबद्ध कच्चे माल से फार्मूलेशन बनाने की अनुमति नहीं दी गई और अनुमति न दिये जाने के क्या आधार हैं ; और

(ग) विशेषत: ऐसे अवसर पर जबकि विदेशी कम्पनियां बिना औद्योगिक अनुमति के बड़ी संख्या में फार्मूलेशन बना रही हैं, भारतीय कम्पनियों का विस्तार एवं विकास होने देने के लिए सरकार अपनी नीति को किस प्रकार इसके अनुकूल बनायेगी ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) : 31 मार्च, 1976 को समाप्त होने वाले 3 वर्षों के दौरान 24 भारतीय कम्पनियों को देशीय/आयायतित/सारणीबद्ध कच्चे माल पर आधारित औषध सूत्रयोगो के निर्माण के लिये आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस प्रदान किये गये हैं । इन मामलों को सूत्रयोगों की आवश्यकता कच्चे माल के लिए विदेशी मुद्रा की आवश्यकता भी कम्पनी के पास वर्तमान उत्पादन सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए लाइसेंसिंग समिति की स्वीकृति पर निपटाया गया है । उसी अवधि के दौरान सूत्रयोगी के उत्पादन के लिए 19 भारतीय कम्पनियों के आवंटन पत्रों को लाइसेंसिंग समिति द्वारा रद्द किया गया था क्योंकि वे स्वीकृति की शर्तों को पूरा नहीं कर पाये थे।

(ग) इस समय अपनाई जा रही अद्यतन पद्धति के अनुसार विदेशी कम्पनियों को प्रपुंज औषधों के उत्पादन से सम्बद्ध किये बिना नयी सूत्रयोग क्षमता नहीं दी जा रही है। जहां तक भारतीय क्षेत्र का सम्बन्ध है एक उदार नीति अपनाई जा रही है और यदि प्रपुंज औषध और सूत्रयोग उत्पादन में उनका औसत 1 : 10 है तो उनको प्रपुंज औषधों के उत्पादन से सम्बद्ध किये बिना सूत्रयोगों के उत्पादन की अनुमति दी जा रही है।

आंध्र प्रदेश में रेल लाइनों का निर्माण

2066. श्री वाई० ईश्वर रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में ऐसी रेल लाइनें कौन-कौन सी हैं जो निर्माण के भिन्न चरणों में हैं ;

(ख) उनके पूरा किये जाने की निर्धारित तारीखें क्या हैं ; और

(ग) क्या चालू वर्ष के दौरान इन परियोजनाओं के लिए पर्याप्त धनराशि दी गई है ?

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख). बोबीनगर से नलगौंडा तक का (74 कि० मी०) भाग का निर्माण प्रस्तावित बोबीनगरा-नरकुडि लाइन के एक भाग के रूप में प्रथम चरण में प्रारम्भ किया गया है। इस परियोजना के अप्रैल, 1980 तक पूरा हो जाने की आशा है बशर्ते समय पर समुचित धन उपलब्ध होता रहे।

(ग) विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधि का आवंटन किया जाता है, जो कुल मिला कर राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है।

इलैक्ट्रिक, डीजल तथा स्टीम रेलमार्गों के लिए लागत विश्लेषण

2067. श्री नारायण चन्द पराशर: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्राड गेज, मीटर गेज और नरो गेज पर किलो मीटर दूरी सहित ऐसे कौन-कौन से रेल मार्ग हैं जिनका अब तक विद्युतीकरण हो चुका है अथवा किया जा रहा हैं ;

(ख) उक्त रेल मार्गों का विद्युतीकरण किस तारीख तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ; और

(ग) माल तथा यात्री यातायात के लिए, अलग-अलग उपरोक्त तीनों गेजों का प्रति सैकड़ा किलोमीटर इलेक्ट्रिक, डीजल तथा स्टीम रेलमार्गों के लिए तुलनात्मक लागत विश्लेषण क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ूटा सिंह) (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है । [**ग्रन्थालय में रखा गया** । देखिए संख्या एल० टी०–11316/76] ।

नौपाड़ा-गुनपुर छोटी रेल लाइन के सुधार के लिए पाचवीं ोजना में धनराशि

2068. **श्री गिरिधर गोमागों** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण-मध्य रेलवे की नोपाड़ा-गुनुपुर छोटी रेल लाइन के सुधार के लिए मंत्रालय ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना में कितनी धन-राशि रखी है ;

(ख) कितनी राशि खर्च की जा चुकी है और कार्य पूरा करने के लिये वर्ष 1976-77 के लिए कितनी राशि रखी गई है ; और

(ग) अब तक क्या प्रगति हुई है और रेल लाइन और रेल स्टेशनों के सुधार के क्या प्रस्ताव हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह)) : (क) 18.09 लाख रुपये ।

(ख) मार्च, 1976 तक 4.22 लाख रुपये की राशि खर्च की जा चुकी है । 1976-77 में 12 लाख रुपये की राशि की व्यवस्था को गयी है और शेष राशि की व्यवस्था चालू योजना अवधि में कर दी जायेगी ।

(ग) 33.8 कि० मी० दूरी में पटरियों के नवीकरण का काम पूरा कर लिया गया है और 56 कि० मी० दूरी में (टुकड़ों में) स्लीपरों के नवीकरण का कार्य चल रहा है । आशा है यह कार्य 1977-78 में पूरा हो जायेगा **पत्थर** की गिट्टी बिछाने की भी व्यवस्था की गयी है और कार्य चल रहा है । इस लाइन के स्टेशनों पर पहले से उपलब्ध सुविधाओं को वर्तमान यातायात के लिए पर्याप्त समझा गया है ।

Installation of T.V. Sets in Trains and at Railway Stations

2069. **Shri Bhagirath Bhanwar:** Will the Minister of **Railways** be please to state:

(a) whether arrangements for showing television programmes to passengers in some important passenger trains have been made and if so, the names of such passenger trains;

(b) the names of other passenger trains for which provision has been made for showing television programme in future and the time by which this work is to be completed; and

(c) whether there is a proposal to install T.V. sets at big railway stations falling in the range of T.V. Centres?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) and (b). Trial closed circuit television installation has been made in Tamil Nadu Express train runing between Madras and New Delhi. On the results of this trial, decision with regard to permanency of the installation as well as its extension to other passenger trains shall be taken.

(c) Closed circuit television has been installed at some stations primarily for displaying audio-visual information regarding arrival and departure of trains and social education to passengers.

New Distributors appointed by I.O.C.

2070. Shri G. C. Dixit: Will the Minister of Petroleum be pleased to state:

(a) whether any new distributors have been appointed by the Indian Corporation in the country after October, 1975;

(b) if so, the number of distributors functioning in Madhya Pradesh;

(c) the percentage of their share of the sale of oil; and

(d) the names of other companies dealing in oil there?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum (Shri Z. R. Aansari): (a) Yes, Sir.

(b) 402 as on 31-7-1976.

(c) IOC's share in the sales of Motor Spirit, HSD, Light Diesel Oil and Kerosene oil in Madhya Pradesh is about 38 per cent, 66 per cent, 68 per cent and 69 per cent respectively.

(d) Hindustan Petroleum Corporation, Bharat Refineries Limited, Caltex (India) Limited and Indo-Burma Petroleum Company Limited are also marketing their products in Madhya Pradesh.

पाँचवीं योजना में महाराष्ट्र के कोकण, मराठवाड़ा तथा विदर्भ क्षेत्रों में नई रेल लाइनों का शामिल न किया जाना

2071. **श्री मधु दण्डवते :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना में महाराष्ट्र के कोकण, मराठवाड़ा तथा विदर्भ क्षेत्रों से प्रस्तावित नई रेल लाइनें शामिल न किये जाने की सम्भावना है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इससे क्षेत्रीय असंतुलन और अधिक नहीं बढ़ेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) (क) और (ख). इन क्षेत्रों में निम्नलिखित नये रेल सम्पर्कों का निर्माण कार्य जारी है :—

	लम्बाई कि० मी० में	लागत करोड़ रुपयों में
(i) वानी-वनाका (नयी बड़ी लाइन रेल सम्पर्क)	76.0	5.29
(ii) दीवा-बैसिन (नयी बड़ी लाइन रेल सम्पर्क)	42.0	12 75

वर्तमान संसाधनों के अन्तर्गत पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान और अधिक नये रेल मार्गों का निर्माण कार्य शुरू करना सम्भव नहीं हो सकेगा ।

तमिलनाडु में द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेटों का काडर

2072. **श्री एस० ए० नुरुगनन्तम**—क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूतपूर्व तमिलनाडु सरकार ने तमिलनाडु उच्च न्यायालय का यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था कि द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेटों के काडर को प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेटों के काडर के रूप में प्रोन्नत कर दिया जाए और उसे जिला मुंसिफ के काडर के साथ मिला दिया जाए ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव कब कियान्वित किया जाएगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) जी हां ।

(ख) तमिलनाडु सरकार उन सिद्धान्तों पर, जिन पर दो पदों का एकीकरण किया जाना है, मद्रास उच्च न्यायालय की सिफारिश की प्रतीक्षा कर रही है।

दरभंगा में रेल यात्रियों का रोका जाना

2073. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर जिले में दरभंगा जंक्शन पर रेलवे पुलिस के कार्यालय के सामने 21 जून, 1976 को लगभग एक सौ यात्री रोक लिए गये थे ;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या उनमें से प्रत्येक यात्री से 13 से 15 रुपये तक बिना रसीद दिये लिये गये और क्या रेलवे पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरपुर को इस बारे में कोई अभ्यावेदन भी दिये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता ।

मीरज में मजिस्ट्रेट द्वारा रेल सुरक्षा बल के विरुद्ध टिप्पणियां

2074. **श्री भाऊ साहेब धामनकर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण मध्य रेलवे में मीरड स्थित रेल सम्पत्ति से संबंधित मामले में हाल ही में पब्लिक मजिस्ट्रेट द्वारा दिये गये निर्णय में न्यायालय ने रेल सुरक्षा बल के विरुद्ध ऐसी टिप्पणी की है कि रेल सुरक्षा बल और सम्बद्ध अभियुक्त ने मिलकर रेल सम्पत्ति लूटी है ;

(ख) यदि हां, तो उसके तथ्य क्या हैं ; और

(ग) दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) (क) से (ग). 7 मई, 1974 को रेलवे सुरक्षा दल के एक रक्षक ने, जब वह मिरज में विशेष अपराध निरोधक ड्यूटी पर तैनात था, 7 औरतों को रेलवे यार्ड से चुराई गयी रेलवे सामग्री ले जाते हुए गिरफ्तार किया। जब वह अपराधियों को रेलवे सुरक्षा दल के कार्यालय में ले जा रहा था तब रेलवे की चुराई हुई वस्तुएं प्राप्त करने वाले एक व्यक्ति ने उसे रास्ते में रोका और गिरफ्तार किये गये अभियुक्तों को छुड़ा लिया। पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 353/225 और 224/44 के अधीन एक मामला दर्ज कर लिया है और साथ ही रेल सम्पत्ति (गैर-कानूनी कब्जा) अधिनियम 1966 के अन्तर्गत मामले की जांच की गयी मिरज के जुडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष दोनों मामलों में मुकदमा चलाया गया। न्यायालय ने मुकदमे की कोई कहानी पर विश्वास नहीं किया और दल के कुछ सदस्यों की निन्दा की और अभियुक्त छोड़ दिए गए।

दल के जिन सदस्यों की न्यायालय ने निन्दा की थी उन सभी सदस्यों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जा रही है।

Booking of Handloom Cloth from Cannanore and Erode Stations

2075. Shri Nathu Ram Ahirwar: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether in 1974-75 some bales of handloom cloth booked from Cannanore and Erode stations on Southern Railway reached New Delhi Railway Station intact but later on were shown as missing with the result that Railway has to pay a large sum as compensation therefor;

(b) whether some parcel clerks were suspended in this connection;

(c) whether investigation in the matter has not yet been completed but the parcel clercks have been reinstated; and

(d) if so, when will the investigation be completed?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) Some bales of handloom cloth booked from Cannanore and Erode stations to New Delhi were reported missing at New Delhi during the year 1974-75. So far Rs. 29,332/- have been paid by way of compensation in 8 claims cases.

(b) to (d). The Chief Parcel Clerk, New Delhi station, was placed under suspension for not exercising proper supervision over the functioning of parcel office, New Delhi. Later on, his suspension was revoked on consideration that staff responsibility should be fixed after making proper enquiries. Detailed enquiries are in progress to fix responsibility for the bales reported missing and to take departmental action against the actual defulters. Northern Railway Administration has been asked to complete enquiry expeditiously.

वाणिज्यिक कानूनों में संशोधन

2076. **श्री बालकृष्ण वेंकन्नानायक** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उन वर्तमान वाणिज्यिक कानूनों में कोई संशोधन करने पर विचार कर रही है जो प्रधान मंत्री द्वारा घोषित राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम में समाविष्ट अधिक उत्पादन, राष्ट्रीय संशोधनों का अधिकतम उपयोग तथा वितरण न्याय के मार्ग में बाधक हैं ;

(ख) यदि हां, तो संशोधन के लिए कौन-कौन से कानून लिए गये हैं ; और

(ग) यह कार्य अनुमानत: कब तक पूरा हो जाएगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वी० ए० सय्यद मुहम्मद) : (क) इस समय इस मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते।

गोलचा प्रापर्टी लिमिटेड

2077. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या परिसमाप्त की जा रही गोलचा प्रापर्टीज (प्राइवेट) लिमिटेड के मालिक अपनी वह राशि जमा कराने में न्यायालय के आदेशों का पालन नहीं कर सके हैं, जो अपने लेनदारों के प्रति-मालिकों के दायित्वों का परिसमापन करने की योजना के आवश्यक अंग के रूप में तय की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह योजना स्वत: असफल हो गई है ;

(ग) क्या इस नई परिस्थिति में सरकार का विचार छोटे लेनदारों की शेष दो किस्तों को भुगतान करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो इसे कब तक क्रियान्वित किया जाएगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) राजस्थान उच्च न्यायालय ने, कम्पनी के भावी प्रबन्ध की योजना को स्वीकृति प्रदान करते समय, आदेश दिया कि योजना में यथा अभिसंविदित रकम के भुगतान कर देने के पश्चात् शासकीय समापक का प्राधिकार समाप्त हो जाएगा, तथा गोल्चा सिनेमा, दिल्ली तथा इसके भवन के सिवाय इस व्यापार का प्रबन्ध उनके शासकीय समापक को रकम जमा कर देने पर यथा शीघ्र भूतपूर्व निदेशकों को सौंप दिया जाएगा, तथा कि वह जमानत जो शासकीय समापक द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मामले में दी जा चुकी है, उक्त न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले किसी अन्तिम आदेश अथवा निर्देशनों के पालनार्थ यथापूर्व लागू रहेगी, तथा कि गोल्चा सिनेमा दिल्ली के सिनेमा गृह का अधिकार तथा उसके व्यापार का प्रबन्ध ऊपर कथित जमानत से मुक्त हो जाने अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील का निर्णय हो जाने, तक शासकीय समापक के अधिकार में रहेगा।

(ख) कम्पनी के निदेशकों ने इस दशा से पीड़ित होने से एक अपील दायर कर दी है; जो राजस्थान उच्च न्यायालय की एक प्रभाग बैंच के समक्ष अनिर्णीत है।

(ग) तथा (घ). सरकार के लाभांश देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि शासकीय समापक को, न्यायालय के आदेशान्तर्गत कम्पनी की परिसम्पत्तियों में से भुगतान करने पड़ते हैं

लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा 'बल्क' औषधियों का निर्माण

2078. श्री अर्जुन सेठी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश में लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा बनाई जा रही 'बल्क' औषधियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) उसके परिणाम स्वरूप विदेशी मुद्रा की कितनी वार्षिक बचत हुई है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख). प्रपुंज औषधी सहित भेषज और औषधों का उत्पादन करने वाले 2500 से अधिक लघु-क्षेत्र संयंत्र हैं। इन संयंत्रों द्वारा उत्पादन किए जाने वाले प्रपुंज औषध और भेषज पर समिति की रिपोर्ट के अध्याय ii के परिशिष्ट-ii में दिए गए हैं। इस रिपोर्ट के अध्याय ii के पैरा 18 में यह अंकित है कि यद्यपि अनुप्रमाणितकृत आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लघु-उद्योग एककों का उत्पादन औषध उद्योग के सारे उत्पादन का लगभग 20 प्रतिशत का अनुमान है। लघु उद्योग क्षेत्र के प्रमाणों से वार्षिक विदेशी मुद्रा की बचत की राशि बताना कठिन है। तथापि उनके द्वारा कुछ निर्मित प्रपुंज औषधों के आयात प्रतिस्थापन के रूप में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है।

संसद् सदस्यों तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सामान की चोरी

2079. श्री के० एम० मधुकर : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें तथा अन्य रेल अधिकारियों को संसद् सदस्यों तथा अन्य प्रतिष्ठित व्यक्तियों से अगस्त, 1976 में बिहार तथा उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक रेल गाड़ियों के प्रथम

श्रेणी के डिब्बों में यात्रा करते समय सामान की चोरी के बारे में शिकायतें प्राप्त हुई हैं?

(ख) क्या इन घटनाओं के घटने के समय 'कोच अटेन्डेंट' नहीं दिए गए थे ;

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है ; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकथाम के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) इस प्रकार की चोरी के एक मामले की जिसमें श्री चन्द्र शेखर सिंह, संसद् सदस्य की एक अटैची चोरी हो गयी थी जबकि वे 3/4-8-76 को 85 अप असाम मेल के धनबाद वाले प्रथम श्रेणी के डिब्बे में गया से दिल्ली के लिए यात्रा कर रहे थे, की रिपोर्ट फतेहपुर, राजकीय रेलवे पुलिस स्टेशन उत्तर प्रदेश में की गयी थी ।

(ख) धनबाद जाने वाले जिस डिब्बे में चोरी हुई थी उसमें कोई सवारी डिब्बा परिचर नहीं था ।

(ग) जांच-पड़ताल के दौरान दो अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं ।

(घ) प्रभावित खण्डों पर विशेष सशस्त्र मार्ग रक्षी और सादे लिबास में भी मार्ग रक्षी तैनात किये जा रहे हैं और रेलवे स्टेशनों पर राजकीय रेलवे पुलिस द्वारा सुरक्षा उपायों को कड़ा कर दिया गया है । रेलवे पुलिस के उच्च अधिकारियों द्वारा बार-बार पर्यवेक्षण किया जा रहा है ।

Proposal to run Express Train from North Bihar to Bombay

2080. **Shri G. P. Yadav:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether there is a proposal for running an express train from North Bihar to Bombay; and

(b) if so, the date from which the said train is proposed to be started?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) There is no proposal to introduce a new express train from North Bihar to Bombay.

(b) Does not arise.

तेल की शोधन क्षमता में वृद्धि

2081. **श्री ममता प्रसाद मंडल** : क्या **पैट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हल्दिया तेल शोधक कारखाना चालू होने से देश में तेल की शोधन क्षमता में काफी वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समय कुल शोधन क्षमता कितनी है ?

पैट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख). 2.5 मी० टन प्रति वर्ष की क्षमता वाली हाल्दिया शोधनशाला के चालू हो जाने से देश की शोधन क्षमता 27 मिलियन मी० टन प्रतिवर्ष हो गई है ।

समुद्र-तट पर तेल की खोज के लिए विदेशी ठेकेदार

2082. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या **पैट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्र-तट पर तेल की खोज के लिए विदेशी ठेकेदारों को ठेके दिये जा रहे हैं ;

(ख) क्या आवश्यक उपकरण और तकनीकी व्यक्ति देश में उपलब्ध नहीं हैं ;

(ग) विदेशी ठेकेदारों के साथ कितने ठेके किये गये हैं और इससे कितनी विदेशी मुद्रा खर्च होगी ; और

(घ) क्या सरकार ने इन ठेकों के लिए भारतीय ठेकेदारों से टेंडर मांगे हैं और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

पैट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न नहीं उठता ।

भूतपूर्व बर्मा शैल कम्पनी का कार्यकरण

2083. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **पैट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा अधिग्रहण कर लिए जाने के बाद, भूतपूर्व बर्मा शैल कम्पनी के कार्यकरण में सुधार हुआ है ;

(ख) क्या उसकी उत्पादन दर बढ़ी है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

पैट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग). इस कम्पनी को 24 जनवरी, 1976 को सरकार के नियंत्रण में लिया गया था । 1975 में 3.53 मिलियन मीटरी टन शोधित तेल के अपेक्षा इस शोधन शाला को अशोधित तेल का वर्तमान आवंटन 3.75 मिलियन मीटरी टन की दर से किया जा रहा है । इस वर्ष पैट्रोलियम उत्पादों में अनुपातिक वृद्धि हुई हैं ।

परन्तु प्रत्येक शोधनशाला द्वारा अशोधित तेल लिये जाने तथा उत्पादन पैटर्न का निर्धारण सरकार देश की आवश्यकता तथा क्षेत्रीय मांग को ध्यान में रख कर करती है ।

जाब में बिना चौकीदार के रेल फाटक

2084. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में कुल ऐसे कितने रेल फाटक हैं जिन पर चौकीदार नहीं हैं ;

(ख) पंजाब में गत एक वर्ष में बिना चौकीदार वाले रेल फाटकों पर कितनी दुर्घटनायें हुई हैं ; और

(ग) क्या राज्य में बिना चौकीदार वाले रेल फाटकों की संख्या कम करने के लिए कोई कदम उठाये जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) पंजाब राज्य में 1168 बिना चौकीदार वाले समपार हैं (जिनमें पशु समपार भी शामिल हैं) ।

(ख) 1975-76 के दौरान इन बिना चौकीदार वाले समपारों पर 5 गाड़ी दुर्घटनाएं हुई ।

(ग) बिना चौकीदार वाले समपारों की संख्या कम करने के लिए रेलें उन पर चौकीदारों की व्यवस्था की आवश्यकता की समीक्षा करने के लिए सड़क एवं रेल यातायात की आवधिक गणना करती है । इसके आधार पर, कुछ बिना चौकीदार वाले समपारों का नियतन विभिन्न तथ्यों जैसे यातायात की सघनता, सादृश्यता, दुर्घटना की सम्भावनाओं आदि तथा धन की उपलब्धता को भी ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार के परामर्श से चौकीदार की व्यवस्था करने के लिए किया जाता है । 1-4-1973 से 31-3-1976 की अवधि के दौरान पंजाब राज्य में 39 बिना चौकीदार वाले समपारों पर चौकीदारों की व्यवस्था की गयी है ।

कंक्रीट के स्लीपरों का निर्माण

2085. **श्री अरविन्द एम० पटेल :**

श्री एन० आर० वकारिया :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लकड़ी के स्लीपरों की तुलना में कंक्रीट के स्लीपर अधिक मजबूत और कम लागत के पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो कंक्रीट और लकड़ी के स्लीपरों का निर्माण लागत में क्या अन्तर है;

(ग) कंक्रीट के स्लीपरों की मांग कहां तक पूरी की जा रही है; और

(घ) उत्पादन को बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) जी हां। अन्ततोगत्वा कंक्रीट के स्लीपर लकड़ी के स्लीपरों की तुलना में अधिक चलने वाले और सस्ते पड़ते हैं।

(ख) कंक्रीट के स्लीपरों की कीमत इस समय 250 रुपये प्रति स्लीपर है। इसकी प्रत्याशित आयु 50 वर्ष होती है। इसका एक और लाभ यह है कि इसका उपयोग लम्बी झली हुई पटरियों के साथ किया जा सकता है जिससे रेल पटरियों की आयु स्वयं ही लम्बी हो जाती है और चल स्टाक की टूट फूट भी कम हो जाती है। बिना जुड़नार के एक लकड़ी के स्लीपर की कीमत 75 रुपये है। यदि इसे साधारण पटरी पर इस्तेमाल करना हो तो जुड़नार सहित इसकी कीमत लगभग 100 रुपये होगी। यदि इस स्लीपर का इस्तेमाल लम्बी झली हुई पटरियों और लचकीले जुड़नारों के साथ किया जाना हो तो लागत लगभग 175 रुपये आयेगी। लकड़ी के स्लीपर की सामान्य आयु केवल 12 से 15 वर्ष तक होती है।

(ग) इस समय एक वर्ष में हम कंक्रीट के लगभग दो लाख स्लीपर प्राप्त कर सकते हैं। हम इससे अधिक स्लीपर प्राप्त करना चाहते हैं। रेल पथ के नवीकरण के लिए कंक्रीट के स्लीपरों की हमारी सामान्य मांग लगभग आठ लाख स्लीपर है।

(घ) छः फैक्टरियां पहले से ही कंक्रीट के स्लीपर बनाने के काम पर लगी हुई हैं और ये फैक्टरियां अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाती जायेंगी। इस काम पर अधिक फर्में लगायी जा रही हैं। इस काम के लिए रेल मंत्रालय इलाहाबाद में एक फैक्टरी लगा रहा है।

बम्बई हाई में तेल की खोज में विदेशी सहयोग

2086. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई हाई में तेल की खोज और छिद्रण में फ्रांस का सहयोग प्राप्त करने का कथित प्रस्ताव किस प्रकार का है; और

(ख) इस क्षेत्र के लिए अपेक्षित कुल विदेशी सहयोग के बारे में क्या कोई दीर्घकालीन, निश्चित योजना बनाई गई है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) इस सम्बन्ध में फ्रांस के सी० एफ० पी० से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस समय इस सम्बन्ध में कोई ब्यौरे देना जनहित में नहीं हैं।

मुगलसराय के रेल कर्मचारियों के विरुद्ध न्यायालय में दायर मामले

2087. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपांडे :**

श्रीमती पार्वती कृष्णन्

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई 1974 की हड़ताल में सम्मिलित होने वाले कितने अस्थायी और स्थायी कर्मचारियों के मामले अभी मुगलसराय में विचाराधीन हैं; और

(ख) क्या उनमें से किसी के विरुद्ध तोड़-फोड़ अथवा हिंसा की कार्यवाहियों के आरोप हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) मई, 1974 की हड़ताल में केवल भाग लेने के कारण किसी के विरुद्ध मुकदमा नहीं चलाया गया है। श्री एस० ए० हक नामक व्यक्ति जो भूतपूर्व कर्मचारी है उनके विरुद्ध तोड़-फोड़ और हिंसा के आरोप हैं। उनके विरुद्ध मुगलसराय के न्यायालय में मुकदमा चल रहा है।

सी० ओ० बी० लाइसेंसों में क्षमता की अनुमति देने के आधार

2088. **श्री सोमचन्द सोलंकी** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा औषधियों और भेषजों के निर्माण की स्वीकृति के लिये समेकित और व्यक्तिगत सी० ओ० बी० लाइसेंस देने के आधार क्या हैं;

(ख) नीति में परिवर्तन के कारण कितने मामलों में दी गई पहली स्वीकृति के सी० ओ० बी० लाइसेंसों में बदला गया; और

(ग) सरकार की अनुमति से राज्य औषध नियन्त्रकों द्वारा अधिष्ठापित और मान्यता प्राप्त क्षमताओं के सी० ओ० बी० लाइसेंसों में अनुमति नहीं दी गई है जबकि नीति के अनुसार यह एक माप-दण्ड है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ग) सी० ओ० बी० लाइसेंस देते समय क्षमता निर्धारण के मापदण्ड 27-4-76 को लोकसभा में पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या 2680 के उत्तर में बताये गये हैं।

(ख) अब तक 27 औषध निर्माण करने वाले एककों को सी० ओ० बी० लाइसेंस दिये गये हैं।

ढुलाई वाले आम माल को आकर्षित करने के लिए उपाय

2089. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात, कोयला और अनाज जसे वचनबद्ध माल के अतिरिक्त, अन्य प्रकार के ढुलाई वाले माल को आकर्षित करने के लिए उपायों पर विचार करने के लिए हाल ही में नई दिल्ली में जोनल रेलों के महाप्रबन्धकों की बैठक हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस बैठक में क्या नीति निर्धारित की गई और वर्ष 1976 तथा 1977 के लिये क्या लक्ष्य रखे गये हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह): (क) जी हां।

(ख) 76-77 के लिये "सामान्य माल" यातायात का लक्ष्य प्राप्त करने और यदि सम्भव हो तो इसमें सुधार लाने के लिये रेलों को कहा गया है कि वे ग्राहकों की सन्तुष्टि की ओर अधिक ध्यान दें। 1976-77 के लिए राजस्व उगाहक "सामान्य माल" यातायात का लक्ष्य 480 लाख मीटरिक टन है।

Allotment of Cooking Gas Agencies in Rajasthan

2090. Shri Lalji Bhai: Will the Minister of **Petroleum** be pleased to state:

(a) whether it has been decided to allot 75 per cent of the cooking gas agencies in Rajasthan to disabled soldiers, war widows, dependents of those killed or lost in action and ex-servicement in accordance with the policy of the Indian Oil Corporation, approved by Government;

(b) if so, whether any percentage of these agencies in Rajasthan has been reserved for scheduled Castes and Scheduled Tribes; and

(c) if so, the full facts in this regard with particular reference to the reservation made for these Castes?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum (Shri Z. R. Ansari): (a) No, Sir.

(b) and (c) 25 per cent of all Indane Gas agencies are at ppresent reserved, on an all India basis, for candidates belonging to Scheduled Castes/Tribes. Due however, to the shortage of LPG, only two new agencies were proposed to be opened in Rajasthan during the last two years. Both these were offered to defence candidates under the policy followed in the past. There are at present no prospects of opening any new agency in Rajasthan in the near future.

रेलगाड़ियों में पीने के पानी की सुविधायें

2091. श्री पी० गंगादेव : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अधिकांश रेल गाड़ियों में पीने के पानी की सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं ;

(ख) क्या उनका मन्त्रालय गाड़ियों में विशेषकर ग्रीष्म ऋतु में पेय जल की सुविधायें प्रदान करने के बारे में कोई कार्यवाही कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) पीने के पानी की सुविधाओं की व्यवस्था परीक्षण के आधार पर केवल चुनी हुई गाड़ियों पर ही की गयी है लेकिन सभी स्टेशनों पर यात्रियों को पीने का पानी देने के लिए पर्याप्त व्यवस्था है।

(ख) हम केवल कुछ और चुनी हुई गाड़ियों पर ही इन सुविधाओं की व्यवस्था के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं।

(ग) इन सुविधाओं में पहले दर्जे के गलियारेदार डिब्बों तथा दूसरे दर्जे के शयन-यानों में पीने के पानी की टंकी की व्यवस्था करना शामिल है।

स्नेहक पदार्थों का उत्पादन और उनकी मांग

2092. श्री भाऊ साहेब धामनकर : क्या पट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्नेहक पदार्थों की कुल क्षमता और उपलब्धता कितनी है ;

(ख) कुल उत्पादन में से बढ़िया किस्म के स्नेहक पदार्थों का उत्पादन कितना होता है और देश में इसकी मांग को कहां तक पूरा किया जा रहा है;

(ग) हिन्दुस्तान पेट्रोकेम कोरपोरेशन की ईंधन तेल शोधक कारखाना विस्तार परियोजना के क्रियान्वयन में कितनी प्रगति हुई है और इसके कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है; और

(घ) क्या स्नेहक पदार्थों के निर्यात की कोई योजनाएं हैं ?

पैट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) देश में ल्यूब बेस तेलों के लिए स्थापित उत्पादन क्षमता लगभग 667,000 मी० टन की है और 1976–77 के दौरान ल्यूब बेस तेलों की उपलब्धता का लगभग 421,000 मी० टन तक का अनुमान है।

(ख) हाई ग्रेड ल्यूब बेस तेलों के उत्पादन का 249,000 मी० टन तक का अनुमान है और अन्य ल्यूब तेल और ल्यूब विशिष्ट के 64,000 मी० टन के आयात द्वारा मांग को पूरा किया जा रहा है।

(ग) ईंधन शोधनशाला की क्षमता बढ़ाने के लिए एक प्रस्ताव हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन से प्राप्त हुआ है और उसकी जांच की जा रही है।

(घ) जी, हां।

निष्ठावान कर्मचारियों के बच्चों की भर्ती के लिए प्रतिशतता में वृद्धि

2093. श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निष्ठावन कर्मचारियों के बच्चों के रोजगार के लिए सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिशतता निष्ठावन कर्मचारियों के योग्य बच्चों की भर्ती के लिए पर्याप्त नहीं है;

(ख) क्या निष्ठावन कर्मचारियों के बच्चों को अधिक अवसर देने के लिए प्रतिशतता में वृद्धि करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है; और

(ग) क्या निष्ठावन कर्मचारियों की सेवाओं को ध्यान में रखते हुए, उनके बच्चों को रोजगार में वयीयता स्थायी तौर से दी जायेगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). जी नहीं।

न्यू मेनपुरी सिताई रेलवे लाइन (पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे) का निर्माण

2094. **श्री बी० के० दास चौधरी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे में न्यू मेनपुरी से सिताई तक एक बड़ी रेलवे लाइन के निर्माण के लिये पूर्वोत्तर सीमान्त रेलवे द्वारा आरम्भ किया गया सर्वेक्षण पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) उपर्युक्त रेलवे लाइन के लिये धनराशि मंजूर करने तथा वास्तविक निर्माण कार्य आरम्भ करने के लिए इस योजना की आगे की कार्यवाही उनका मंत्रालय कब करेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सर्वेक्षण रिपोर्टों के प्राप्त हो जाने तथा इनकी जांच कर लेने के बाद ही इस प्रस्ताव पर आगे विचार किया जायेगा बशर्ते धन उपलब्ध हो ।

मेरठ शटल के लिए डीजल इंजन

2095. **श्री रामभगत पासवान :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न रेलमार्गों का विद्युतीकरण हो जाने के परिणामस्वरूप बहुत से डीजल इंजन फ़ालतू हो गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार 2 एम एम तथा 1 एम एम मेरठ शटल गाड़ियों में डीजल इंजन लगाने का है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां । टूण्डला—गाजियाबाद—नयी दिल्ली खंड के बिजलीकरण के फ़लस्वरूप उत्तर रेलवे पर हाल ही में कुछ डीजल रेल इंजनों को हटा दिया गया है ।

(ख) जी नहीं ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को हालैण्ड की सरकार द्वारा ऋण

2096. **श्री पी० गंगा रेड्डी :** क्या पैट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हालैण्ड की सरकार ने हाल में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को 2 करोड़ रुपये का ऋण दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो ऋण की शर्तें क्या हैं और उसका उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जायेगा ?

पैट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी): (क) और (ख). डच सरकार ने भारत सरकार को ऋण दिया है। इन ऋणों में से कुछ भाग ओ०एन०जी० सी० द्वारा लगभग 21.74 करोड़ रुपये की लागत पर डच फ़र्म से पाइप-लें व डैरिक बार्ज खरीदने के लिए प्रयोग में लगाया जा रहा है । डच ऋण का प्रतिवर्ष 2912 प्रतिशत ब्याज सहित 30 वर्षों की अवधि से ऊपर (8 वर्षों की अवधि की छूट सहित) भुगतान किया जाना है ।

तेल की खोज आगे बढ़ाने के लिए रिगों का आयात

2097. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **पैट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल की खोज आगे बढाने के लिए सरकार ने आठ रिगों को आयात करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका किन देशों से आयात किया जा रहा है और उन पर कुल कितनी धनराशि खर्च होगी ?

पैट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख). दो अमरीकी रिगों जो कि अभी मार्ग में हैं तथा जिनका अनुमानित सी० आई० एफ़० मूल्य 6.98 करोड़ रुपये है (सहायक कल-पुर्जों को छोड़कर), के अतिरिक्त 10 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर (अतिरिक्त सहायक कल पुर्जों सहित) दो रोमानियन रिगों का हाल ही में आर्डर दिया गया है । तथापि देशीय उत्पादन क्षमता को प्रोत्साहन देने के विचार से बी० एच० ई० एल० को सात रिगों की सप्लाई के लिए आशय-पत्र-दिया गया है ।

दक्षिण त्रिपुरा में बरास्ता अगरतला, सालरूम तक जाने वाली रेल लाइन

2098. **श्री एन० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से दक्षिण त्रिपुरा में बरास्ता अगरतला, सालरूम तक रेल लाइन बिछाने के लिये अनुरोध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) :(क) जी हां ।

(ख) धन की अपर्याप्त उपलब्धता और यातायात के औचित्य की कमी को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित रेल सम्पर्क का काम फ़िलहाल शुरू नहीं किया जा सकता ।

राबर्टस मेक्लीन कम्पनी लिमिटेड के उत्पादों का सरकारी क्षेत्र के उर्वरक कारखानों द्वारा उपयोग

2099. **श्री सुबोध हंसदा**: क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उर्वरक कारखाने राबर्टस मेक्लीन कम्पनी लिमिटेड द्वारा बेचे जाने वाले किसी उत्पाद का उपयोग कर रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो 31 जुलाई, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में उनके द्वारा की गई खरीद का कुल मूल्य कितना है ;

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख). मैसर्स रौबर्टस मैक्लीन कम्पनी लि० हीट एक्सचेन्जर ट्यूब तथा मोनारों में पैकिंग और अग्निशयन रिफ़िल्स तथा अग्नि बास्टियों को साफ़ करने की सामग्री के सप्लायर हैं। 31 जुलाई, 1976 को समाप्त होने वाले वर्ष में इस कम्पनी से बहुत कम खरीद की गई है जिसका मूल्य निम्न प्रकार है :—

एफ़ सी आई	रु० 1. लाख
एफ़ ए सी टी	रु० 4,151
राउरकेला फ़र्टिलाइजर प्लांट . .	० 49,500

Facilities to bridge Inspectors of Northern Railway

2100. Shri Mohan Swarup: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:
(a) whether certain facilities have been recommended for the Bridge Inspectors under the Miabhi Award;

(b) whether these facilities have already been made available to the Bridge Inspectors of all the Zonal Railways; and

(c) whether employees of Northern Railway have not been given these facilities?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) No specific recommendation has been made in regard to Bridge Inspectors by the Railways Labour Tribunal, 1969 (Miabhoy Tribunal).

(a) and (c). Do not arise.

विदेशी औषध फर्मों द्वारा अनधिकृत उत्पादन

2101. **श्री नानुभाई एन० पटेल** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान में एन्ड बेकर, फ़ाइजर, हेक्स्ट, सेंडोज द्वारा बनाई गई बहुत सी औषधियां अधिकतर अनधिकृति उत्पादन पर आधारित थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इन कम्पनियों ने आशय-पत्रों को अपने औद्योगिक लाइसेंसों में बदलने से पहले सभी शर्तों को पूरा कर दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार का क्या क्या और शर्तें रखने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी): (क) और (ख). अप्राधिकृत उत्पादन निम्नलिखित दो तरीकों से हो सकता है :--

(i) बिना औद्योगिक लाइसेंस के उत्पादन, और

(ii) स्वीकृत लाइसेंस क्षमता से ऊपर उत्पादन अर्थात् अधिक उत्पादन ।

उपर्युक्त (।) के बारे में कोई घटना सरकार के ध्यान में सही आई है, यदि कोई विशिष्ट घटन सरकार के ध्यान में आई तो विषय पर विधि के अनुसार जांच आदि कार्यवाई की जाएगी ।

लाइसेंस क्षमता से ऊपर अधिक उत्पादन के बारे में कुछ मामले सरकार के ध्यान में आये हैं । इस संबंध में हाथी समिति ने कुछ सिफ़ारिशें की है । इन सिफ़ारिशों पर सरकार द्वारा सक्रीय रूप से विचार किया जा रहा है और इन मामलों पर निर्णय के अनुसार कार्रवाई की जाएगी ।

(ग) और (घ) आशय पत्र में निहित सभी शर्तों को पूरा करने पर ही कम्पनियों को लाइसेंस दिए जाते हैं ।

काली सूची में दर्ज विदेशी औषध कम्पनियां

2102. **श्री भालजीभाई रावजीभाई पटेल** : : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल के वर्षों में 40 प्रतिशत से अधिक इक्विटी पूंजी रखने वाली कुछ विदेशी औषध कम्पनियों के नाम किन कारणों से काली सूची में दर्ज किये गये हैं ;

(ख) क्या ये कम्पनियां अधिक राशि/कम राशि के बीजक बनाने, आयातित कच्ची सामग्री को बेचने तथा नियम विरुद्ध अन्य कार्य करने के लिये दोषी पायी गयीं;

(ग) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों में इन कम्पनियों द्वारा आयात की गई कच्ची सामग्री तथा उन के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के बारे में कोई अध्ययन किया है; और

(घ) यदि हां, तो उस के क्या परिणाम निकले ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) से (ख) 40 प्रतिशत से अधिक साम्य पूंजी वाली किसी भी विदेशी कम्पनी को हाल के वर्षों में आयात एवं निर्यात (नियंत्रण) अधिनियम, 1947 के अधीन काली सूची में दर्ज नहीं किया गया । तथापि एक कम्पनी के बारे आयात व्यापार नियंत्रण संगठन को प्रतिकूल सूचना प्राप्त हुई थी और आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 के आधीन उसके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की गई है और इससे आयात लाइसेंस / सीमा-शुल्क निपटान परमिटो/अप्रैल–मार्च 1975 से अप्रैल–मार्च 1976 के लिए आयातित वस्तुएं आवंटन प्राप्त करने से वंचित कर दिया गया ।

'एथम्ब्टोल बल्क' तथा 'फार्मूलेशनों' का उत्पादन करने वाली कम्पनियाँ

2103. **श्री भालजीभाई रावजीभाई परमार :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, वर्षवार, भारत में कितनी कम्पनियां 'एथमबुटोल बल्क' और इनके 'फ़ामूलेशनों' का उत्पादन कर रही है जो वर्ग 'बी' औषधि है और बल्क ड्रग/फ़ामूलेशनों के लिये इन कम्पनियों की लाइसेंस क्षमता और उनका उत्पादन क्या है ;

(ख) इस औषधि का योजना लक्ष्य क्या है और क्या उपरोक्त कम्पनियों में से किसी ने अपनी लाइसेंस क्षमता से अधिक उत्पादन किया है और आयातित कच्चे माल के रूप में विदेशी मुद्रा का अधिक उपयोग किये जाने पर सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ; और

(ग) क्या किसी राष्ट्रीय प्रयोगशाला ने इसकी प्रौद्योगिकी का विकास करने के लिये कोई प्रगति की है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) : पांचवी योजना के अन्त तक प्रपुंज ईथमब्रूटोल की अनुमानित मांग 20 मीटरी टन प्रति वर्ष होगी। अब तक दो एकको को यानी मैसर्स थेमिस कैमिकल्स एण्ड मैसर्स सिनामिड इण्डिया लिये को इस प्रपुंज औषध का उत्पादन आरम्भ नहीं किया है। इस के लिये अतिरक्त 4 कम्पनियों को 26 मीटरी टन की क्षमता के लिये आशय पत्र दिये गये है। अधिक क्षमता का इसलिये अनुमोदन किया गया है क्यों कि एककों द्वारा इसका उत्पादन आरम्भ करने में बहुत अधिक समय लगने की संभावना है। संगठित क्षेत्र में 3 एकक आयातित ईथमबूटोल पर आधारित सूत्रयोगो का उत्पादन कर रहे हैं। उनको लाईसेंन्सकृत क्षमता तथा पिछले तीन वर्षो के दौरान उत्पादन निम्न प्रकार है :–

(गोलियां 10 लाख की संख्या में)

कम्पनी का नाम	लाईसेंस कृत क्षमता	प्रति वर्ष उत्पादन 1973	1974	1975
सिनामिड इण्डिया लि०	2.5	3.73	4.51	5.17
थेमिस कैमीकल्स थैमिस फ़ार्मास्यूटीलकस	सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।			

मैसर्स सिनामिड का सूत्रयोग का उत्पादन अपनी लाईसेंस कृत क्षमता के मुकाबले अधिक कर रहे है। इस सम्बन्ध में अंतिम निर्णय सरकार हाथी समिति की इस सिफ़ारिश पर निर्णय के बाद लेगी।

(ग) वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के अनुसार इथमबूटोल के लिये जानकारी केन्द्रीय औषध अनुसंधान संस्थान लखनऊ में विकसित की जा रही है।

अशोधित तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात

2104. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1973-74 से 1975-76 तक प्रत्येक वर्ष कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के अशोधित तेल और पैट्रोलियम के उत्पादो का आयात किया गया ;

(ख) वर्ष 1976-77 के दौरान कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के अशोधित तेल और पैट्रोलियम के उत्पादों का आयात करने की योजना है ; और

(ग) क्या सरकार 1980 तक तेल के मामले में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने की आशा करती है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) सूचना निम्नलिखित है :—

वर्ष	अशोधित तेल		पैट्रोलियम पदार्थ	
	मात्रा मिलियन मीटरी टनो में	मूल्य करोड़ रूपये में	मात्रा	मूल्य
1973-74	13.87	416.38	3.55	124.50
1974-75	13.99	917.71	2.74	203.14
1975-76 (अस्थाई)	13.93	1028.29	1.95	178.18
(ख) सूचना निम्नलिखित है :—				
1976-77 (अनुमानित)	13.5	1088.00	2.2	227.60

(ग) इस बात का पूर्वानुमान लगाना कठिन है कि भारत कब तक तेल में आत्मनिर्भर हो जायेगा ।

हिमाचल प्रदेश के लिए प्रथम पेट्रोलियम सप्लाई डिपो

2105. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमाचल प्रदेश राज्य के लिये एक पृथक पेट्रोलियम सप्लाई डिपों की व्यवस्था के बारे में केन्द्रीय सरकार का कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो डिपो कब तक खोल दिये जाने की आशा है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) :(क) और (ख) : जी हां। चालू वित्तीय वर्ष समाप्ति से पहले भारतीय तेल निगम का हिमाचल प्रदेश में परवानू और दमतल स्थानों पर दो बड़े डिपों के निर्माण करने का प्रस्ताव है जहां कि सड़क द्वारा माल पहुंचाया जायेगा।

पुरी से रायपुर और विशाखापत्तनम से बैलाडीला तक गाड़ियों का चलाया जाना

2106. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन मंत्रालय को दक्षिण-पूर्व रेलवे से पुरी से रायपुर (म०प्र०) तक एक एक्सप्रेस गाड़ी और विशाखापतनम् से बेलाडिला (म० प्र०) तक एक सवारी गाड़ी चलाने सम्बन्धी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन लाइनों पर गाड़ियां कब तक चलाई जायेंगी ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) : पुरी और रायपुर के बीच एक एक्सप्रेस गाड़ी चलाने के लिये दक्षिणपूर्व रेलवे की ओर से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन, बाल्तेरू बैलाडिल्ला खण्ड पर एक मिली जुली गाड़ी चलाने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और रेलवे 1–9–1976 से इसे चलाने का विचार रखती है।

उड़ीसा सरकार के उपयोग हेतु रेलवे की भूमि

2107. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने रायगडा शहर के निकट खाली पड़ी रेलवे पटरी की भूमि को उड़ीसा सरकार को विभिन्न प्रयोजनों के उपयोग हेतु देने का प्रस्ताव भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो उन के मंत्रालय द्वारा उड़ीसा सरकार को यह भूमि दिये जाने के लिये क्या शर्तें रखी गई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) : जुलाई 1975 में उड़ीसा की राज्य सरकार ने राया गडा में 273–447 एकड रेलवे भूमि को राजस्व विभाग के पक्ष में छोड़ देने का अनुरोध किया था। अपनी भावी आवश्यकताओं के देखते हुए रेल प्रशासन ने उक्त भूमि को छोड़ने में अपनी असमर्थता व्यक्त की।

इसके बाद फ़रवरी, 1976 में राज्य सरकार ने राया गडा नगर पालिका के अध्यक्ष का एक अनुरोध अग्रेषित किया जिसमें 5 एकड़ रेलवे भूमि देने का अनुरोध किया था। राज्य सरकार को सूचित किया गया था कि उक्त भूमि पर अनिधिकृत रूप से कब्जा कर लिया गया है और राज्य सरकार के पक्ष में उसे त्याग देने में रेल मंत्रालय को कोई आपत्ति नहीं है बशत वह अधिलंधन करने लिये तैयार हो। इससे आगे राज्य सरकार को कोई उत्तर नहीं मिला है। किन्तु दक्षिण पूर्व रेलवे, रायागड़ा की भूमि के लिये अपनी समूची आवश्यकता पर पुनर्विचार कर रही है और यदि इस निर्धारण के उपरान्त कोई भूमि आवश्यकता से अधिक पायी गयी तो वह राज्य सरकार को दे दी जायेगी बशर्ते वह अब भी इसके लिये इच्छुक हो।

Production of Fertilizers

2108. Shri Bhagirath Bhanwar: Will the Minister of **Chemicals and Fertilisers** be pleased to state:

(a) the percentage production of fertilizers in the country vis-a-vis its requirements;

(b) how does the production of fertilizers in the country compare with production in other countries; and

(c) the target of fertilizer production envisaged in the Fifth Five Year Plan?

The Minister of Chemicals and Fertilisers (Shri P. C. Sethi): (a) The requisite information is given below:—

Year	Requirement		Production		% to requirement	
	Nitrogen	P205	Nitrogen	P205	Nitrogen	P205
	(lakh tonnes)		(lakh tonnes)			
1975-76 (Actual)	21·49	4·67	15·35	3·20	71·4	68·4
1976-77 (Estimated)	26·5	6·0	19·5	4·8	73·6	80

There is no indigenous production of potassic fertilizers and the requirements thereof are met entirely through imports.

(b) Production data in regard to other countries is available upto 1974-75. The table below indicates the production in India and in some other countries during 1974-75.

Name of Country	Production ('000 tonnes) Nitrogen	P205
1. India	1185	327
2. Pakistan	310	5
3. China	3090	1302
4. Japan	2340	769
5. U.S.A.	8621	6049
6. Canada	800	734
7. U.K.	884	429
8. U.S.S.R.	7856	3868

(Source : Monthly Bulletin of F.A.O. for March, 1976)

(c) Draft Fifth Plan documents envisages a production target of 40 lakh tonnes of nitrogen and 12.5 lakh tonnes of P205 in 1978-79.

Railway Tracks Damaged by Rains

2109. Shri Bhagirath Bhanwar: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the places where railway tracks were damaged by rains in the last month and the expenditure estimated on their construction and repairs;

(b) whether there are certain places where railway lines are damaged every year by rains and if so, the names of those places; and

(c) whether construction work on permanent basis is proposed to be undertaken there?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways: (Shri Buta Singh): (a) A statement is attached. [*Placed in the Library. See* No. LT-1131/76].

(b) Yes—the affected places are as under:—

S. No.	Railway	Section	Between Stations.
1	Eastern	Patna Jn. - Kiul	Tall Jn. — Rampur Dumna
2	Northern	Suratgarh-Hanuman- garh (Can al loop)	Suratgarh - Sarupsar
3	-do-	Sarupsar-Anupgarh	Ram Singhpur - Anupgarh
4	North Eastern	Mailani-Kauriyala	Causeway between Belrayan-Tikunia

(c) The position is as under :—

S. No.	Section	Position
1	Patna Jn.-Kiul	Remedial measures are being taken and bank is expected to be stabilised gradually.

Language used on Tickets, Coaches and Engines on Trains Running between India and Pakistan

2110. Shri Bhagirath Bhanwar: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) the language and script which will be used for descriptions on tickets, coaches and engines of the trains running between India and Pakistan; and

(b) whether railway tickets of both the countries are similar or uniform?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) the languages used on tickets are English, Hindi and Urdu and the Scripts used are Roman, Devnagri and Arabic. The destinations *i.e.*, Lahore and Amritsar are written on the destination boards in English-Urdu and Hindi. The locomotives of Indian Railways, which work only upto Attari, are painted with locomotive number and owning railway in Hindi on one side and English on the other.

(b) No.

A.C. Coaches and Sleeper coaches for Trains running between India and Pakistan

2111. **Shri Bhagirath Bhanwar:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state.

(a) the total number of trains proposed to be run between India and Pakistan daily and whether I and II Class airconditioned coaches will also be attached with the trains; if so, the number thereof; and

(b) whether dining car and sleeper coaches are also attached or will be attached?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) & (b): With effect from 22-7-76, one pair of daily Express trains has been introduced between Amritsar and Lahore providing two classes of accommodation namely 'Upper', equivalent to the present First class and 'Lower' equivalent to the present second class on the Indian Railways. There is no proposal at present to provide A.C. coaches, Dining Car or sleeper coaches on this train.

तेल खुदाई के लिए टुबुलर्स का प्राप्त किया जाना

2112. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल की खुदाई कार्यों में विश्वपर्यन्त तेजी आ जाने के कारण विश्व के सभी देश बड़े पैमाने पर टुबुलर खरीद रहे है और इकट्ठे कर रहे हैं ;

(ख) क्या तेल की खुदाई तथा खोज कार्यों के विस्तार हो जाने के फलस्वरूप आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये पर्याप्त मात्रा में टुबुलर प्राप्त करने के लिये सरकार ने कदम उठाये है ; और

(ग) देश में ऐसे टुबुलर बनाने की कितनी क्षमता है ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) जी, हां । योजना बद्ध व्यय मीटरेज को ध्यान में रखते हुए वार्षिक आधार पर टुबुलर खरीदे जा रहे हैं ।

(ग) लगभग 340 मीटरी टन प्रतिमास ।

दण्ड देने के लिये निर्धारित प्रक्रिया

2113. **श्री के० एम० मधुकर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई उच्च न्यायालय ने एक मामले (1976 एल आई 934) में यह निर्णय दिया है कि दंड देने की निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन किये बिना किसी भी सरकारी कर्मचारी की पिछली सेवा को समाप्त करने का, जिससे सेवा विच्छेद होता है, दंड नहीं दिया जा सकता; और

(ख) यदि हां, तो क्या मई, 1974 की रेल हड़ताल के दौरान बहुत बड़ी संख्या में रेल कर्मचारियों को दिये गये सेवा विच्छेद के दंड सम्बन्धी मामलों पर न्यायालय के उक्त निर्णय के सन्दर्भ में पुनः विचार किया जा रहा है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख). भारत के नियंत्रक और महा लेखा परीक्षक के कार्यालय के कुछ कर्मचारियों के सम्बन्ध में बम्बई उच्च न्यायालय का निर्णय रेल कर्मचारियों पर लागू नहीं होता जो भारतीय रेलवे स्थापना संहिता में उल्लिखित अपनी निजी सांविधिक व्यवस्थाओं द्वारा शासित होते हैं। लेकिन मई, 1974 की गैर-कानूनी हड़ताल में भाग लेने के कारण कर्मचारियों के हुए सेवाभंग को माफ कर दिया गया है, सिवाय उन कर्मचारियों के जिन पर तोड़-फोड़, हिंसा और डराने धमकाने के आरोप हैं।

ओलावकोट डिवीजन (दक्षिण रेलवे) में यात्री टिकट परीक्षकों (टी०टी०आई०) के लिये शायिकायानों में स्थान

2114. **श्रीमती पार्वती कृष्णन् :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओलावकोट डिवीजन, दक्षिण रेलवे में स्लीपर सेक्शन के यात्री टिकट परीक्षकों (टी०टी०आई०) को शायिकायानों को उपयुक्त स्थान नहीं दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख). जी नहीं। शयन यान में काम करने वाले चल टिकट परीक्षक के लिए एक सीट नियत की जाती है।

जालंधर, दिल्ली और भटिंडा स्थित क्वार्टरों में अपर्याप्त सुविधाएं

2115. **श्रीमती पार्वती कृष्णन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को जालंधर, दिल्ली, भटिंडा और उत्तर रेलवे के अन्य स्टेशनों के रेलवे क्वार्टरों में सफाई की खराब हालत सफेदी न किये जाने और अपर्याप्त सुविधाओं के बारे में कर्मचारियों की ओर से अभ्यावेदन मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां, भटिंडा स्टेशन को छोड़कर।

(ख) सफाई की व्यवस्था करने, कर्मचारियों के क्वार्टरों में सफेदी तथा मरम्मत कराने, सुधार करने जैसी श्रेणी IV के कर्मचारियों में अलग नलके लगाने, अलग टट्टियां तथा स्नान-गृह की व्यवस्था करने, नालियों और सड़कों आदि की मरम्मत करवाने के लिए कर्मचारियों की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। रेल प्रशासन रेलवे क्वार्टरों सहित रेलवे क्षेत्र को साफ सुथरा रखने के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहता है। श्रेणी IV के कर्मचारी क्वार्टरों के मामलों को छोड़कर जहां सफेदी हर वर्ष की जाती है, कर्मचारी क्वार्टरों की सफेदी 2–2½ वर्ष में एक बार की जाती है। क्वार्टरों की मरम्मत जैसे टूटे हुए दरवाजों और खिड़कियों का बदलना, फर्श, नालियों आदि की मरम्मत जब भी आवश्यक होती है, की जाती है और क्वार्टरों को अच्छी हालत में रखने के लिए हर प्रयास किया जाता है।

स्वतंत्रता से पूर्व बनाये गये पुराने किस्म के रेलवे क्वार्टरों में अपर्याप्त सुविधाओं के संबंध में भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। रेल प्रशासन इस समस्या से अवगत है। इन क्वार्टरों में से कुछ में जैसे-जैसे धन उपलब्ध होगा कार्यक्रम के आधार पर आधार भूत सुविधाओं की व्यवस्था की जायगी। उन क्वार्टरों को जिन्होंने अपना सामान्य जीवन काल पूरा कर लिया है और जो कम खर्चीली मरम्मत से परे हैं, को उत्तरोत्तर नये क्वार्टर बना कर बदला जा रहा है। जबकि टाइप I के पुराने क्वार्टर (कम आमदनी वाले कर्मचारियों के लिए) एक कमरे के थे, टाइप I के नये बनाये गये क्वार्टर 2 कमरों के हैं।

जहां कहीं इस समय सामूहिक टट्टियां हैं, ड्राई टाइप टट्टियों की सफाई और अलग-अलग टट्टियों तथा स्नान-गृहों की व्यवस्था भी संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर की जा रही है।

नेपाल को तेल की सप्लाई

2116. **श्री एम० एस० पुरती** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में भारत द्वारा नेपाल को कितना तेल किस मूल्य पर सप्लाई किय गया; और

(ख) क्या नेपाल को यह सप्लाई देश के अपने आरक्षित भंडार से की गई अथवा नेपाल सरकार की ओर से भारत ने इसका प्रबन्ध विशेष तौर पर अरब देशों से किया ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) गत दो वर्षों के दौरान भारत द्वारा नेपाल को सप्लाई किये गये पेट्रोलियम उत्पादों की मात्रा निम्न प्रकार से है :—

वर्ष	मात्रा (मी० टन)
1974	64,001
1975	77,998

जिस मूल्य पर उपर्युक्त मात्रा सप्लाई की गई है उससे सम्बन्धित सूचना का बताया जाना जनहित में नहीं होगा।

(ख) 1974 तक नेपाल की पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई अपने पास उपलब्ध भण्डारों से की गई थी। जनवरी 1975 से आगे नेपाल को सप्लाई नेपाल तेल निगम द्वारा प्रबन्ध की गई आयात के विरुद्ध उत्पाद विनिमय आधार पर की जा रही है।

आप्टा–दसगाँव रेलवे पर कार्य

2117. **श्री शंकरराव सावन्त :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम तट रेलवे के केवल आप्टा-दसगांव सेक्शन पर कार्य आरम्भ करने की मंजूरी देने के लिए योजना आयोग से कहा गया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है; और

(ग) इस सेक्शन पर कार्य कब आरम्भ होगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग). योजना आयोग ने हाल ही में आप्टा-दसगांव सहित नये रेल सम्पर्क बिछाने के लिए कई प्रस्तावों के बारे में अनुरोध किया गया था लेकिन आयोग ने प्रस्तावित रेल सम्पर्कों को इस समय हाथ में लेने के लिए सहमति नहीं दी है। यातायात सर्वेक्षण के परिणामों और वित्तीय मूल्यांकन जिसे चालू वित्तीय वर्ष के दौरान किये जाने का प्रस्ताव है, ज्ञात हो जाने पर इस प्रस्ताव की आगे जांच की जायेगी।

बम्बई महानगरीय रेल परिवहन परियोजना के लिये धन

2118. **श्री राजा कुलकर्णी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पुरी हो जाने के लिये बम्बई महानगरीय रेल परिवहन परियोजना पर स्वीकृति देने का अंतिम रुप से निर्णय कर लिया है; और

(ख) 1976–77 के दौरान इस महानगरीय परियोजना के छठे छिन्न गलियारे (ट्रंकिटेड सिक्योरिडोर) के महत्वपूर्ण भागों के निर्माण के लिए कितनी धनराशि मंजूर की गई है और उसके बाद कितनी प्रगति हुई है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) अभी नहीं।

(ख) योजना आयोग अभी भी इन प्रस्तावों की जांच कर रहा है।

संयुक्त जीनियरी सेवाओं और इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरी सेवाओं के लिये परीक्षा योजना का पुनरीक्षण

2119. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा:** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ लोक सेवा आयोग ने संयुक्त इंजीनियरी सेवाओं और इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरी सेवाओं के लिये परीक्षा योजना पुनरीक्षित कर ली है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इसके कब तक लागू हो जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां, इंजीनियरी सेवाओं के सभी समूहों के सम्बन्ध में।

(ख) यह पुनरीक्षण इंजीनियरी विषयों में लिखित परीक्षा से सम्बंधित है। 1977 से आगे की परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को 10–12 विशेष विषयों में से किन्हीं 7 विषयों में परीक्षा होने के बजाय जैसा कि इस समय किया जाता है, 5 "महत्वपूर्ण विषयों" में परीक्षा ली जायेगी।

फोर्ट मार्केट से रावली कैम्प तक रेल लाइन

2120. **श्री वसन्त साठे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने फोर्ट मार्केट से रावली कैम्प तक रेल लाइन के निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव को योजना आयोग की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और उस पर आयोग की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) यदि उक्त प्रस्ताव पर स्वीकृति न दी गई तो इस मामले में कितनी जल्दी निर्णय किये जाने की सम्भावना है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) कोरिडोर 6 के प्रथम चरण के रूप में, मध्य रेलवे की हार्बर शाखा पर स्थित रावली जंक्शन से फोर्ट मार्किट में एक नये पर्यन्त तक लगभग 11 किलोमीटर की दूरी में एक नयी दोहरी लाइन और साथ ही मध्य रेलवे के हार्बर शाखा को पश्चिम रेलवे की मन्दगति रेल लाइनों से जोड़ने के लिए बान्द्रा में एक रेलवे फ्लाई-ओवर के निर्माण का प्रस्ताव था। इस काम पर अप्रैल 1974 के मूल्य स्तर पर 67.21 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान था।

इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए योजना आयोग द्वारा एक अध्ययन दल का गठन किया गया है और यह योजना अभी विचाराधीन है।

Condition of Railway Main Service Bogies

2121. Shri Ramavatrar Shastri: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the condition of the Railway Mail Service Bogies attached to the Punjab mail and other fast trains is very deplorable;

(b) whether a union of the employees of the Railway Mail Service, Patna has complained in writing to the concerned authorities in this regard; and

(c) if so, the action taken by Government thereon? ....

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) Condition of postal vans is not deplorable.

(b) No complaint appears to have been received recently by the Railway Administration.

(c) However, we are considering a proposal to replace certain overaged coaches.

रेलवे 'होलीडे होम'

2122. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन नगरों में रेलवे के 'होलीडे होम' हैं;

(ख) इन 'होलीडे होम' में रेलवे के अतिरिक्त किन-किन विभागों के अधिकारी और कर्मचारी ठहर सकते हैं; और

(ग) 'होलीडे होम' में विभिन्न वर्गों के अधिकारियों को सुविधाएं प्रदान करने में औसतन कितना समय लगता है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें उन स्थानों के नाम दिये गये हैं जहां अवकाश गृह स्थित हैं।

(ख) रेल कर्मचारियों की मांग पूरी करने के बाद यदि स्थान उपलब्ध रहा तो रेलवे अवकाश गृहों में आवंटन के लिए केन्द्रीय सरकार के अन्य मन्त्रालयों/विभागों के कर्मचारी भी पात्र हैं। रेलों के राजपत्रित अधिकारियों के लिए खोले गये अवकाश गृहों में ऐसे आबंटन के लिए अन्य मन्त्रालय/विभागों के राजपत्रित अधिकारी पात्र नहीं हैं।

(ग) आबंटन के लिए आवेदन पत्र जिस तारीख से आबंटन अपेक्षित हों उससे छः से आठ सप्ताह पूर्व प्रस्तुत किये जाते हैं। स्थान का आबंटन 'पहले आवे पहले पावे' के आधार पर किया जाता है। अतः कर्मचारियों को स्थान उपलब्ध कराने में लगने वाले औसत समय के बारे में बताना कठिन है।

विवरण

1. मसूर (उत्तर रेलवे)
2. शिलांग
3. शिमला
4. पहलगाम
5. श्रीनगर
6. लोनवाला
7. मेथारन

8. इग्गतपुरी
9. पुरी (पूर्व रेलवे)
10. वैद्यनाथ धाम
11. राजगीर
12. बरोग
13. बांद्रा (बम्बई)
14. कोरतल्लम
15. मदुरै
16. मैसूर
17. कोन्नूर
18. रांची
19. नैनीताल
20. मसूरी (पूर्व रेलवे)
21. पुरी (पूर्वोत्तर रेलवे)
22. श्रीनगर
23. पहलगाम } रेलवे के राजपत्रित अधिकारियों हेतु।

वैगनों में अधिक माल लादा जाना

2123. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :**

श्री आर० के० सिन्हा :

क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे सतर्कता संगठन ने कुछ फर्मों द्वारा वैगनों में आवश्यकता से अधिक माल के लदान के बारे में अपनाये जा रहे कदाचार के कुछ मामलों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये; और

(ग) क्या रेलवे को धोखा देने के इस कार्य में कुछ रेलवे कर्मचारी भी शामिल पाये गये थे और यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) इस सम्बन्ध में किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं हुई।

(ग) अब तक ऐसी कोई बात नहीं पायी गयी जिससे कि रेलवे कर्मचारियों का इसमें अन्तर्ग्रस्त होने का पता चलता हो।

बम्बई हाई तेल भण्डारों के विकास के लिये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम से तकनीकी सहायता

2124. **श्री राजदेव सिंह :** क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में बम्बई हाई में पाये गये तेल भण्डारों का विकास करने के प्रयास में अभी स्वीकृत योजना के अन्तर्गत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तकनीकी सहायता दी जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के विशेषज्ञ भारतीय टक्नोलाजिस्टों को बम्बई हाई के भण्डारों का विकास करने के उचित तरीकों का पता लगाने के बारे में सलाह दग ; और

(ग) क्या उक्त विशेषज्ञ बम्बई हाई के प्रत्येक भण्डारों से तेल और गस की अधिकाधिक प्राप्ति के लिये व्यापक विकास योजना तैयार करेंगे ?

पेट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

उर्वरक उत्पादन में पूंजी निवेश

2125. **श्री राजदेव सिंह :** क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करग कि :

(क) क्या 1976-77 में उर्वकों के उत्पादन में 440 करोड़ रुपये का पूंजी निवश किया जायेगा ;

(ख) क्या विद्यमान संयन्त्रों का विस्तार और नये उर्वरक संयन्त्र स्थापित करके अधिक उत्पादन क्षमता बनाई जायेगी ; और

(ग) खर्च के लिये वार्षिक योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री ो० सी० से ो) : (क) 1976-77 के दौरान सरकारी क्षेत्र के उर्वरक संयन्त्रों में लगभग 420 करोड़ रुपये का निवेश होगा।

(ख) सरकारी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में उर्वरकों के निर्माण के लिए देशीय क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक वृहद् कार्यक्रम हाथ में है। इस कार्यक्रम के पूरा होने पर क्षमता में नाइट्रोजन के लिये 65 लाख मीटरी टन और पी$_2$ ओ$_5$ के लिये 17 लाख मीटरी टन की वृद्धि होने की आशा है जबकि वर्तमान क्षमता नाइट्रोजन के लिये 29.73 लाख मीटरी टन और पी$_2$ ओ$_5$ के लिये 6.92 लाख मीटरी टन है।

(ग) 1977-78 और 1978-79 के दौरान लगभग 642 करोड़ के कुल निवेश का अस्थायी अनुमान लगाया गया है।

कुर्ला में सेंट्रल रेलवे स्टाफ (शरणार्थी) से अभ्यावेदन

2126. **श्री के० एम० मधुकर :**

श्रीमती रोजा विद्याधर देशपाँडे :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुर्ला स्थित सेंट्रल रेलवे रिफ्यूजी कालोनी में रहने वाले सेंट्रल रेलवे स्टाफ (शरणार्थियों) से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें अनुरोध किया गया है कि जिन हटमेंट्स में वे स्थाई रूप से रहते हैं वे उन्हें अलाट किये जाएं चूंकि शरणार्थी पुनर्वास विभाग ने उनके लिये कुछ नहीं किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख) कर्मचारी क्वार्टर कार्यरत रेल कर्मचारियों के रहने के लिए बनाये जाते हैं। तदनुसार जब सबन्धित हटमेंटों में रहने वाले कर्मचारी स्थानान्तरित होने पर या सेवा निवृत्त होने पर इन हटमेंटों को खाली करेंगे तो ये दूसरे सेवारत रेल कर्मचारियों को आबंटित कर दी जायेंगी जो आवास की प्रतीक्षा में हैं। अतः जिस अभ्यावेदन का उल्लेख किया गया है उसे अस्वीकृत कर दिया गया है।

नैमित्तिक श्रमिकों तथा किसी के एवज में काम करने वालों (पूर्व रेलवे) की बहाली

2127. **श्री के० एम० मधुकर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के सी० एण्ड डब्ल्यू० विभाग में धनबाद, पाथरडीह, कुसूंडा आदि में औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की शर्तों के अनुसार अनेक नैमित्तिक श्रमिकों तथा एवजी में काम करने वालों को मई 1974 में बहाल किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इन बहालियों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में उपरिपुलों का निर्माण

2128. **श्री के० मलन्ना :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975-76 में कर्नाटक राज्य में कितने रेल उपरिपुलों के निर्माण की मंजूरी दी गई तथा इसके लिए कुल कितनी धनराशि मंजूर की गई; और

(ख) इन परियोजनाओं के निर्माण में कितनी प्रगति हुई है तथा उन पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) कर्नाटक राज्य में 1975-76 के दौरान 20.62 लाख रु० (रेलवे के हिस्से) की अनुमानित लागत पर तीन ऊपरी सड़को पुलों के निर्माण के लिए स्वीकृति दी गयी थी और इसके लिए 1.75 लाख रु० का आबंटन किया गया था।

(ख) ऊपरी सड़क पुलों के लिए, पुल खास का निर्माण रेलों द्वारा किया गया है, जबकि पहुंच मार्गों का निर्माण सड़क प्राधिकारियों द्वारा किया गया है। निर्माण कार्य में जो प्रगति हुई है और उस पर जो व्यय हुआ है (जहां तक रेलों का सम्बन्ध है) वह निम्नलिखित है :—

(1) लोंडा पर ऊपरी सड़क पुल :

टेंडर मांगे जा चुके हैं और उन्हें अन्तिम रूप दिया जा रहा है। रेलों द्वारा स्वीकृति मिल जाने के बाद काम चालू कर दिया जायेगा। अब तक 3.24 लाख रु० की राशि खर्च हो चुकी है।

(2) बेलारी पर ऊपरी सड़क पुल :

निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के लिए सामान इकट्ठा किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग/कर्णाटक ने सरेखण में कुछ परिवर्तनों का सुझाव दिया है जिन पर इस समय विचार किया जा रहा है। राज्य सरकार के साथ अन्तिम निर्णय लिए जाने के बाद ही इस पुल के वास्तविक निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जायेगा। इस कार्य पर रेलवे द्वारा अब तक 1.13 लाख रु० की राशि खर्च की जा चुकी है।

(3) हीरेहल्ली पर ऊपरी सड़क पुल :

निर्माण कार्य अभी तक चालू नहीं किया गया है क्योंकि सड़क प्राधिकारियों ने पहुंच मार्गों पर निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया है। रेलवे सड़क प्राधिकारियों के साथ-साथ निर्माण कार्य पूरा करती जायेगी। अतः रेलवे द्वारा अभी तक कोई व्यय नहीं किया गया।

दहेज विरोधी कानून का उल्लंघन

2129. श्री के० मालन्ना : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दहेज प्रथा के विरुद्ध कानून के उल्लंघन के बारे में राज्यों से कोई रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं; और

(ग) सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० बी० ए० सय्यद मुहम्मद) : (क) एक तारांकित प्रश्न के सम्बन्ध में; जिसका उत्तर लोक सभा में दिया गया था, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से यह अनुरोध किया गया था कि वे अन्य बातों के साथ यह जानकारी भी दें कि उन्हें 1975 के दौरान दहेज सम्बन्धी कितने मामलों की रिपोर्टें मिली हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है, जिसमें उन राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के नाम दिए गए हैं, जिन्होंने सुसंगत जानकारी प्रस्तुत की है।

(ग) सरकार, राज्य सरकारों से प्राप्त उत्तरों, उनके द्वारा किए गए संशोधनों और भारत में स्त्रियों की परिस्थिति सम्बन्धी समिति और अन्य व्यक्तियों आदि द्वारा दिए गए सुझावों को दृष्टि में रखते हुए दहेज प्रतिषेध अधिनियम में संशोधन करने के प्रश्न पर विचार कर रही है।

विवरण

राज्य सरकारें

1. आन्ध्र प्रदेश
2. आसाम
3. गुजरात
4. हरियाणा
5. हिमाचल प्रदेश
6. जम्मू-कश्मीर
7. कर्नाटक
8. केरल
9. महाराष्ट्र
10. मणिपुर
11. मेघालय
12. उड़ीसा
13. उत्तर प्रदेश
14. सिक्किम

संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन

1. अन्दमान और निकोबार द्वीप
2. अरुणाचल प्रदेश
3. चण्डीगढ
4. दादरा और नागर हवेली

5. दिल्ली

6. गोवा; दमन और दीव

7. लक्षद्वीप

8. मिज़ोरम]

9. पांडिचेरी]

मामलों के निपटान के बारे में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की समितियाँ

2130. **श्री आर० के० सिन्हा :**

श्री बसन्त साठे :

क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को न्यायालयों में मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिये उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की समितियां नियुक्त करने को कहा है; और

(ख) उस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) मामलों के विचारण और अन्वेषण के सम्बन्ध में हुई प्रगति का पुनर्विलोकन करने और उपचार सम्बन्धी ऐसे उपायों का, जिनकी अत्यन्त आवश्यकता हो, सुझाव देने के लिए जिला और राज्य स्तर पर समितियां गठित करने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया था। राज्य सरकारों के ध्यान में यह बात भी लाई गई थी कि कुछ उच्च न्यायालयों ने अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या का पुनर्विलोकन करने के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की समितियां गठित की हैं। कतिपय अन्य उपायों के साथ ही राज्य सरकारों को उक्त उपाय का भी सुझाव दिया गया था।

(ख) उक्त सुझाव जुलाई, 1976 के अन्तिम सप्ताह में ही भेजा गया है। राज्य सरकारों से उनकी प्रतिक्रियाएं अभी प्राप्त नहीं हुई हैं।

विदेशों में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा छिद्रण कार्य किया जाना

2131. **श्री आर० के० सिन्हा** : क्या पैट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्व के उन देशों के नाम क्या हैं जिनमें तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग गैस आयोग संयुक्त रूप से छिद्रण कार्य कर रहा है; और

(ख) प्रत्येक मामले में छिद्रण कार्य में कितनी प्रगति हुई है ?

पैट्रोलियम मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख). ओ० एन० जी० सी० विदेशों में संयुक्त व्यवसाय का कार्य नहीं कर रहा है।

नामरूप दुर्गापुर उर्वरक संयन्त्रों स्केलिंग सम्बन्धी समस्याएं

2132. **श्री रानेन सेन :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नामरूप और दुर्गापुर उर्वरक संयन्त्रों को हाल ही में कुछ 'स्केलिंग' सम्बन्धी समस्याओं का सामना करना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप कन्डन्सर, बायलर और ट्यूबों में जंग लग गयी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) भारतीय उर्वरक निगम के दुर्गापुर प्लांट में प्रारम्भ अवस्था में शीतल करने वाले जल में लवण के कारण हीट ऐक्सचेन्जर ट्यूबों में स्केलिंग की समस्या उत्पन्न हुई थी । परन्तु एफ० सी० आई० के दुर्गापुर या नामरूप प्लांटों में स्केलिंग समस्या उत्पन्न नहीं हुई थी जिसके फलस्वरूप कन्डसरों या बायलरों में जंग लग गया हो ।

शालीमार वर्क्स लिमिटेड

2133. **श्री रानेन सेन :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने शालीमार वर्क्स लिमिटेड का कुछ रिकार्ड जब्त किया था; और

(ख) क्या इस मामले की जांच पूरी कर ली गई है और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य उपमन्त्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने शालीमार वर्क्स लिमिटेड का कुछ रिकार्ड जब्त किया था । केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच पूर्ण हो चुकी है एवं उसने अपराधी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप-पत्र प्रस्तुत कर दिये हैं । कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 237(ख) के उपबन्धों के अन्तर्गत जांच प्रगति पर है ।

Length of Railway lines in Bihar State

2134. Shri Chiranjib Jha: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

The length in kilometres of broad gauge, metre gauge and narrow gauge railway lines in Bihar State?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): The route kilometres of railway lines in Bihar is:

Broad Gauge	3179 kms.
Metre Gauge	1929 Kms.
Narrow Gauge	277 Kms.

अहमदाबाद में पश्चिम रेलवे का मुख्यालय स्थापित करने के बारे में निर्णय

2135. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अहमदाबाद में पश्चिम रेलवे का मुख्यालय स्थापित करने के बारे में कोई अन्तिम निर्णय किया गया है ?

रेल मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : इस मामले पर विचार किया गया है और पश्चिम रेलवे के मुख्यालय को बम्बई से बदलने का कोई औचित्य नहीं पाया गया है।

रेल कर्मचारियों की सहकारिताओं को खाली भूमि का आवंटन

2136. **श्री हरी सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में रेलवे की खाली भूमि को मकानों के निर्माण के लिये रेल कर्मचारियों की सहकारिताओं को देने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उन सहकारिताओं का ब्यौरा क्या है और निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री बूटा सिंह) :(क) रेलवे की खाली भूमि जिसकी रेलवे के उपयोग के लिए आवश्यकता नहीं है का निम्नलिखित उपयोग किया जाता है :--

1.1 अधिक अन्न उपजाओ प्रयोजन के लिए--सामान्यत: स्टेशनों के बीच की भूमि अधिक अन्न उपजाओ प्रयोजन के लिए राज्य सरकार को सौंप दी जाती है और जिस क्षेत्र की राज्य सरकार को भूमि की आवश्यकता नहीं होती उसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों के तथा अन्य गरीब भूमिहीन बाहरी व्यक्तियों तथा रेल कर्मचारियों को पट्टे पर दे दी जाती है।

स्टेशन यार्डों तथा कालोनियों के बीच की भूमि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के रेल कर्मचारियों और अन्य गरीब भूमिहीन किसानों को पट्टे पर दे दी जाती है। ऐसे मामलों में जहां इन कोटियों के कर्मचारियों को भूमि की आवश्यकता नहीं होती, इसे बाहरी व्यक्तियों को पट्टे पर दे दिया जाता है।

1.2 पेड़ लगाने के लिए।

1.3 रेलवे कालोनियों में भूमि कल्याण संगठनों को स्कूल चलाने, रेलवे सहकारी भण्डार, हस्तकला केन्द्रों, होमियोपैथी डिस्पैंसरियां आदि खोलने के लिए कल्याण संगठनो को भी दी जाती हैं।

2. रेलवे की आवश्यकता से फ़ालतू भूमि और जिसकी किसी अन्य केन्द्रीय सरकारी विभाग या राज्य सरकार किसी को भी आवश्यकता नहीं होती, को रेल कर्मचारी सहकारी समितियों को मकान बनाने के लिए छोड़ दी जाती है।

(ख) अब तक जिन स्थानों पर रेल कर्मचारी-सहकारी समितियों को रेलवे भूमि देने का अनुमोदन किया गया है वे इस प्रकार हैं :—

(i) कानपुर में पूर्वोत्तर रेलवे कर्मचारी हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड के लिए,

(ii) झूसी में रेलवे मेन्स सहकारी समिति के लिए,

(iii) धारवाड़ में रेलवे एम्पलाइज कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड तथा रेल मैन कोआपरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड के लिए।

Dismissal of Railway Employees during Emergency under D.A.R.

2137. Shri Ramavatwar Shastri: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Railway employees have been dismissed from Railway service in various zonal Railways by the Railway Administration under Section 14(2) of Dscipline and Appeal Rules after the proclamation of emergency;

(b) if so, Railway-wise number of such employees;

(c) the number of dismissed employees, Railway-wise, who have made appeals and results thereof; and

(d) the minimum and the maximum period of service rendered by such dismissed employees?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Decision taken at AIRF Annual Conference.

2138. Shri Ramavatar Shastri: Wlil the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether All India Railwaymen's Federation held its annual conference in the beginning of July, 1976;

(b) if so, whether Government are aware of the decisions taken at the conference; and

(c) the reaction of Government thereto?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) Yes.

(b) and (c) A copy of the Resolutions passed by the Federation has been received. The Resolutions cover a wide range of issues and are receiving consideration.

Agreement with Management of Arrah-Sasaram and Fatuha-Islampur Light Railways

2139. **Shri Ramavatar Shastri:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the Railway administration had signed last year an agreement with the management of Arrah-Sasaram and Fatuha-Islampur Light Railway on the continuance of its operation;

(b) if so, the salient features thereof;

(c) the amount Government have already given to the management by way of assistance;

(d) whether the employees of this Railway have not been paid salaries for past several months; and

(e) if so, the action taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) The Central Government (Ministry of Railways) had entered into a supplementary agreement with the Arrah-Sasaram Light Railway Company on 8-9-75, valid for a period of three years commencing from 1-4-75. There already exists an Agreement between Secretary of State (now President of India) and the Futwah-Islampur Light Railway Company which was entered into on 3-9-1920.

(b) Kindly see details in statement placed at Annexure 'A'. [*Placed in Library. See* No. LT-11318/76].

(c) Kindly see details in statement placed at Annexure 'B'. [*Placed in Library. See* No. LT-11318/76].

(d) No. Only one month's salary for staff excluding traffic and General Department has fallen due in the middle of the current month and is outstanding for both the Railways.

छः औषध फर्मों के बारे में अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय

2140. **श्री नानूभाई एन० पटेल :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री छः अमरीकी औषध फ़र्मों पर मुकदमे चलाये जाने के बारे में 30 मार्च, 1976 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1564 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा दायर लेख याचिका के विरूद्ध अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय के विरूद्ध भारत सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(ख) उपर्युक्त छः कम्पनियों पर किस आधार पर मुकदमे चलाये गये थे और मामले की पैरवी पर कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई; और

(ग) उन छः कम्पनियों पर कितनी धनराशि के लिये मुकदमा चलाया गया ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) अमरीकी उच्चतम न्यायालय ने अपने 9 जनवरी, 1976 के निर्णय में, अपने नागरिकों के सरकारी प्रतिनिधि के रूप में भारत सरकार के दावे को मानने से इन्कार कर दिया। तदनुसार प्रतिवादियों से औषधों की खरीद करने में देश के नागरिकों द्वारा उठाई गई हानि का दावा भारत सरकार नहीं कर सकेगी, तथापि यह निर्णय भारत सरकार को औषधों की सीधी खरीद करने से हुई हानि का दावा करने से नहीं रोकता है। सरकार को हुई हानि के दावे पर अमेरिकी न्यायालय में कार्रवाही की जा रही है।

(ख) सालेट समिति (यू०एस०ए०) द्वारा की गई जांच के आधार पर यह पता लगा था कि पांच अमेरिकी कम्पनियां, अर्थात् फ्राइज़र, साइनामाइड, ब्रिस्टल, स्क्विब और अपजौन, अमेरिकी सहायता के अन्तर्गत कुछ औषधो (ब्रौड स्पैक्ट्स एन्टीबायोटिक्स) की सप्लाई करके अथवा दुरभिसंधि से अपने मूल्यों को निर्धारित करके अन्य खरीद के माध्यम से विदेशी खरीद कर्त्ताओं से अधिक मूल्य ले रहे थे और इस प्रकार (यू०एस०ए०) में लागू शेरमैन एन्टी-ट्रस्ट कानून का उल्लंघन कर रहे थे। भारत इन फ़र्मों से 1953 से ब्रौड स्पैक्ट्रम एन्टीबायोटिक्स का आयात कर रहा था। 31 जुलाई, 1976 के अन्त तक कानूनी फ़ीस के रूप में 7.4 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा व्यय की जा चुकी है।

(ग) शिकायत में दावे की राशि नहीं दर्शायी गई है क्योंकि उसको मामले की सुनवाई के दौरान मूल्यांकन के लिये छोड़ दिया गया है।

कोयले, डीजल तथा बिजली से चलने वाले उपयोग में आ रहे इंजन

2141. **श्री शंकरराव सावन्त** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले, डीजल तथा बिजली से चलने वाले कितने इंजन इस समय उपयोग में हैं;

(ख) क्या कोयले से चलने वाले इंजनो के स्थान पर डीजल अथवा बिजली के इंजनों का प्रयोग प्रारम्भ करने के लिये कोई कार्यक्रम नियत किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) इस समय 8,443 भाप इंजन, 1,815 डीजल इंजन और 821 बिजली इंजन परिचालन में हैं।

(ख) और (ग). भाप इंजनो का उत्पादन बंद कर दिया गया है और गतायु, अप्रचलित तथा अलाभप्रद भाप इंजनों को धीरे-धीरे केवल डीजल या बिजली रेल इंजनों में बदला जा रहा है।

Shifting of Deputy D.S. Office to Sonepur (North Eastern Railway)

2142. **Shri G. P. Yadav**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the office of the Deputy Divisional Superintendent of Samastipur Division on the North Eastern Railway has been shifted from Samastipur to Sonepur; and

(b) if so ,the reasons therefor?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) Yes.

(b) Samastipur Division being the heaviest metre gauge division on Indian Railways, it was considered that from operational/commercial angles, it would be more useful for Deputy Divisional Superintendent to function with headquarters at Sonepur under the overall administrative control of Divisional Superintendent, Samastipur.

Broad Gauge Line from Barauni to Katihar (North Eastern Railway)

2143. Shri G. P. Yadav: Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government have under consideration a scheme to lay broad gauge railway line from Barauni to Ktihar on the North Eastern Railway; and

(b) if so, the time by which the work of laying the railway line is likely to be completed?

The Deputy Minister in the Ministry of Railways (Shri Buta Singh): (a) & (b). Engineering-*cum*-traffic surveys for this conversion have been completed. It is however proposed to take a decision on taking up this conversion after substantial progress is achieved on Barabanki-Samastipur and New Bongaingaon-Gauhti MG to BG conversion projects, which are in progress.

पैट्रोलियम व्यापारियों की कमीशन बढ़ाये जाने पर उठाई गई आपत्तियाँ

2144. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **पैट्रोलियम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय पैट्रोलियम व्यापारियों और अनेक राज्य एसोसिएशनों ने 1 जुलाई, 1976 से पैट्रोलियम विक्रेताओं की कमीशन बढाने सम्बन्धी सरकार के हाल ही के निर्णय पर आपत्तियां की हैं;

(ख) क्या अखिल भारतीय पैट्रोलियम व्यापारियो/विक्रेताओ की शिकायतो को सुनने और दूर करने के लिये जुलाई, 1976 में कोई उच्च स्तरीय बैठक हुई थी; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले ?

पैट्रोलियम मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) से (ग). डीलरो और उनके संगठनों से 1-7-76 से लागू किये गये मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल पर कमीशन की दरो में संशोधन के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। तेल मूल्य निर्धारण समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों ने डीलरो के संगठनों और अखिल भारतीय पैट्रोलियम व्यापारी फ़ैडरेशन के प्रतिनिधियो के साथ 14 जुलाई, 1976 को सविस्तार विचार विमर्श किया। संगठनो द्वारा उठाये गये प्रश्नों पर तेल मूल्य निर्धारण समिति विचार कर रही है। समिति की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। संगठनों को तदनुसार सूचित कर दिया गया है।

महिलाओं के लिये विविध व्यवसाय

2145. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उच्च न्यायालयों में कितने प्रतिशत महिला न्यायाधीश है और क्या उच्चतम न्यायालय में कोई महिला न्यायाधीश है ; और

(ख) महिलाओं को विधि व्यवसाय अपनाने के लिये प्रोत्साहित करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री एच० आर० गोखले) : (क) कुल 351 न्यायाधीशों में से केवल एक महिला उच्च न्यायालय की न्यायाधीश है। उच्चतम न्यायालय में कोई महिला न्यायाधीश नहीं है।

(ख) मुख्य मंत्रियों से अनुरोध किया गया था कि उच्च न्यायालयों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिये प्रस्ताव भेजते समय, न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त किये जाने के लिये यदि कोई उपयुक्त महिला अधिक्ता न्यायिक आधिकरी हों तो, उनके नामो पर भी विचार किया जाये और उनकी सिफ़ारिश की जाए।

भविष्य में तट पर खोज कार्य क्रम के लिये वित्तीय कठिनाइयाँ

2146. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या पैट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) धनराशि की कमी के कारण भविष्य में तट पर खोज कार्यक्रम रूक गये है !

(ख) क्या वर्तमान रिगों की छिद्रण क्षमता 3,000 मीटर से अधिक नहीं है ;

(ग) क्या कुछ क्षेत्रों को छोडा गया है, यदि हां, तो इसके क्या कारण है, और

(घ) तट पर खोज कार्य तेज करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पैट्रोलियम मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं, ओ एन जी सी के पास 3000 मीटर की गहराई से अधिक तक खुदाई करने में समर्थ अनेक रिग हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) ओ एन जी सी अपने अपतटीय प्रयासों की उपेक्षा किये बिना तेल की अत्यधिक सम्भावना वाले तटवर्ती क्षेत्रों में तेल अन्वेषण कार्यकलापों को गहन कर रहीं है। जहां आवश्यकता हो, अन्वेषी व्यधन कार्य के लिये नये रिग प्राप्त किये गये हैं और किये जा रहे हैं।

विदेशों में भारतीय कम्पनियाँ

2147. **श्री एच० एन० मुकर्जी** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री** मंत्री यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) 31 मार्च, 1976 की विदेशी में चल रही भारतीय कम्पनियों की संख्या कितनी थी ; और

(ख) उस तारीख को विदेशो में इन कम्पनियो की कुल आस्तियां कितनी थी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय मे उपमन्त्री (श्रीवेदव्रत बरुआ) : (क) तथा (ख)। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, 31-3-1976 तक भारतीय कम्पनियों विदेशों में 67 संयुक्त उपक्रमों का संचालन कर रही थीं, जो उत्पादन कर रहे हैं। उनके द्वारा अनुमोदित साम्य हिस्सा भाग ग्रहण 15.20 करोड़ रूपयो की राशि का था।

विदेशी औषधि कम्पनियों द्वारा फार्मूलेशन का बनाया जाना

2148. **श्री भालजी भाई रावजी भाई परमार :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी साम्य पूंजी वाली कम्पनियों द्वारा बनाये गये फार्मूलेशनों का विवरण क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में ऐसे फार्मूलेशन का कितना उत्पादन हुआ और किस साधन से कच्चा माल प्राप्त किया गया है;

(ग) क्या विभिन्न लागू नियमों के उपबन्धों के अधीन ऐसी कम्पनियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का सरकार का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) 26 प्रतिशत से अधिक विदेशी पूंजी वाली कम्पनियों की संख्या 59 है और उनके द्वारा एन्टीबायोटिक्स सल्फा संक्रामण अवरोधियों विटामिनों तपेदिक रोधी और मलेरिया अवरोधों जैसी प्रमुंज औषधों पर आधारित सूत्रयोगों की संख्या हजारों में है। इन कम्पनियो के नाम तथा 1973–1974, 1975 के दौरान उनके द्वारा उत्पादित सूत्रयोगों का मूल्य संलग्न विवरण पत्र में दिये गये हैं [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 11319/76]। कच्चे माल के साधन हैं (i) प्रमुंज औषधों का उनका अपना उत्पादन (ii) प्रमुंज औषधों के अन्य उत्पादकों से प्रमुंज औषधें प्राप्त करना (iii) स्टेट कैमीकल्स एंड फार्मास्यूटीकल्स कार्पोरेशन तथा इन्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटीकल्स लि० से प्राप्त आयातित/सरणीबद्ध प्रमुंज औषधें और (iv) सीधा आयात।

(ग) और (घ). सम्बद्ध नियमों के अन्तर्गत कार्रवाई करने का प्रश्न तब उठता है जबकि ऐसे नियमों का उल्लंघन किया गया हो। उल्लंघन का कोई उदाहरण सामने आया था सरकार के नोटिस में लाया गया तो सम्बद्ध विषय पर कानून के अनुसार उसकी जांच की जायेगी और उस पर कार्रवाई की जायेगी।

राजस्व की चोरी की रोकथाम के लिये अभियान

2149. **श्री रघुनन्दनलाल भाटिया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग ने हाल ही में राजस्व की चोरी की रोकथाम के लिये कोई अभियान चलाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या अभियान सफल रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख). जी हां।

(ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राजस्व में कमी मुख्य रूप से (क) बिना टिकट यात्रा तथा (ख) क्षतिपूर्ति के दावों के भुगतान के कारण होती है। (2) (क) बिना टिकट यात्रा के संबंध में बिना टिकट यात्रा को रोकने के लिए कई उपाय किये गये हैं और इसके परिणाम स्वरूप रेलवे के राजस्व में काफी बढ़ोतरी हुई है जैसा कि नीचे दिखाया गया है]:—

	1-7-74 से 30-6-75 की अवधि के दौरान	1-7-75 से 30-6-76 की अवधि के दौरान
(1) बिना टिकट यात्रियों या अनुपयुक्त टिकटों पर यात्रा करते पाये गये व्यक्तियों की संख्या .	18.49 लाख	24.84 लाख
(2) बिना बुक किये माल के मामलों की संख्या .	11.16 लाख	15.73 लाख
(3) रेलवे को बकाया वसूल की गयी राशि .	346.78 लाख	479.09 लाख

वसूल की गयी बकाया राशि में लगभग 38 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बिना टिकट यात्रा को समाप्त करने के लिए किये गये उपायों के फलस्वरूप टिकट खिड़कियों पर टिकटों की बिक्री तथा आय में काफी वृद्धि हुई है। इस प्रकार 1974-75 के प्रतिमास लगभग 34 करोड़ रुपये की औसत आय की तुलना में अप्रैल से जून 1976 तक की अवधि में औसतन लगभग 50 करोड़ रुपये की मासिक आय हुई।

(ख) चोरी, उठाईगीरी तथा अन्य मामलों के कारण दावों की घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से भारतीय रेलों पर सशक्त दावा निरोधक अभियान चलाया गया है। इस अभियान के फलस्वरूप 1 जुलाई 75 से 30 जून, 1976 तक की अवधि में 5,78,175 दावे पंजीकृत किये गये जबकि 1 जुलाई 1974 से 30 जून 1975 के दौरान इनकी संख्या 6,93,044 थी जो नये दावों में 16.5 प्रतिशत कमी का द्योतक है।

ईरान से अशोधित तेल का आयात

2150. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :** क्या पैट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने गत वर्ष ईरान से कितने अशोधित तेल का आयात किया;

(ख) क्या इस वर्ष ईरान से और अशोधित तेल का आयात करने सम्बन्धी व्यवस्था को अन्तिम रूप दिया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

पैट्रोलियम मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग). प्राईवेट तेल कम्पनियों द्वारा ईरान से अशोधित तेल के आयात के अतिरिक्त नेशनल ईरानियन आयल कम्पनी के साथ किये गये ठेके के अन्तर्गत 1975 में ईरान से कुल 3.4 मि० मी० टन अशोधित तेल का आयात किया गया था। इस वर्ष लगभग उतनी ही मात्रा में एन आई ओ सी से खरीदने की आशा है।

नेशनल कम्पनी लिमिटेड

2151. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्री आर० एन० गोयन्का और उनके सहयोगियों की नेशनल कम्पनी लिमिटेड के मामलो में किस प्रकार की और कितनी धनराशि की हेराफेरी के लेनदेन का पता चला है; और

(ख) इस कम्पनी के प्रबन्ध को अपने हाथ में लेने और इस प्रयोजन के लिए निदेशक नियुक्त किये जाने सम्बन्धी सरकार के निर्णय के तात्कालिक कारण क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्प ी कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : (क) कम्पनी के प्रबन्ध ने विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त किया था जो श्री आर० एन० गोयन्का के प्रभाव या नियन्त्रणाधीन थे उन विभिन्न सार्थों को कम्पनी को कच्चे जूट की आपूर्ति के प्रकट उद्देश्य के लिए, अग्रिम धन देने में इन राशियों का बेईमानी से उपयोग किया गया था। कम्पनी ने कतिपय वितरणकर्ताओं को ऋणमुक्त अग्रिम धन के रूप में भी धन दिया, जबकि इन पार्टियों को न तो कम्पनी को कच्चे जूट की आपूर्ति के लिए इतने धन की और ना ही कच्चे जूट की आपूर्ति के व्यापार को करने के लिए आवश्यकता थी किन्तु इनको केवल कम्पनी की निधियों में परिवर्तन के लिए अस्तिव में रखा गया था। श्री गोयन्का द्वारा इण्डियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड के मध्यस्थों द्वारा जो पार्टियों द्वारा धन लेते थे जिनको कम्पनी द्वारा अग्रिम धन दिया जाता था, शेयरों को खरीदने के लिए काफी अग्रिम धन का प्रयोग किया गया था। श्री गोयन्का से सम्बधित पार्टियों को कम कीमत पर बिक्री की गई। प्रबन्ध ने उसके पास रखे स्टाक के गलत विवरण को देकर स्टेट बैंक आफ इण्डिया को धोखा दिया है।

(ख) उद्योग (विकास और विनियम) अधिनियम, 1951 की धारा 18कक के अन्तर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरकार ने नेशनल कम्पनी लिमिटेड के प्रबन्ध को लेने के लिए व्यक्तियों के निकाय को प्राधिकृत किया है, जैसा कि सरकार को सन्तोष था कि औद्योगिक उपक्रम अर्थात् नेशनल कम्पनी लिमिटेड के प्रभारी व्यक्ति निधियों के मोड द्वारा उस स्थिति को लाये थे जिसके द्वारा उक्त औद्योगिक उपक्रम में उत्पादन के प्रभावित होने की सम्भावना थी। और इस प्रकार की स्थिति से इसका बचाव आवश्यक था।

मैसर्स ईस्ट एंग्लिया प्लास्टिक (इण्डिया) लिमिटेड

2152. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या इस आरोप के आधार पर कोई निरीक्षण किया गया है कि जहां तक कम्पनी के विवरण-पत्र में 19 सितम्बर, 1956 के सहयोग करार का उल्लेख है और जहां तक वह इस तथ्य को छिपाता

है कि भारत सरकार ने 25 जून, 1956 को पूंजी सम्बन्धी मामलों पर सम्मति दी थी, और 18 जुलाई, 1956 को आयात लाइसेंस दिया था। मैसर्स ईस्ट एंग्लिया प्लास्टिक (इण्डिया) लिमिटेड का विवरण-पत्र कपटपूर्ण है ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बेदब्रत बरुआ) : इस कम्पनी की लेखा-बहियों का कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(4) के अन्तर्गत निरीक्षण अक्तूबर/नवम्बर, 1974 में किया गया था, एवं माननीय सदस्य द्वारा निर्देशित आरोप निरीक्षण रिपोर्ट में प्रमाणित नहीं हुआ था।

विकलांग रक्षा कर्मचारियों को यात्रा सम्बन्धी रियायतें

2153. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विकलांग रक्षा कर्मचारियों को उनकी देश के प्रति सेवा को देखते हुए रेल यात्रा में कुछ रियायतें देना चाहती है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख). जिन व्यक्तियों के निचले अग्रांग कार्य करने में असमर्थ हों, ऐसे विकलांग व्यक्तियों को तथा अन्धे व्यक्तियों को जिनमें ऐसे अपंग रक्षा कर्मचारी शामिल हैं पहले से ही रेल यात्रा सुविधा उपलब्ध है। किसी अन्य अपंगता के लिए रक्षा कर्मचारियों को यात्रा सुविधा दिये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पांचवीं योजना के दौरान नई रेल लाइनें बिछाने में रेलवे की असमर्थता

2154. **श्री सोमनाथ चटर्जी :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने 19 जून, 1976 को बम्बई में समाचारपत्रों के प्रतिनिधियों को यह बताया था कि वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण रेलवे विभाग पांचवीं योजना के दौरान नई रेल लाइनें नहीं बिछा पायेगा; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं।

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) और (ख). रेल मन्त्री ने अपने प्रेस सम्मेलन के दौरान आर्थिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए अपेक्षित नयी लाइनों को छोड़कर पांचवीं योजना में और अधिक नयी नयी रेल लाइनों का निर्माण हाथ में लेने में संसाधनों की कमी और कठिनाई के बारे में एक सामान्य बयान दिया था।

धरंगधर-कुडा साल्ट साईडिंग को बड़ी लाइन में परिवर्तित करना (पश्चिम रेलवे)

2155. **श्रीमती रोजा विद्याधर देशपाँडे :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें तथा अन्य रेल अधिकारियों को ऐसा कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें पश्चिम रेलवे स्थित धरंगधर कुडा साल्ट साईडिंग को मीटर गेज से बड़ी लाइन में परिवर्तित करने का अनुरोध किया गया है; यदि हां तो उस पर क्या निर्णय किया गया है; और

(ख) क्या 21 किलोमीटर लम्बी इस साइडिंग को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने पर आने वाली लागत का कोई अनुमान लगाया गया है; यदि हां, तो इस पर कितनी लागत आयेगी ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बूटा सिंह) (क) जी हां।

(ख) मोटे तौर पर किये गये मूल्यांकन के अनुसार मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने पर लगभग 72.23 लाख रुपये की लागत आयेगी और इसलिए इस प्रस्ताव का वित्तीय दृष्टि से औचित्य नहीं है।

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के अधिकारियों द्वारा विदेशों का दौरा

2156. **श्री सोमचन्द सोलंकी :** क्या **रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन ड्रग्स एण्ड फ़ार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के प्रबन्ध-निदेशक तथा अन्य कुछ सरकारी अधिकारियों ने इण्डियन ड्रग्स एण्ड फ़ार्मास्युटिकल्स लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लिमिटेड के लिये प्रौद्योगिकी की खोज हेतु हाल ही में विदेशों का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो उनके दौरे के क्या परिणाम निकले, उनके दौरे पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई और इस खर्च को किस स्रोत से वहन किया गया; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान इण्डियन ड्रग्स एण्ड फ़ार्मास्युटिकल्स लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लिमिटेड कितनी बल्क औषधियों के लिये प्रौद्योगिकी प्राप्त कर सके ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) कुछ औषधों के लिये तकनीकी जानकारी का पता लगाने के लिये आई० डी० पी० एल० के प्रबन्ध निदेशक तथा दो तकनीकी विशेषज्ञों का एक प्रतिनिधि मण्डल जून जुलाई, 1976 में विदेशों में गया था। सचिव (रसायन एवं उर्वरक) भी जो आई० डी० पी० एल० के प्रतिनिधि मण्डल के दौरे के दौरान रोम में खाद्य एंव कृषि आयोग की उर्वरक पर बैठक में भाग ले रहे थे प्रतिनिधि मण्डल के साथ कुछ प्लाट देखने गये थे।

(ख) आई० डी० पी० एल० का प्रतिनिधि मण्डल निकोटीनामाईड निकोटिनिक ऐसिड और मेथाईल ईथिल पाइरिडाइन के लिये तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिये समझौते को पूरा करने में सफ़ल हुआ और कुछ संश्लिष्ट औषधों और एन्टी बायोटिक्स के लिये तकनीकी जानकारी प्राप्त करने के लिये भी बातचीत की गई।

आई० डी० पी० एल० ने अपने प्रतिनिधि मण्डल पर 3194 अमरीकी डालर की विदेशी मुद्रा व्यय की। सचिव के विदेश जाने पर व्यय सरकार द्वारा किया गया था।

(ग) आई० डी० पी० एल० तथा एच० ए० एल० द्वारा गत तीन वर्षों में प्राप्त की गई तकनीकी जानकारी निम्न प्रकार है :—

आई० डी० पी० एल० :—निकोटीनामाईड निकोटिनिक एसिड मेथाईल इथिल पाइरिडीन के लिये समझौता किया गया है। टेट्रासाईकिलीन इरथ्रोमाईसीन सेफ़ामोरोडीन, डाक्सीसाईकिलीन इथमबूटोल 2-एमीनो थईजोल मेथाईल डोपा और रिफ़ैमपीसीन के लिये भी बातचीत की गई है।

ए च० ए० एल० : मैसस टोयो जोजो जापान से पेनिसीलिन निर्माण के लिये 1 एच० ए० एल० को रीथ्रोमाइसीन और जेनटामाईसीन की तकनीकी जानकारी के लिये भी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

'बल्क' औषधियों का उत्पादन

2157. **श्री सोमचन्द सोलंकी : क्या रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बल्क औषधि उत्पादन के कितने मामलों में उत्पादन का कुछ भाग असम्बद्ध फ़ार्मूलेटरों को देने की शर्त लगाई गई है;

(ख) गत तीन वर्षों में ऐसी औषधियों का कितना उत्पादन हुआ; कितनी औषधि दूसरों को सप्लाई की गई तथा कितनी अपने उपयोग में लाई गई;

(ग) क्या अधिकांश विदेशी कम्पनियां रक्षित उपयोग के लिये बल्क औषधियां बना रहा ह तथा बल्क औषधि तथा फ़ार्मूलेशन औषधि दोनों का ही अधिक उत्पादन कर रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) 1973, 1974 और 1975 के दौरान प्रपुंज औषधों के उत्पादन के लिए औद्योगिक लाइसेंस इस शर्त पर जारी किए गए थे कि वास्तविक उत्पादन की कुछ प्रतिशतता गैर संगठित उद्योगो को देनी है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) और (घ) औषध उत्पादकों द्वारा अधिक औषधों का उत्पादन करने के प्रश्न पर हाथी समिति ने विचार किया था। प्रपुंज औषधों के अधिक उत्पादन के ब्यौरे हाथी समिति की रिपोर्ट के अध्याय 1 परिशिष्ट-9 में अंकित है। जो 8-5-1975 को सभा पटल पर रख दी गई थी। विषय पर समिति की सिफ़ारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स द्वारा बल्क औषधियों का उत्पादन

2158. **श्री सोमचन्द सोलंकी : क्या रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस तथ्य के बावजूद कि सरकार इण्डियन ड्रग्स एण्ड फ़ार्मास्युटिकल्स लिमिटेड और हिन्दुस्तान एण्टी बायोटिक्स लिमिटेड के प्रस्तावो को पहले ही अनुमोदित कर चुकी है, उन्होंने कितनी बल्क औषधियों का उत्पादन अभी तक आरम्भ नहीं किया है;

(ख) क्या इन परियोजनाओ की क्रियान्विति न होने का कारण प्रौद्योगिकी उपलब्ध न होना है अथवा अन्य कुछ बातें हैं; और

(ग) क्या इण्डियन ड्रग्स एण्ड फ़ार्मास्युटिकल्स लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लिमिटेड ने संकेत दिया है कि कुछ औषधों के लिये प्रौद्योगिकी उनके पास अथवा राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के पास उपलब्ध हैं; और यदि हां, तो फ़िर भी प्रौद्योगिकी का आयात करने की अनुमति क्यों दी जा रही है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख) आई० डी० पी० एल० को जिन 47 प्रमुंज औषधों/औषध मध्यवर्ती उत्पादों के निर्माण के लिये लाइसेंस दिया गया है कम्पनी उनमें से 37 उत्पादो का उत्पादन पहले से ही कर रही है ? जिन शेष 10 मदो का उत्पादन अभी आरम्भ किया जाना है उनमें से हाल ही में अर्थात् 20–11–75 से 27–7–76 के दौरान औद्योगिक लाइसेंस जारी किये गये थे । तथापि कम्पनी के पास इन सभी मदों के लिये प्रौद्योगिकी उपलब्ध है । शेष एक मद का उत्पादन आई० डी० पी० एल० ने आरम्भ हीं किया है क्योंकि उन्होंने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि लघु उद्योग क्षेत्र में अनेक कम्पनियां पहले ही इस मद का निर्माण कर रही है, इस मद को लाभ प्रद नहीं समझा । एच० ए० एल० को प्रमुंज सात औषधो (प्रतिजीवी और विटामिन सी०) के निर्माण के लिये लाइसेंस दिया गया है । जिनमें से वे 6 मदों का पहले से ही उत्पादन कर रहे हैं । सातवें मद अर्थात् नियोमाइसीन सल्फ़ेट, जो एच० ए० एल० के अनुसन्धान और विकास प्रभाग द्वारा देशीय रूप से विकसित प्रौद्योगिकी पर आधारित है, के सम्बन्ध में कम्पनी गुणवत्ता सम्बन्धी कुछ तकनीकी समस्याओं का अनुभव कर रही है । कम्पनी का अनुसन्धान और विकास एकक इस समस्या की जांच कर रहा है और कम्पनी निकट भविष्य में वाणिज्यिक उत्पादन आरम्भ करने की आशा करती है

(ग) जी, हां । प्रौद्योगिकी का आयात तभी किया जाता है जब देशीय प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं होती है ।

कुकिंग गैस की सप्लाई के बारे में दामले समिति की सिफारिशें

2159. **श्री नरेन्द्र कुमार साँधी** : क्या **पेट्रोलियम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामले समिति ने हाल में प्रस्तुत किये गये अपने प्रतिवेदन में यह सिफ़ारिश की है कि कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए नये स्थान ढूंढ़ने के बजाये उन नगरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कदम उठाए जायें जहां इसको पहले ही बेचा जा रहा है;

(ख) क्या नगरों में कुकिंग, गैस की पूरी न हो सकने वाली मांग के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है और मांग को पूरा करने के लिए क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है; और

(ग) क्या समिति ने कुकिंग गैस की लागत को कम करने के उपाय भी सुझाये हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और उनको कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) दामले समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह विचार प्रकट किया है कि जिन नगरों और कस्बो में तरल गैस का विक्रय पहले से आरम्भ किया गया है वहां मांग को पूर्णतः पूरा करने के बाद ही नये मार्केट में प्रवेश किया जाये ।

(ख) तरल पेट्रोलियम गैस की मांग का सही अनुमान सम्भव नहीं है क्योंकि कोयला साफ्ट कोक! लकड़ी का कोयला लकड़ी मिट्टी के तेल आदि जैसे विकल्प ईंधनो का भी घरों में प्रयोग किया जाता है । परन्तु गैस के नये कनेक्शनो की वर्तमान मांग शोधन शालाओं द्वारा उत्पादन से बहुत अधिक है ।

(ग) उपरोक्त (क) में जो कुछ कहा गया है उसके अतिरिक्त समिति ने गैस की सप्लाई लागत में बचत करने के लिये निम्नलिखित उपायो का सुझाव दिया है :–

(i) देश के ऊपरी स्थलों (अपकन्ट्री लोकेशन) में यथा सम्भव अधिकतम वाटलिंग प्लांटो की स्थापना की जाय ।

(ii) उपभोक्ता केन्द्रों के समीप स्थित वाटलिंग प्लांट तक गैस प्रपुंज रूप में ले जाकर उपभोक्ता सिलन्डर अनुपात में कमी के द्वारा ; और

(iii) गैस के विक्रय का विस्तार केवल विद्यमान मार्केट के अधिक समीप के मार्केटों में किया जाये ।

बाम्बे हाई से प्राप्त अशोधित तेल का परिष्करण

2160. **श्री नरेन्द्र कुमार सांधी :**

श्री बालकृष्ण वेंकन्ना नायक : क्या **पेट्रोलियम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाम्बे हाई से प्राप्त अशोधित तेल के परिष्करण में कुछ तकनीकी कठिनाइयां पैदा हो गई है जिनके कारण तेल उद्योग विशेषकर इसका परिष्करण प्रणाली को पुनर्गठित करने की बांछनीयता की जांच करने की आवश्यकता पड़ सकती है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय किस प्रकार की कठिनाइयां सामने आरही है और क्या इस कारण बाम्बे हाई से अशोधित तेल के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है ; और

(ग) इस स्थिति से निपटने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

पैट्रोलियम मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) बम्बई हाई अशोधित तेल का इस समय भारत प्रयोगशाला में शोधन किया जाता है । क्योंकि भारत शोधन शाला की डिजाईन आयातित मध्य पूर्व कच्चे तेल के शोधन के लिये की गई थी और बम्बई हाई तेल का कई विशिष्टताएं आयातित कच्चे तेल से भिन्न थी इस (बम्बई हाई) कच्चे तेल के इस शोधन शाला में शोधन किये जाने में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ा । इन समस्याओं के समाधान के लिये शोधन शाला द्वारा प्रक्रियाओं में कुछ संमजन करने की तथा इसे हाई पोर पाइंट वाले कच्चे तेल को प्राप्त करने रखे जाने और लाने ले जाने और इस प्रकार इस हाई पोर पोइंट कच्चे तेल से तैयार होने वाले अवशिष्ट पदार्थो की व्यवस्था करने के लिये कुछ छोटी छोटी सुविधाएं दी जानी है । इस समय ये संशोधन तथा परिवर्तन किये जा रहे है और तेल उधोग के पुनर्गठन की कोई आवश्यकता नहीं है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नही उठता ।

रेल टिकटों का जारी किया जाना

2161. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे टिकट गाड़ियों में स्थानों की उपलब्धता के आधार पर जारी किये जा है और स्थान न पा सकने वाले यात्री अपने टिकट रेलवे स्टेशनों पर वापस कर सकते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो ऐसे मामलों में किराये की राशि वापस देने के सम्बन्ध में क्या प्रक्रिय अपनाई जाती है ?

रेल मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री बूटा सिंह) (क) और (ख) गाड़ियों में स्थान की उपलब्धता के आधार पर टिकट जारी किये जाते हैं । स्थान न पा सकने वाले यात्री गाड़ी छूटने के तीन घन्टें के अन्दर अपना टिकट रेलवे स्टेशन पर वापस कर सकते है और किराये की पूरी रकम वापस ले सकते हैं ।

पाइप लाइन बिछाने के लिए एक डच कम्पनी के साथ तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग का करार

2162. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **पेट्रोलियम मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई हाई तथा बेसीन तटदूर तेल क्षेत्रों में उत्पादित तेल और गैस ले जाने के लिय समुद्र में पाइप लाइन बिछाने हेतु तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने एक डच कम्पनी के साथ बात चीत कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में हुए करार की मुख्य बाते क्या हैं ?

पैट्रोलियम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) : लगभग 21.74 करोड़ पये की लागत पर ओ एन जी सी ने पाइप ले व डेरिक वार्ज के लिये डच कम्पनी के साथ ठेके पर हस्ताक्षर किये है । 1977 के अन्त तक इस जलयान की बम्बई अपतटीय क्षेत्र में डीलीवरी देना निश्चित हुआ है ? इसे तेल और गैस को ले जाने के लिये ओ एन जी सी द्वारा समुद्र तल में बहाव लाइनो तथा पाइपलाइनों को बिछाने के प्रयोग में लाया जायेगा ।

तमिलनाडू में रेल लाइनों का विद्युतीकरण

2163. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडू में विद्युतीकरण के विभिन्न चरणों में कौन-कौन सी रेल लाइन है ;

(ख) इस मामले में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) इन के कब तक पूरा होने की आशा है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) :

तमिलनाडु में बिजलीकरण योजनाओं के नाम	30-6-76 को प्रगति की प्रतिशतता	पूरा करने का लक्ष्य
1. मद्रास गुडूर बिजली करण योजना के अंग के रूप में मद्रास-एलावर .	27.56	1979-80
2. मद्रास तिरूवल्लूर . .	2.87	1979-80

सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र में तेल कम्पनियाँ

2164. **श्री भाऊ साहिब धामनकर** : क्या **पेट्रोलियम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्र में कितनी तेल कम्पनियां है ; और

(ख) उन में से कितनी तेल कम्पनियां तेल शोधन तथा तेल बेचने का कार्य करती है तथा कितनी कम्पनियां केवल तेल बेचने का ही कार्य करती है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) देश में 10 तेल शोधनशालाए और अथवा विक्रय कम्पनियां है जिनमें से 8 सरकारी क्षेत्र में और दो गैर सरकारी क्षेत्र में है ।

(ख) 5 कम्पनियां तेल शोधन और विक्रय दोनो में, दो तेल शीधन और एक केवल विक्रय में संलग्न है । एक तेल शोधन कम्पनी यानि बौगेगांव रिफ़ाईनरी एण्ड पैट्रोकैमिकल्स लिमिटेड अभी निर्माणवस्था में है और एक विक्रय कम्पनी यानि विटुमैन मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड ने अभी वाणिज्यिक कार्य आरम्भ करता है ।

जंजीर खींचे जाने की घटनाएं

2165. **श्री आर० एन० बर्मन** : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिन में जंजीर खीचे जाने की घटनाएं अभी भी रेलवे के लिये सिरदर्द बनी हुई है ।

(ख) उन क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिनमें रेलों में डाके पड़ सकते हैं ; और

(ग) इन समस्याओं से निपटने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जिन खण्डों पर सामान्यत: खतरे की जंजीर खीचे जाने की घटनाएं होने की अधिक सम्भावना रहती है वे अनुबन्ध 'क' में दिये गये है।

(ख) अनुबन्ध 'ख' के रूप में एक विवरण संलग्न है।

(ग) खतरे की जंजीर खींचने की घटनाओ को रोकने के लिये जो उपाय किये गये है वे निम्न प्रकार हैं:—

(i) सादे कपड़ों में चल टिकट परीक्षकों और रेलवे सुरक्षा दल। सरकारी रेलवे पुलिस के कर्मचारियों की गाड़ियो में तैनाती ;

(ii) खतरे की जंजीर खींचने की घटनाओं की रोकथाम वाले दलों जिनमें चल टिकट परीक्षक और रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारी रहते हैं, द्वारा अचानक जांच ;

(iii) अनधिकृत रूप से जंजीर खीचे जाने के लिये बदनाम स्थानों पर अचानक धात लगाकर जांच।

(iv) प्रैस पोस्टरों, सिनेमा स्लाइडों आदि के माध्यम से और महत्वपूर्ण स्टेशनों पर लाउडस्पीकर पर प्रसारण द्वारा शिक्षात्मक अभियान ;

(v) शैक्षणिक संस्थानों सेवा निवृत या सेवारत वारिष्ठ रेल अधिकारियों की वार्ताए आयोजित करके विधार्थियों के बीच खतरे की जंजीर खीचने की बुराई के विरुद्ध जागृति पैदा करना ;

(vi) भैद्य क्षेत्रों में कुछ जंजीर के उपस्कर को निष्क्रय कर देना ;

(vii) जंजीर खींचने वालों को पकड़ने वाले व्यक्तियों को पुरस्कार देना। रेलों पर गाड़ियों में होने वाली डकैती की घटनाओं पर काबू पाने के लिये सरकारी रेलवे पुलिस ने जो उपाय किये है इस प्रकार हैं :—

(i) रात में कुछ महत्वपूर्ण गाड़ियो के साथ सरकारी रेलवे पुलिस के सशस्त्र रक्षकों का पहरा।

(ii) स्टैशन प्लेटफ़ार्मों/प्रतीक्षा हालों पर गश्त लगाना ;

(iii) अपराधियो और कुख्यात बदमाशों पर नजर रखना ;

(iv) विशिष्ट अपराधों के लिये अपराधियों पर अभियोजन और जहां पर्याप्त कारण मौजूद हो जिन व्यक्तियों पर ऐसे अपराध करने का संदेह हो उन्हें आंसुका के अन्तर्गत नजरबन्द करना।

विवरण—1

(क) जिन खण्डों पर खतरे की जंजीर खींचे जाने की घटनाओं की अधिक सम्भावना रहती है वे हैं :

कल्याण–पुर्ने, कल्याण—ईगतपुरी, खण्डवा—बुरहानपुर, इटारसी—आमला, आमला–परसिया, इटारसी—जबलपुर, कटनी—सतना, बीना—कटनी, इटारसी–

भोपाल, भोपाल—बीना, झांसी—मानिकपुर, झांसी—कानपुर, मथुरा–फरीदाबाद, बम्बई सेन्ट्रल—बरार, बरार—वलसाद, वलसाद—सूरत, रतलाम—चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़—अजमेर, रेवाड़ी—बांदीकुई, बांदीकुई—फुलेरा, आगरा फोर्ट—अछनेरा, रायबरेली—प्रतापगढ़, लखनऊ—फैजाबाद, इलाहाबाद—कानपुर, टुण्डला –गाजियाबाद, दिल्ली–रेवाड़ी, दिल्ली—गाजियाबाद, सोनीपत–पानीपत, सरहिन्द—लुधियाना, मुरादाबाद—हापुड़, बरेली—अलीगढ़, अमृतसर—लुधियाना, कासगंज—फतेहगढ, गोरखपुर—बनकटा, सहर्सा ब्रांच, बरौनी—मुज्जफरपुर, दरभंगा–नर कटियागंज, छपरा—थावे, लाभा—ओल्ड माल्दा, ओल्ड माल्दा—माल्दा, कलियागंज–रायगन्ज, मनिहारी—मनिहारी घाट, गलगलिया—नक्सलवाड़ी, हासीमारा–हैमिल्टनगंज, कामाख्यागुड़ी—जोराई, कामाख्या—अगरथारी, रानीघाट—गेडे, रानाघाट—बनगांव, पटना—गया, क्यूल—गया, पटना—मुगलसराय, हावड़ा—खड़गपुर, कटक—बरहामपुर (गजाग), खुर्दा रोड—पुरी, टाटानगर—रूरकेला, बिलासपुर—दुर्ग, खड़गपुर—आद्रा, मद्रास सेण्ट्रल—गुडर, मद्रास सेन्ट्रल—आरकोणम, मद्रास इगमोर—चिगलपुट, शोनकोटाह—त्रिवेन्द्रम सेन्ट्रल, मनमदुराई—रामेश्वरम्, तिरुचिरापली—मदुराई, विजयवाड़ा—काजीपेट, विकाराबाद—परली—बैजनाथ, द्रोणाकल—मद्राचलम रोड, निजामाबाद–अपूर्णा, शोलापुर—वादी ।

विवरण—2

(ख) जिन खण्डों पर रेल डकैती की घटनाओं की अधिक सम्भावना रहती है वे इस प्रकार हैं :—

झांसी—कानपुर, बांदा—कानपुर, लखनऊ—कानपुर, लखनऊ—शाहजहांपुर, बाराबंकी—फैजाबाद—वाराणसी, गजरौला—नजीबाबाद, मुरादाबाद—चन्दौसी, बरेली–अलीगढ़, सोनपुर—छपरा, सोनपुर—मुजफ्फरपुर, मुरादाबाद—काशीपुर, मैलानी—सीतापुर, लखनऊ—सीतापुर, आनन्दनगर—गौंडा, गोरखपुर—छितौनीघाट, मऊ जंकशन—शाहगंज, बलिया—छपरा, वाराणसी –इलाहाबाद सिटी, मुरादाबाद—रामनगर, बरेली सिटी—काठगोदाम, पीलीभीत—भोजीपुरा, पटना—गया, हावड़ा–बर्दवान, बर्दवान—आसनसोल, सोननगर–गड़वा रोड, खड़गपुर—गिडनी, चकुलिया—टाटा, हावड़ा—खड़गपुर, माल्दा—ओल्ड माल्दा, गलगलिया—बागडोगरा, बंगाल बाड़ी—रानीगंज, वाडी सेक्टर, मंगलागिरी—विजयवाडा ।

गत दो वर्षों में माल भाड़े से हुई आय

2166. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में वर्षवार विभिन्न रेलवे ज़ोनों को माल भाड़े से कितनी-कितनी वार्षिक आय हुई;

(ख) इन क्षेत्रों में सड़क परिवहन और परिवहन के अन्य माध्यमों से ढोये जा रहे माल की स्थिति का सरकार ने मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो प्रत्येक रेलवे ज़ोन द्वारा कुल कितने प्रतिशत माल को मूल स्थानो से ढोया जा रहा है; और

(ग) विभिन्न रेलवे जोनों के लिये अधिक माल प्राप्त करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं।

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) इन आधारों पर कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

(ग) ग्राहक परक सेवाएं आरम्भ की जा चुकी हैं। इनमें कंटेनर सेवा, भाड़ा अग्रेषक सेवा, द्रुत पारवहन सेवा और सुपर एक्सप्रेस मालगाड़ी तथा सुपर एक्सप्रेस डाक गाड़ियों का चलाया जाना शामिल है।]

विवरण

रेलवे	1974–75 (जुलाई से जून तक)	1975—76 (जुलाई से जून तक)
मध्य	144.23	178.99
पूर्व	119.71	149.37
उत्तर	137.03	164.02
पूर्वोत्तर	27.57	31.52
पूर्वोत्तर सीमा	30.13	36.47
दक्षिण	77.65	86.85
दक्षिण-मध्य	88.06	108.92
दक्षिण-पूर्व	235.93	281.50
पश्चिम	150.58	172.08
जोड़	1010.89	1209.72

तेल उत्पादों के वितरण के लिये "लीड कम्पनियों" की स्थापना

2167. **श्री आर० एन० बर्मन :** क्या **पेट्रोलियम** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल उत्पादों का उत्तम वितरण और विपणन सुनिश्चित करने के लिये सरकार कुछ 'लीड कम्पनियों' स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) क्या इससे प्रशासनिक लागत में मितव्ययिता करने में सहायता मिलेगी जो तेल उत्पादों की लागत में सम्मिलित हो जाती है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी): (क) पेट्रोलियम पदार्थों की वितरण पद्धति के बारे में दामले समिति ने अपनी रिपोर्ट में तेल कम्पनियों में से एक कम्पनी को प्रादेशिक नेतृत्व करने वाली कम्पनी के रूप में राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों के साथ निकट सम्पर्क स्थापित करने के कार्य-भार सौंपने की सिफारिश की है।

(ख) योजना की कुछ मुख्य बातें, जैसाकि समिति ने सिफारिश की है, इस प्रकार हैं :—

(1) स्थान-वार और उत्पादन-वार सारे राज्य/संघ शासित क्षेत्र में सप्लाई और मांग स्थिति की प्रवृत्ति जानने के लिए कम से कम मास में एक बार अथवा हो सके तो उससे अधिक जैसा अपेक्षित हो अन्य तेल कम्पनियों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित रूप से सम्पर्क स्थापित किया जाये। जहां कहीं भी उपलब्धि में कमी आई हो तो उसके कारणों का विश्लेषण करके उसके परिणामों की रिपोर्ट सभी संबंधित व्यक्तियों के पास भेजा जाए जहां कहीं माल भेजने में देरी के कारण, मांग में अनायास वृद्धि से यह ऐसे ही अन्य कारणों से कमी का पता चले तो नेतृत्व करने वाली कम्पनी को अन्य स्रोतों से सप्लाई की कमी को पूरा करने के लिए समय पर यथोचित कार्यवाही करनी चाहिए।

(2) जहां अपेक्षित कार्यवाही के बावजूद कमी की स्थिति बनी रहती है वहां नेतृत्व करने वाली कम्पनी को राज्य सरकार को यथोचित सूचना देनी चाहिए और उत्पादों का उचित वितरण करने की योजनाएं बनाने में सहायता देनी चाहिए ताकि अत्यावश्यक और प्राथमिकता वाली आवश्यकताएं पूरी होती रहें।

(3) व्यापारिक पद्धतियों और विशेषत: बुरी पद्धतियों, यदि कोई हों, के बारे में सभी तेल कम्पनियों के क्षेत्रीय कर्मचारियों से उपलब्ध सूचना को पूल कर लिया, ताकि जहां कहीं भी आवश्यक हो राज्य सरकार अधिकारियों से सहायता प्राप्त की जा सके इस संबंध में एसैंशियल कमोडिटीज एक्ट का पालन करवाना यद्यपि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है तेल उद्योग के असाधारण अभिलक्षणों को ध्यान में रखते हुए, न्यूनांकन, मिलावट, अधिक मूल्य लेना; स्टाकों को छिपाये रखना या दूसरे ऐसे अनाचारों जिन से ग्राहकों को अनुचित कठिनाई होती है, को दूर करने के लिए तेल कम्पनियों को राज्य सरकारों और उनकी एजेंसियों की सभी प्रकार की संभव सहायता करनी चाहिए।

(4) जिला या तालुका स्तर पर उप-समितियों को उपयुक्त सलाह देना और इन समितियों से उनके स्थानीय अनुभव से निरंतर पुनर्निवेषण प्राप्त करना।

(ग) दामले समिति द्वारा सिफारिश की गई योजना से तेल कम्पनियों द्वारा उत्पादों के वितरण पर किसी प्रकार का वित्तीय प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है।

पाईप बिछाने वाले वार्ज (पाईप लेइंग वार्ज) के लिये तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का रोटरडेम डाकयार्ड लिमिटेड के साथ करार

2168. **चौधरी राम प्रकाश :** क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने पाईप बिछाने वाले वार्ज की खरीद के लिए रोटरडेम डाकयार्ड लिमिटेड के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर कुल कितनी राशि खर्च होगी ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी): (क) जी हां। यह एक डैरिक तथा पाइप ले वाला वार्ज होगा।

(ख) लगभग 21.74 करोड़ रुपये।

बम्बई हाई से तट तक पाइप लाइन के मार्ग का सर्वेक्षण

2169. **चौधरी राम प्रकाश :** क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल इन्स्टीट्यूट आफ ओशनोग्राफी, गोआ ने बम्बई हाई तेल क्षेत्र से बम्बई तट तक के पाइप लाइन मार्ग का सर्वेक्षण पूरा कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख). संस्थान द्वारा बम्बई हाई से बेसीन होते हुए करंजिया द्वीप एक स्थान जिसे लैंड फाल कहते हैं, तक 190 कि०मी० पाईप लाईन का समुद्री सर्वेक्षण किया जाना है। लगभग 155 कि०मी० तक का सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है और शेष लगभग 35 कि०मी० में सर्वेक्षण संस्थान द्वारा मानसून के पश्चात् किये जाने की आशा है।

विदेशों में काम कर रहे इंजीनियरों को तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा नौकरी की पेशकश

2170. **चौधरी राम प्रकाश :** क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने विदेशो में काम कर रहे भारतीय इंजीनियरों को नौकरी की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी नौकरियों की पेशकश की गई है और ऐसे इंजीनियरों ने उसका क्या उत्तर दिया है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) बीस व्यक्तियों से, जिन्हें नियुक्ति पत्र भेजे गये थे, एक व्यक्ति ने अगस्त, 1974 से पद ग्रहण किया किन्तु वह अगस्त 1975 में कमीशन से चला गया। दो व्यक्तियों ने हाल ही में पद भार संभाला है और तीन व्यक्तियों ने स्वीकृति दी है। शेष व्यक्तियों से उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

एल० पी० जी० सिलेण्डरों की सप्लाई में डीलरों द्वारा कदाचार

2171. **श्री राम भगत पासवान** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ताओं को एल०पी० जी० सिलेण्डरों की सप्लाई में डीलरों द्वारा कदाचार बरतने के बारे में सरकार को हाल में शिकायतें मिली हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख): तरल गैस वितरकों की सेवाओं के सम्बन्ध में कुछ शिकायतें मिली हैं। सामान्य रूप से ये कागज सील टैप के फटे होने या गायब होने रिफिल की सप्लाई में बिलम्ब और कम भरें हुए सिलेन्डरों के दियेजाने के बारे में होती है। तरल गैस वितरकों को आदेश दिये गये हैं कि यदि उपभोक्ता को फटे सील वाले या बिना सील वाले सिलेण्डर स्वीकार करने में कोई आपत्ति है तो वे उन्हें वापस ले आये और उपभोक्ता को पूरी तरह सील किया हुआ सिलेण्डर सप्लाई करें। मांग के 24 घंटे के अन्दर सिलेन्डर की सप्लाई को सुनिशिचत करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं। एल पी जी भरने वाले प्लाटों में सिलेन्डर गैस भरने वाली मशीन पर तोल के अनुसार भरे जाते है। सिलेन्डर ठीक भरे गये हैं यह देखने के लिये उन्हें दुबारा चेक किया जाता है और फुटकर विक्रेताओं के पास उन्हे बाहर भेजने से पहले सील किया जाता है। डीलरो के शोरुम और गोदामों में भी उन्हे चैक किया जाता है। खाली सिलेन्डर का वजन उसी के उपर दिखाया हुआ होता है ? सिलेन्डर के अन्दर गैस की तोल को देखने के लिये सिलेन्डर को तोल कर उसमें से खाली सिलेन्डर के वजन को घटा कर चेक किया जा सकता है। उपभोक्ता यदि चाहे तो वे डीलर के शोरुम/गोदाम में सिलेन्डर को तुलवा सकते हैं। भारतीय तेल निगम विकसित सील की व्यवस्था के लिये प्रयत्न कर रहा है जिससे सिलन्डरों के टैम्पर किये जाने तथा अन्य कदाचारों को रोकने में सहायता मिल सकें।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तेल शोधक कारखानों को अशोधित तेल की सप्लाई

2172. **श्री राम भगत पासवान** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने देश में तेल शोधक कारखानों को अशोधित तेल की अधिक सप्लाई की है ; और

(ख) यदि हां, तो 1975 में तेल शोधक कारखाने-वार कुल कितना तेल सप्लाई किया गया ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख). 1974 में 4.32 मिलियन मीटरी टन कच्चे तेल की तुलना में ओ० एन० जी० सी० ने 1975 में शोधनशालाओं को 5.09 मिलियन मीटरी टन अशोधित तेल दिया। 1975 में ओ० एन० जी० सी० द्वारा प्रत्येक शोधनशाला को दिये गये अशोक्ति तेल का ब्यौरा निम्नलिखित है :—

(i) कोयली शोधनशाला . . . 4.07 मिलियन मोटरी टन

(ii) गोहाटी/बरौनी शोधनशालाएं . . 1.02 —वही—

रेलवे द्वारा चलाये जाने वाले होटल

2173. **श्री राम भगत पासवान** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा देश में कुछ होटल चलाये जा रहे हैं तथा उनका रखरखाव किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इन होटलों के नाम क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) दक्षिण पूर्व रेलवे में रांची और पुरी के रेलवे होटल।

जुआरी एग्रो कैमीकल लिमिटेड से मट्टी तेल की चोरी

2174. **श्री पी० गंगा रेड्डी** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुआरी एग्रो कैमीकल लिमिटेड, पंजी के लाखों रूपये के मूल्य के मट्टी तेल की चोरी के मामले का जुलाई, 1976 में पता लगा ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं, तथा इस मामले में कितने व्यक्तियों का हाथ था ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री पी० सी० सेठी) : (क) और (ख). मैसर्स जुआरी एग्रो केमीकल्स ने रिपोर्ट दी थी कि लगभग 13·96 लाख के मूल्य के ईंधन तेल की चोरी का अगस्त 1974 में और न कि जुलाई 1976 में पता चला था। कम्पनी ने एक दम इस मामले की पुलिस में रिपोर्ट की थी और बीमा कम्पनी के साथ किया था। बीमा कम्पनी जिसने 10.85 लाख रूपयों में दावे का फैसला किया था पुलिस के साथ इस मामले को चला रही है। कम्पनी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कम्पनी के दो भूतपूर्व कर्मचारी इस सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये हैं और उन्हें जमानत पर छोड़ा गया है। कम्पनी ने तब से चोरी को रोकने के लिये उपयुक्त सुरक्षा के उपाय किये हैं।

दिल्ली-अहमदाबाद मीटर-गेज लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करना

2175. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान योजना बोर्ड ने पश्चिम रेलवे स्थित दिल्ली तथा अहमदाबाद के बीच मीटर-गेज लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तित करने की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) इस आमान-परिवर्तन के लिये इंजीनियरी तथा यातायात सर्वेक्षण किये जा चुके हैं। इस 981 किलोमीटर लम्बी आमान परिवर्तन योजना पर लगभग 108 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है । धन की समग्र कठिनाई और इस परियोजना के लिये बड़ परिव्यय की अपेक्षा को देखते हुए इस काम को शीघ्र प्रारम्भ करना सम्भव नहीं हो सकेगा ।

छिद्रण जहाजों को किराये पर लेने के लिये ब्रिटिश फर्म के साथ हुए ठेके का रद्द होना

2176. **श्री म० रामगोपाल रेड्डी** : क्या पेट्रोलियम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने छिद्रण जहाज 'डाल्माबोय' को किराये पर लेने के बारे में एडिनबर्ग स्थित सेलवर्सन एण्ड कम्पनी नामक ब्रिटिश फर्म के साथ हुए ठेके को रद्द कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ।

पेट्रोलियम मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां ।

(ख) इस समय तथ्यों को बताना जनहित में नहीं होगा ।

रेल यात्रियों की संख्या में कमी

2177. **श्री राम सहाय पाण्डे** : क्या रेल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974-75 की तुलना में वर्ष 1975-76 के दौरान रेल यात्रियों की संख्या में कमी हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी आंकड़े क्या हैं ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा एक जलाशय अध्ययन संस्थान स्थापित करना

2178. **श्री राम सहाय पाण्डे** : क्या पेट्रोलियम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने अहमदाबाद में एक जलाशय अध्ययन संस्थान स्थापित करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो संस्थान के कार्यों की मोटी रूपरेखा क्या है ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी हां ।

(ख) इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित का विकास करना होगा ।

(i) अनुवर्ती और टैरीटरी रिकवरी प्रक्रिया ।

(ii) तेल और गैस यक्त कुओं की उत्पादन क्षमता में सुधार करने के लिये कुए को उद्दीप्त करने और अन्य कुए की खुदाई संबंधी समस्याओं को दूर करने की विधि ढ ढ निकालना ।

(iii) तेल और गैस क्षेत्रों का समुपयोजन करने के लिये संख्यात्मक भंडार का अनुसरण और अन्य भंण्डारों के इंजीनियरिंग औजारों का प्रयोग करना ।

(iv) भंडार का विश्लेषण करने के लिये भंडार युक्त चट्टान और उसमें निहित तरल पदार्थ के आंकड़ों का संकलन और विश्लेषण करने की पद्धति ।

(v) विशिष्ट क्षेत्र उपायों के लिये मूल अनुसंधान की आवश्यकता ।

(vi) संस्थान में विकसित अनुवर्ती और टरीटरी रिकवरी प्रक्रिया के लिये वास्तविक क्षेत्र पाइलेट परीक्षण का रुपांकन और पर्यवेक्षण करना ।

(vii) आयोग के लिये विशिष्ट भंडार की अधिक महत्वपूर्ण समस्याओं से संबंधित भंडार विश्लेषण अध्ययन करना । और

(viii) भंडार इंजीनियरिंग और संबद्ध कार्यकलापो के लिये संचालन कार्मिकों को सलाह देना ।

तेल मूल्य निर्धारण समिति का प्रतिवेदन

2179. **श्री पी० गंगादेव : क्या पेट्रोलियम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल-मूल्य निर्धारण समिति का अन्तिम प्रतिवेदन सरकार को पेश हो चुका है;

(ख) क्या 15 जुलाई, 1975 से लागू हुई मूल्य निर्धारण योजना में समायोजन एवं फेर-बदल करने के बारे में तेल मूल्य-निर्धारण समिति को कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

पेट्रोलियम मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां ।

(ख) तेल मूल्य निर्धारण समिति के पास, 14 जुलाई, 1975 से लागू की गई वर्तमान मूल्य निर्धारण योजना में कुछ फेर बदल एवं संशोधन करने के लिए तेल कम्पनियों ने अभ्यावेदन भेजे हैं।

(ग) इन अभ्यावेदनों में दिए गए तथ्यों का, जो तेल मूल्य निर्धारण समिति के विचाराधीन है, बताना जनहित में नहीं है। समिति की अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

सरकारी क्षेत्र में नई कम्पनी

2180. श्री पी० गंगादेव : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे की प्रमुख निर्माण परियोजनाओं के कार्य के लिए रेल मन्त्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र में एक नई कम्पनी स्थापित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र की यह कम्पनी रेलवे परियोजनाओं के निर्माण के लिए खास तौर से विदेशों में जहां अगले कुछ वर्षों में रेलवे क्षेत्र में भारी निवेश का आयोजन किया गया है, बोली देगी।

बरौनी-गरहारा रेलवे हड़ताल समाप्त करने के पूर्व किये गये करार का क्रियान्वित किया जाना

2181. श्री भोगेन्द्र झा : क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तत्कालीन रेल मन्त्री और समस्तीपुर डिवीजन की मजदूर सभा के अध्यक्ष के बीच एक करार पर हस्ताक्षर हुए थे जिसमें कुछ बातों पर सहमति हुई थी और जिनके परिणामस्वरुप बरौनी-गरहारा क्षेत्र के रेल कर्मचारी 33 दिन पुरानी हड़ताल को समाप्त कर 29 अप्रैल; 1971 को पुन: काम पर लौट आये थे;

(ख) क्या सहमति की उन बातो के अनुसार सेवा में विच्छेद, सेवा से हटाये जाने आदि के मामलों को वापस ले लिया गया था परन्तु अदालतों से मामलों को वापस लिया जाना और फरकका क्षेत्र के बारे में बोर्ड पंचाट के अनुसार परियोजना भत्ते का दिया जाना अभी बाकी है; और

(ग) यदि हां, तो इन बातों को कब पूरा किया जायेगा ?

रेल मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : (क) से (ग) मार्च-अप्रैल, 1971 में बरौनी-गड़हरा क्षेत्र की गैर कानूनी हड़ताल में भाग लेने वाले रेल कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के सम्बन्ध में किसी लिखित समझौते पर तत्कालीन श्रम मन्त्री द्वारा हस्ताक्षर नहीं हुआ था। किन्तु 25-4-1971 को श्रम मन्त्री ने हड़तारी कर्मचारियों का ध्यान तत्कालीन रेल मन्त्री के 7-4-1971 को दिये गये इस आश्वासन की ओर दिलाते हुए अपील की थी कि "रेल मन्त्रालय ने हड़तालो कर्मचारियों का न तो कभी उत्पीड़न किया है और न करेगा और यह कि उन रेल कर्मचारियों के मामलो में सामान्य कानूनी कार्रवाई की जायेगी जो कानून तोड़ते, डराते धमकाते और हिंसा करते पकड़े गये होंगे।"

बरौनी-गडहरा क्षेत्र की गैर कानूनी हड़ताल में भाग लेने के कारण हुए सेवा भंग को माफ कर दिया गया, मुअत्तिली के सभी आदेश रद्द कर दिये गये। उस हड़ताल के सम्बन्ध में बर्खास्तगी अथवा सेवा से हटाने का कोई मामला नहीं था।

ऐसा कोई वचन नहीं दिया गया था कि अभियोजन के सभी मामले वापस ले लिए जायेंगे किन्तु दूसरी ओर, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। श्रम मन्त्री ने साफ साफ कह दिया था कि "उन रेल कर्मचारियों के मामलों में सामान्य कानूनी कार्रवाई की जायेगी जो कानून तोड़ते, डराते-धमकाते और हिंसा करते पकड़े गये होंगे"।

परियोजना भत्ते की मांग पर पंचाट मण्डल के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में विचार किया गया था और यह पाया गया कि उस क्षेत्र का कोई रेल कर्मचारी उक्त भत्ते का पात्र नहीं है।

दरभंगा जंक्शन के विकास का प्रस्ताव

2182. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **रेल मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के समस्तीपुर डिवीजन के अन्तर्गत दरभंगा जंक्शन की निकटवर्ती जिलों के यात्रियों तथा व्यापारियों के लिये और अधिक सुविधा का केन्द्र बनाने के उद्देश्य से विकसित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या दरभंगा से कतिपय रेलवे कार्यालयों को स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

रेल मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री टी सिंह) (क) और (ख). दरभंगा जंक्शन स्टेशन पर लगभग 18 लाख रुपये की लागत से स्टेशन की नयी इमारत का निर्माण किया गया है और इसे 26-2-76 से यात्री यातायात के लिए खोल दिया गया है। दरभंगा जंक्शन के विकास के लिए फिलहाल कोई दूसरा प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

Withdrawal of Facilities from Officers of Bharat Refineries

2183. **Shri Mohan Swarup:** Will the Minister of **Petroleum** be pleased to state:

(a) whether several facilities have been withdrawn from the officers of Bharat Refineries Ltd. drawing salaries less than Rs. 4000 p.m.; and

(b) if so, the reasons therefor and the facts in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Petroleum (Shri Z. R. Ansari): (a) and (b). In order to reduce the perquisites of officers of Bharat Refineries Limited, some perquisites have been withdrawn/modified in respect of all management staff of Bharat Refineries Limited. Following perquisites of management staff drawing less than Rs. 4,000/- per month have been withdrawn:—

(i) Sweepers/servants wages.

(ii) Cleaning materials for staff quarters.

(iii) Free fuel and electricity.

The quantum of leave fare assistance was reduced and the house rent recovery enhanced.

The perquisites of non-management staff, that is, clerical and labour employees, have not been affected.

सभा पटल पर रखे गये पत्र
Papers Laid on the Table

तमिलनाडु सहकारी समितियां अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें तथा एक विवरण तथा तमिलनाडु बाट और माप (प्रवर्तन) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना तथा विवरण

नागरिक पूर्ति तथा सहकारी मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गयी उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित तमिलनाडु सहकारी समितियां अधिनियम, 1961 की धारा 119 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० ओ० एम० 340, जो दिनांक 2 जून, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु सहकारी समितियां नियम, 1963 में कतिपय संशोधन किया गया है।

(दो) जी० ओ० एम० 342, जो दिनांक 2 जून, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु सहकारी समितियां नियम, 1963 में कतिपय संशोधन किया गया है।

(2) उपर्युक्त अधिसूचनाओं के हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी० 11320/76]

(3) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गयी उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित तमिलनाडु बाट और माप (प्रवर्तन) अधिनियम, 1958 की धारा 43 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० ओ० एम० 315 की एक प्रति जो दिनांक 12 मई, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु बाट और माप (प्रवर्तन) नियम, 1967 में कतिपय संशोधन किया गया है।

(4) उपर्युक्त अधिसूचना का हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 11321/76]

तमिलनाडु कृषि उपज बाजार अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें तथा विवरण

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रभुदास पटेल) : मैं श्री शाहनवाज़ खां की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित तमिलनाडु कृषि उपज बाज़ार अधिनियम, 1959 की धारा 29 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० ओ० एम० 435 जो दिनांक 7 अप्रैल, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(दो) जी० ओ० एम० 632 जो दिनांक 28 अप्रैल, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी ।

(तीन) जी० ओ० एम० 1215 जो दिनांक 7 जुलाई, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु कृषि उपज बाज़ार नियम, 1962 में कतिपय संशोधन किया गया है ।

(2) उपर्युक्त अधिसूचनाओं के हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[**ग्रन्थालय म रखा गया देखिये** संख्या एल० टी० 11322/76]

उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें, मणिपुर, नागालैंड आदि की विधान सभाओं के चुनावों सम्बन्धी प्रतिवेदन, तमिलनाडु न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना, तथा विवरण, हिन्दू विवाह अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना, तथा विवरण बम्बई लोक न्यास अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तथा तमिलनाडु धार्मिक तथा धर्मार्थ धर्मस्व अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तथा विवरण

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वी० ए० सैयद मौहम्मद) मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ :—

(1) उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1958 की धारा 24 की उपधारा (3) के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (संशोधन) नियम 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 8 मई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 634 में प्रकाशित हुई थी ।

[**ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०** 11323/76)

(2) मणिपुर, नागालैण्ड, उड़ीसा, पाण्डिचेरी और उत्तर प्रदेश विधान सभाओं के 1974 तथा गुजरात विधान सभा के 1975 के सामान्य निर्वाचनों और राष्ट्रपतीय तथा उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन, 1974 सम्बन्धी प्रतिवेदन-विवरणात्मक (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रख गया/देखिये । संख्या एल० टी० 11324/76]

(3) (एक) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित तमिलनाडु न्यायालय फीस तथा वाद मूल्यांकन अधिनियम, 1955 की धारा 81 के अन्तर्गत तमिलनाडु न्यायालय फीस (लाइसेंस शुदा स्टाम्प विक्रेताओं के लिए पारिश्रमिक निर्धारण) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अँग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 17 मार्च, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० सी० 6(क)/76 में प्रकाशित हुए थे ।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना का हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 11325/76]

(4) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित हिन्दू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 8 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी० ओ० एम० 367 जो दिनांक 7 जनवरी, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु हिन्दू विवाह (पंजीकरण) नियम, 1967 में कतिपय संशोधन किया गया है ।

(दो) जी० ओ० एम० 934 जो दिनांक 19 मई, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु हिन्दू विवाह (पँजीकरण) नियम, 1967 में कतिपय संशोधन किए गए हैं ।

(5) उपर्युक्त अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(6) उपर्युक्त अधिसूचनाओं के हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 11326/76]

(7) (एक) गुजरात राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 12 मार्च, 1976 को जारी की गयी उद्घोषणा के खण्ड (ग) (तीन) के साथ पठित बम्बई लोक

न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 84 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अधिसंचना सँख्या जी एच।के/40बी पी टी/रूल्स/23294/ई की एक प्रति जो दिनांक 30 जुलाई, 1976 के गुजरात सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना का हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 11327/76]

(8) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गयी उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित तमिलनाडु हिन्दू धार्मिक तथा धर्मार्थ धर्मस्व अधिनियम, 1959 की धारा 116 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) जी ओ एम 784 जो दिनांक 7 जुलाई, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा धार्मिक संस्थान (धन संरक्षण निवेश उधार देना अथवा उधार लेना) नियम, 1963 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(दो) जी ओ एम 785 जो दिनांक 23 जून, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा धार्मिक संस्थानों के न्यासाधारियों को यात्रा भत्ता सम्बन्धी नियम, 1961 में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(तीन) जी ओ एम 886 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) जो दिनांक 7 जुलाई, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(9) उपर्युक्त (एक) और (दो) में उल्लिखित अधिसूचनाओं के हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 11328/76]

कन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमों, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा लवण अधिनियम, कृषिक पुनर्वित्त और विकास निगम अधिनियम तथा तमिलनाडु चिट फण्ड अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें तथा विवरण

राजस्व और बैंकिंग विभाग में के प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गयी निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) अधिसूचना संख्या 236/76 से 239/76[सा० सां० नि० 771(ड) से 774(ड)] जो दिनांक 30, अगस्त 1976 के भारत के राजप में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) अधिसूचना संख्या 241/76[सा० सां० नि० 776(ङ) 7] और 242/76 [सा० सां० नि० 777(ङ)] जो दिनांक 30 अगस्त, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 11329/76 **]**

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (21वां संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 14 अगस्त, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिपूचना संख्या सा० सां० नि० 1211 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 11330/76**]**

(3) कृषिक पुनर्वित्त और विकास निगम अधिनियम, 1963 की धारा 46 की उपधारा (5) के अन्तर्गत अधिसूचना सख्या सा० सां० नि० 1180 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 7 अगस्त, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा कृषिक पुनर्वित्त निगम सामान्य विनियम, 1963 में कतिपय संशोधन किया गया है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 11331/76**]**

(4) (एक) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित तमिलनाडु चिट फण्ड अधिनियम, 1961 की धारा 63 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० ओ० एम० 1567 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 21 जनवरी, 1976 को तमिलनाडु सरकार के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी।

(दो) उपर्युक्त अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 11332/76**]**

कीटनाशी अधिनियम, गुडालूर जनमम संपदा (उत्पादन और रायतवारी में बदलना) अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

कृषि और सिंचाई मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री प्रभुदास पटेल): मैं श्री अण्णा साहिब शिंदे की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 36 की उपधारा (3) के अन्तर्गत कीटनाशी (संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 24 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 474 (ङ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 11333/76**]**

[श्री प्रभुदास पटेल]

(2) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गयी उदघोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित गुडालूर जनमम संपदा (उत्पादन और रायतवारी में बदलना) अधिनियम, 1969 की धारा 60 की उपधारा (5) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० ओ० एम० 845 की एक प्रति जो दिनांक 14 जुलाई, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा गुडालूर जनमम संपदा (उत्पादन और रायतबारी में बदलना) नियम, 1974 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 11334/76]

कोचीन पत्तन न्यास के वर्ष 1972-73 के वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन तथा विशाखापत्तनम पत्तन न्यास के वर्ष 1974–75 के वार्षिक लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह): मैं श्री एच० एम० त्रिवेदी की ओर से मुख्य पत्तन न्यास (अधिनियम) 1963 की धारा 103 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कोचीन पत्तन न्यास के वर्ष 1972–73 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(2) विशाखापत्तनम् पत्तन न्यास के वर्ष 1974–75 के वार्षिक लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 11335/76]

संश्लिष्ट रबड़ के मूल्य ढांचे पर टैरिफ आयोग का प्रतिवेदन, सरकारी संकल्प तथा विवरण

संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं श्री जियाउर्रहमान अन्सारी की ओर से निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) संश्लिष्ट रबड़ के मूल्य ढांचे पर टैरिफ़ आयोग का प्रतिवेदन (1975)।

(2) सरकारी संकल्प संख्या एन/18011/2/75–पी०सी०–I, दिनांक 18 मार्च, 1976 जिसमें उपर्युक्त प्रतिवेदन पर सरकार के निर्णय अधिसूचित किये गये हैं।

(3) निर्धारित अवधि के अन्दर उपयुक्त दस्तावेजों को सभा पटल पर न रखे जा सकने के कारण बताने वाला एक विवरण।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 11336/76]

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई का वर्ष 1975–76 का वार्षिक प्रतिवेदन, राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, बम्बई का वर्ष 1975–76 का वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा और समाज कल्याण मन्त्रालय तथा संस्कृति विभाग में उपमन्त्री (श्री अरविन्द नेताम) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:—

(1) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई के वर्ष 1975–76 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।

(दो) उपयुक्त प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण साथ साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(2) राष्ट्रीय औद्योगिक इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, बम्बई के वर्ष 1975–76 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 11337/76]

विभिन्न सत्रों के दौरान मन्त्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण

संसदीय कार्य विभाग में उपमन्त्री (श्री बी० शंकरानन्द) : मैं पांचवी लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों और की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के निम्नलिखित विवरण सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) विवरण संख्या 25	दसवां सत्र, 1974
(दो) विवरण संख्या 17	बारहवां सत्र ,1974
(तीन) विवरण संख्या 21	तेरहवां सत्र, 1975
(चार) विवरण संख्या 5	पन्द्रहवां सत्र, 1976
(पांच) विवरण संख्या 4	सोलहवां सत्र, 1976
(छः) विवरण संख्या 1	सत्रहवां सत्र, 1976

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 11338/76]

मोटर यान अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें तथा केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1974–75 कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन तथा एक विवरण

नौवहन और परिवहन मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) तमिलनाडु राज्य के सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 31 जनवरी, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित मोटरयान अधिनियम 1939 की धारा 133 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(एक) जी० ओ० एम० 2115 जो दिनांक 18 दिसम्बर, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु मोटर यान नियम, 1940 में कतिपय संशोधन किया गया है ।

[श्री दलबीर सिंह]

(दो) जी० ओ० एम० 88 जो दिनांक 18 फ़रवरी, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसके द्वारा तमिलनाडु मोटर यान नियम, 1940 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(तीन) जी०ओ०एम० 603 जो दिनांक 31 मार्च, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु मोटर यान नियम, 1940 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(चार) जी० ओ० एम० 1677 जो दिनांक 22 अक्टूबर, 1975 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु मोटर यान नियम, 1940 में कतिपय संशोधन किया गया है।

(पांच) जी० ओ० एम०/57 जो दिनांक 10 जनवरी, 1976 के तमिलनाडु सरकार राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा तमिलनाडु मोटर यान नियम, 1940 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(2) उपयुक्त अधिसूचनाओं को सभा पटल पर रखने में हुए बिलम्ब के कारण बताने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 11339/76]

(3) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(एक) केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1974–75 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1974–75 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षत लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपयुक्त दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 11340/76]

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

महासचिव :— मैं राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देता हूं :—

(एक) कि राज्य सभा 30 अगस्त, 1976 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 25 अगस्त 1976 को पास किये गये लक्ष्मीरतन एण्ड एथरटन वेस्ट काटन मिल्स (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक, 1976 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।

(दो) कि राज्य सभा 30 अगस्त, 1976 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 25 अगस्त, 1976 को पास किये गये मैटल कारपोरेशन (राष्ट्रीयकरण तथा प्रकीर्ण उपवन्ध) विधेयक, 1976 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है ।

(तीन) कि राज्य सभा ने 26 अगस्त, 1976 की अपनी बैठक में दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1976 पास किया है ।

2. मैं दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 1976, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में सभा पटल पर रखता हूं ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियो के कल्याण सम्बन्धी समिति अध्ययन दौरों के प्रतिवेदन

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

प्रतिवेदन

श्री निहार लास्कर (करीमगंज) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं :–

(1) अध्ययन दल I के जून-जुलाई, 1976 के दौरान बंगलौर मैसूर, और मदुर के अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन ।

(2) अध्ययन दल II के जुलाई, 1976 के दौरान बम्बई, अहमदाबाद और जयपुर के अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन ।

(3) अध्ययन दल III के जुलाई, 1976 के दौरान मद्रास, पाण्डिचेरी, त्रिवेन्द्रम और कन्याकुमारी के अध्ययन दौरे का प्रतिवेदन ।

(4) जून, 1976 के दिल्ली, विकास प्राधिकरण की कतिपय पुनर्वास बस्तियों तथा दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र के एक ग्राम के सीमति के दौरे से सम्बन्धित समिति का प्रतिवेदन ।

लोक लेखा समिति

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

227वां तथा 230 वाँ प्रतिवदन

श्री एच० एन० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :—

(1) वर्ष 1974-75 के विनियोग लेखे में प्रकट किये गये स्वीकृत अनुदानों तथा प्रभारित विनियोगों से अतिरिक्त व्यय और वर्ष 1973-74 के लिये स्वीकृत अनुदानों तथा प्रभारित विनियोगो से अतिरिक्त व्यय के बारे में लोक लेखा समिति के 180वें प्रतिवेदन में दी गयी सिफ़ारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही संबंधी 227वां प्रतिवेदन ।

(2) भारत के नियंत्रक महा लेखापरीक्षक के वर्ष 1973–74 के प्रतिवेदन संघ सरकार (सिविल)–मोरमूगाओं पत्तन के विस्तार (परिवहन और नौवहन मंत्रालय) से सम्बन्धित–के पैराग्राफ़ 36 पर 230वां प्रतिवेदन ।

विशेषाधिकार समिति

COMMITTEE OF PRIVILEGES

19वां तथा 20वां प्रतिवेदन

श्री एन० के० पी० साल्वे (बेतूल) : मैं विशेषाधिकार समिति का 19वां और 20 वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :—

सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS

30वां प्रतिवेदन

श्री वेकारिया (जूनागढ़) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति का 30वां प्रतिवे दन प्रस्तुत करता हूं ।

सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

COMMITTEE ON ABSENCE OF MEMBERS

कार्यवाही-सारांश

श्री वेकारिया : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की 30 अगस्त, 1976 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूं ।

संसद् सदस्यों के वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक

SALARIES AND ALLOWANCES OF MEMBERS OF PARLIAMENT (AMENDMENT) BILL

निर्माण, आवास और संसदीय कार्य मन्त्री (श्री के० रघुरामैया) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संसद् सदस्यों के वेतन और भत्ते अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पेश किया गया :

> "कि संसद् सदस्यों के वेतन और भत्ते अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए ।"

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : महोदय, मैं इस विधेयक के पुरःस्थापन का विरोध करता हूं । यह प्रस्ताव दो वर्ष पूर्व लाया गया था और संयुक्त समिति में भी इस पर अनेक बार चर्चा हो चुकी है । हमने सदा इसका विरोध किया है । मुझे पता है कि पेंशन के उपबन्ध से सदस्यों को प्रसन्नता होगी । लेकिन हमें यह ध्यान रखना है कि हमारे देश की 50% से अधिक जनता निर्धनता के स्तर से भी नीचे जीवन-यापन कर रही है ।

श्री राम सहाय पांडे (राजनंदगाव) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय सदस्य का कहना है कि जब भी इस प्रस्ताव पर संयुक्त समिति में चर्चा हुई तो हमने सदैव इसका विरोध किया । लेकिन मैं संयुक्त समिति का सभापति था और हमने एकमत से यह निर्णय लिया है । वहां किसी ने इसका विरोध नहीं किया ।

अध्यक्ष महोदय : यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं ।

श्री समर मुखर्जी : संयुक्त समिति की बैठक ऐसे समय में हुई जब हमारे सदस्य को सभा में एक विशेष प्रस्ताव पर बोलना था । उन्होंने समिति से बैठक के समय में परिवर्तन का अनुरोध किया था । लेकिन समिति ने उनकी अनुपस्थिति का लाभ उठा कर प्रस्ताव पास कर दिया । पर इसका यह अर्थ नहीं कि हमें भूतपूर्व संसद् सदस्यों के साथ सहानुभूति नहीं है। उनका अब कोई आय का साधन नहीं। लेकिन हम जनता के प्रतिनिधि हैं। जब लाखों कर्मचारियों को नौकरी से निकाला जा रहा हो, जब भुखभरी के समाचार आ रहे हों, कारखाने बन्द हो रहे हों तो हमें अपनी आत्मा की आवाज भी सूननी है । इस विधेयक के पास होने से संसद सदस्यों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी नहीं । जब श्रमिकों का बोनस समाप्त कर दिया हो तो आप संसद् सदस्यों की पेंशनों का विधेयक ला रहे हैं । मेरा विचार है कि आप अपने दल के भीतर के संकट को सुलझाने के लिए ऐसा कर रहे हैं । लेकिन हम अपना विरोध प्रकट करते हैं ।

श्री के० रघुरामैया : यदि माननीय सदस्य केवल सांविधानिक मामलों तक सीमित रहते तो मैं कुछ न कहता । लेकिन वह उस से आगे निकल गये हैं । लेकिन शायद उन्हें जानकारी नहीं है कि केवल हमारा देश ही अकेला ऐसा नहीं है जहां संसद् सदस्यों को पेंशन दी जा रही है । वास्तव में हम तो यह प्रस्ताव देर से लाये हैं । आजकल विश्व में यह एक फैशन सा हो गया है कि जब भी संसद् सदस्यों के लिए कुछ व्यवस्था की जाती है तो समाज के किसी न किसी वर्ग से उनकी तुलना कर दी जाती है । हमें समाज के किसी भी अन्य कुशल वर्ग के समान मुस्तैदी से अपना कार्य करना होता है । अतः इस वर्ग की ओर भी उचित ध्यान दिया जाना चाहिए । क्या विरोध करने वाले माननीय सदस्य तथा उनके दल के अन्य सदस्य पेंशन लेने से इन्कार कर अपने स्तर का परिचय देंगे ?

श्री समर मुखर्जी : जब भी संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्तों सम्बन्धी विधेयक आता है, हम उसका विरोध करते हैं । यह हमारा सिद्धांत है हमें भुख मर रहे लाखों लोगों का भी सोचना है । हम पेंशन लें या न लें इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि संसद् सदस्यों के वेतन और भत्ते अधिनियम, 1954 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित किये जाने की अनुमति दी जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

श्री के० रघुरामैया : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

केरल विधान सभा (कालावधि विस्तार) दूसरा संशोधन विधेयक—जारी

KERALA LEGISLATIVE ASSEMBLY (EXTENTION OF DURATION) SECOND AMENDMENT BILL—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में केरल विधान सभा (अवधि का विस्तारण) दूसरा संशोधन विधेयक आगे विचार के लिए लिया जायेगा । अभी 15 मिनट का समय है ।

श्री के रघुरामैया : समय बढ़ा दिया जाये क्योंकि कुछ अन्य वक्ता भी हैं ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है । हम 45 मिनट का समय दे सकते हैं । यदि सदस्य संक्षेप में बोलें तो कुछ और वक्ता भी अपनी बात कह सकते हैं ।

श्री बी० आर० शुक्ल (बाराइच) : यह अच्छी बात है कि मार्क्सिस्ट दल के लोग भी लोकतंत्र में विश्वास करने लगे हैं । उनका कल्याण भी इसी में है केरल विधान सभा की अवधि के विस्तार सम्बन्धी प्रश्न पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण से विचार किया जाना चाहिए । अभी अनुत्तरदायी राजनीतिक तत्वों का रवैया ठीक नहीं है । यद्यपि सरकार ने आपात स्थिति की शर्तों में ढील दे दी है तथापि ऐसी शक्तियों की नीति में परिवर्तन नहीं हुआ है ।

लोक सभा की अवधि एक वर्ष तक के लिए बढ़ाई गई है और 1977 में निर्वाचन होने हैं । यदि केरल विधान सभा के चुनाव अब करा दिये जायें तो दो-तीन-मास के बाद लोक सभा के लिए वहां फिर चुनाव कराने होंगे ।

इसके अतिरिक्त आपात स्थिति के लाभ से पूरा फायदा उठाना है । जिन शक्तियों के कारण आपात स्थिति लागू की गई थी, वे अब भी विद्यमान हैं । फिर अभी यह भी निश्चित नहीं हुआ कि लोक सभा के लिए चुनाव कब कराये जाने हैं ।

इसके अतिरिक्त आपात स्थिति के दौरान राजनीतिक दलों के जो नेता जेल में बन्द हैं, उन्हें रिहा किया जाना है अन्यथा ये दल कहेंगे कि चुनाव स्वतंत्र रूप से नहीं कराये गये हैं । अतः मेरा निवेदन है कि पहले स्थिति सामन्य हो जाये तब निर्वाचन कराये जायें ।

जहां तक आपात स्थिति से हुए आर्थिक लाभों का सम्बन्ध है, यह सभी मानते हैं कि न केवल केरल में बल्कि समूचे देश में तेजी से आर्थिक परिवर्तन आया है। विद्यार्थियों में अनुशासन की भावना पैदा हुई है। कल-कारखानों और सरकारी सेवाओं में कार्य अधिक कुशलता से होने लगा है। इस दौरान जो कानून पास हुए उनका सभी ने स्वागत किया है। मैं इस बात को नहीं मानता कि चूंकि जो उपाय किये गये हैं उनके परिणाम अच्छे निकले हैं इसलिए निर्वाचन की कोई आवश्यकता नहीं या उन्हें टाल दिया जाये।

चुनाव इसलिए नहीं स्थगित किए जा रहे कि हमें चुनावों में हार जाने का भय है। राष्ट्र के व्यापक हित को ध्यान में रख कर इन्हें स्थगित किया जा रहा है। अतः मेरे मित्र को केरल विधान सभा की कुछ महीनों के लिए कालावधि के विस्तार के बारे में शिकायत नहीं होनी चाहिए। अपितु उन्हें इसका स्वागत करना चाहिए। वह अब शांतिपूर्वक उन गलतियों पर विचार कर सकते हैं जो कि अतीत में उनसे हुई है।

इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन विधयक का समर्थन करता हूं।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : यद्यपि हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि केरल की वर्तमान सरकार की उपलब्धियां महान हैं वहां लगभग 25 लाख काश्तकार अब फार्मों के मालिक बन गए हैं और तीन लाख झोपड़ी निवासियों को, अपनी झोंपड़ी बनाने के लिए प्रति निवासी को 10 सेंट भूमि प्राप्त हुई है और एक लाख लोगों को मकानों के लिए जगह दी गई है और अतिरिक्त भूमि का बंटवारा भी किया गया है फिर भी विधान-मंडल को कालावधि का विस्तार न तो राज्य की जनता के हित में है और न ही राजनीतिक दलों के हित में हैं जिन्होंने सम्मिलित सरकार बनाई हुई है वह पहले ही छह वर्ष तक कार्य कर चुके हैं। वह अपने कार्यक्रमों और योजनाओं को लगभग पूरा कर चुके हैं और अब उनके पास कुछ काम नहीं है अतः ऐसी स्थिति में यदि हम सभा को कालावधि का विस्तार करते हैं तो जो यश उन्होंने इतने वर्षों में अर्जित किया है वह उसे गंवा देंगे। अतः हम चाहते हैं वह जल्दी से जल्दी चुनाव कराए जाएं। मैं नहीं चाहता कि राज्य का प्रशासन अनिश्चित काल के लिए इतने दलों की सम्मिलित सरकार चलाए।

लोकतांत्रिक संविधान में निर्धारित पांच वर्ष की कालावधि किसी भी विधानमंडल के लिए उचित और न्यायसंगत है और इतने समय में वहां की सरकार अपनी योग्यता दिखा सकती है और जब कालावधि का बार बार विस्तार किया जाता है तो इसका स्वभाविक परिणाम यह होता है कि मंत्रियों के आस-पास गुटों के चक्कर लगने शुरु हो जाते हैं और जब गुट-बाजी शुरु हो जाती है तो उचित और निष्पक्ष प्रशासन में बाधा पड़ती है। यदि विधान सभा का सत्रावसान नहीं किया जा सकता। तो कम से कम इसे स्थगित कर दिया जाना चाहिए और वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए और सरकार ऐसा नहीं चाहती है तो उन्हें चुनाव शीघ्रातिशीघ्र करा लेने चाहिए। इस प्रकार कालावधि का विस्तार नहीं किया जाना चाहिए।

श्री जी० विश्वनाथन (वाण्डीवारा) : केरल विधान सभा की कालावधि का तीसरी बार विस्तार किया जा रहा है। हम सिद्धांत रुप में विधान सभाओं की कालावधि का विस्तार नहीं करने जा रहे। आज देश में आपात स्थिति लागू है और केरल का मंत्रालय ही एक ऐसा मंत्रालय है जिसने अपनी कालावधि बिना किसी गड़बड़ के पूरी की है जबकि अन्य मंत्रालय बहुत कम समय तक एक वर्ष, दस महीने अथवा 6 महीने तक रह पाए अत: यही मंत्रिमंडल सबसे स्थिर रहा है। जहां तक मुख्य मंत्री का सम्बन्ध है वह हमारे देश के आर्दश मुख्य मंत्री है वह ऐसे व्यक्ति है जो बातें कम और काम ज्यादा करते हैं।

अब प्रश्न यह है कि यदि हम केरल विधान सभा की कालावधि का विस्तार नहीं करेंगे तो परिणाम क्या होगा। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा वह हमें पसन्द नहीं है। लोकप्रिय प्रशासन राष्ट्रपति के शासन से कहीं बेहतर है। केरल के अन्य संगठित दलों का कहना है कि वह चुनाव के लिए तैयार हैं लेकिन केन्द्र चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं है। यदि ऐसी बात है तो वह स्थानीय निकायों का चुनाव करा सकते थे जोकि पिछले 14 अथवा 15 वर्षों से निलंबित पड़े हैं। साथ ही राज्य सरकार को जनता के रवैये के बारे में भी पता लग जाएगा। यदि चुनाव अभी नहीं कराए जा सकते तो वर्तमान सरकार और विधान सभा की कालावधि कुछ महीनों तक के लिए और बढ़ा दी जाए लेकिन राष्ट्रपति शासन न लागू किया जाए। अत: मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री सी० एच० मोहम्मद कोया (मंजरी) : अध्यक्ष महोदय मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। चूंकि सरकार चुनावों के लिए तैयार नहीं है अत: केरल विधान सभा की कालावधि के विस्तार के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है लेकिन हम आशा करते हैं कि अब अंतिम बार सभा की कालावधि के विस्तार के लिए अनुमति मांगी जा रही है और सरकार फिर सदन से सभा की कालावधि का विस्तार करने के लिए नहीं कहेगी क्योंकि सभी राजनीतिक दल अब चुनाव के लिए तैयार हैं।

मैं राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग से सहमत नहीं क्योंकि तब नौकरशाहो का राज्य हो जाएगा और जनता को काफी परेशानी होगी। अब हमें यह सांत्वना तो है ही कि वहां लोकप्रिय सरकार है। लेकिन मैं यह चाहता हूं कि सभा की कालावधि के विस्तार के बाद पुन: कालावधि विस्तार न किया जाए और न ही इस कालावधि के पुन: विस्तार का कोई औचित्य मुझे दिखता है क्योंकि सतारूढ़ दल और प्रतिपक्ष दल चुनाव के लिए तैयार है।

मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (डा० वी० ए० सैयद मुहम्मद) : मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया है।

साम्यवादी मार्क्सवादी दल के एक प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि सरकार उनके दल के लोगो को पीट रही है लेकिन तथ्य यह है कि केरल में यद्यपि हमारे दल के लोग सत्ता में नहीं हैं फिर भी वहां के गांवों में प्रतिदिन और कभी कभार शहरों में मारपीट की घटनाएं आम हो रही है और यह लोग हम

पर मारपीट करने का आरोप लगा रहे हैं ।

श्री चन्द्राप्पन और श्री कोया ने सरकार से यह आश्वासन चाहा है कि वह फिर सभा की कालावधि विस्तार के संबध में प्रस्ताव नहीं करेगी । यह विस्तार न्यायोचित तथ्यों के आधार पर मांगा जा रहा है । निश्चय ही हम इस संबंध में पूर्वानुमान नहीं लगा सकते कि क्या यह स्थिति जारी रहेगी अथवा नहीं और क्या हमें फिर कालावधि विस्तार के लिए नहीं कहना पड़ेगा ।

यह भी कहा गया है कि चुनाव कराने का यही उचित समय है और अगर इस समय चुनाव कराये जाएंगे तो कांग्रेस दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त होगा । . मैं इस बात से सहमत हूं लेकिन प्रश्न निर्वाचित होने अथवा बहुमत प्राप्त करने का नहीं है हमें कई असंख्य बातों पर विचार करना है केवल इसी आधार पर कि चुनाव में हमें बहुमत प्राप्त होगा । इसलिये हम शीघ्र चुनाव करा ले, चुनाव कराना ठीक नहीं है ;

श्री श्रीकान्तन नायर ने केरल में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अनुरोध किया है लेकिन राष्ट्रपति शासन को लागू करना सरकार के किसी दल अथवा दलों की इच्छा पर निर्भर नहीं करता । राष्ट्रपति शासन उस अवस्था में लागू किया जाता है जबकि राष्ट्रपति राज्यपाल की इस रिपोर्ट से आश्वस्त हो जाए कि राज्य में संवैधानिक ढंग से सरकार नहीं चलाई जा सकती इस स्थिति में माननीय सदस्य का अनुरोध स्वीकार करना कठिन है । मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस संबन्ध में अमूल्य सुझाव दिये हैं ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है "कि केरल राज्य की विद्यमान विधान सभा की कालावधि को और बढ़ाने का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : अब हम खण्डवार विचार करेंगे । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2, खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।

Clause 2, clause 1, the anacting formula and the title were added to the Bill.

डा० वी० ए० सैय्यद मुहम्मद : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

———

केन्द्रीय विक्रय कर (संशोधन) विधेयक

CENTRAL SALES TAX (AMENDMENT) BILL

श्री एन० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद 286 के विरूद्ध है।

अनुच्छेद 286 (1) में कहा गया है ।

" राज्य की कोई विधि वस्तुओं के क्रय और विक्रय पर, जहां ऐसा क्रय या विक्रय—

(क) राज्य के बाहर अथवा

(ख) भारत राज्य क्षेत्र में वस्तुओं के आयात अथवा उसके बाहर निर्यात के दौरान में, होता है वहां कोई करारोपण न करेगी और न प्राधिकृत करेगी।"

अनुच्छेद 286 की धारा 2 में कहा गया है वस्तुओं का क्रय या विक्रय कब होता है संसद विधि द्वारा सिद्धान्त सूचित कर सकेगी। अनुच्छेद 286 इसी उद्देश्य हेतु बनाया गया है । इस विधेयक से राज्यों को उनके राजस्व से वंचित किया जा रहा है। राज्य सरकारें विक्रय कर के संबंध में कानून नहीं बना पाऐंगी। इस विधेयक द्वारा लगाए जाने वाले प्रतिबंध से सभी राज्यों के हितों पर कुप्रभाव पड़ेगा और यह प्रधान मंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम के विरुद्ध है । एक स्थान के बजाय जब अनेक स्थानों से विक्रय कर वसूल किया जाएगा तो कीमतों में वृद्धि होगी।

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मन्त्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी) : यह केवल एक संशोधनकारी विधेयक है । हम केवल उन उपबंधों का विस्तार करना चाहते हैं जिन्हें सदन को अनुमोदन पहले से ही प्राप्त हो चुका है । यह कोई नया विधान नहीं है ।

अध्यक्ष महोदय : अबहम इस विधेयक पर चर्चा करेंगे। 2 घंटे का समय इसके लिए नियत किया गया है । मैं प्रस्ताव करता हूं ।

"कि केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"

केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 5(1) के अन्तगत वस्तुओं का क्रय-विक्रय निर्यात के मामले में जबकि वस्तुएं भारत राज्य क्षेत्र से बाहर जाएंगी विक्रय माना जाएगा और यह क्रय विक्रय प्रभावी उस समय होगा जबकि माल भारत की सीमा पार कर जाएगा। मोहम्मद सराजुद्दीन बनाम उड़ीसा राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अप्रैल 1975 में यह निर्णय दिया कि इस धारा के अन्तगत भारतीय निर्यातक द्वारा विदेशी आयातकर्ता को निर्यात किया गया माल ही केवल विक्रय समझा जाएगा।

निर्यात नियंत्रण आदेश के अनुसार कुछ वस्तुओं का निर्यात केवल विशिष्ट अभिकरणों जैसे राज्य व्यापार निगम द्वारा ही किया जा सकता है । लेकिन अन्य मामलों में निर्माताओं विशेषकर छोटे तथा मध्यम क्षेत्र में काम करने वालों को वस्तुओं के निर्यात हेतु निर्यात गृहों पर निर्भर रहना पड़ता है क्योंकि निर्यात व्यापार में विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है ।

वर्तमान के या आदेश के अनुरूप, किसी निर्यात एजेन्सी को बेची गई वस्तुओं का निर्यात के साथ गहरा सम्बन्ध है । उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी है कि निर्यात के मामले में उक्त वस्तुओं को किसी एजेन्सी अथवा निर्यात गृह को बेचा जाना विक्रय नहीं माना जा सकता । अतः इन वस्तुओं पर विक्रय कर लगाया जाना चाहिए । विक्रय कर लगाने से वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो जा गी तथा प्रतिस्पर्द्धापूर्ण अन्तराष्ट्रीय मंडी में हमारी वस्तुएं प्रतिस्पर्द्धा नहीं कर पाएंगी । अतः इस अधिनियम द्वारा भूतलक्षी प्रभाव, अर्थात् 1 अप्रेल, 1976 से संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (2) में राज्यों के विक्रय कर प्राधिकारियों को यह शक्ति दी गई है कि वह केन्द्रीय विक्रय कर का निर्धारण पुनः निर्धारण, समाहरण तथा प्रवर्तन करें । इसके साथ ही उन्हें दण्ड देने का अधिकार भी दिया गया है । खेमका एण्ड कम्पनी (एजेन्सीस) प्राइवेट लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र सरकार के मामले में उच्चतम न्यायालय ने बहुमत से यह निर्णय दिया था कि राज्य विक्रय कर में दण्ड देने की व्यवस्था के नियम केन्द्रीय विक्रय कर के मामले में लागू नहीं होते । इस अभिनिर्णय से राज्य सरकार के समक्ष वह पैसा वापिस करने की समस्या उत्पन्न हो गई है जो उन्होंने दण्डस्वरूप एकत्र की थी । इसलिए धारा 9 में संशोधन करके यह व्यवस्था की जा रही है कि राज्य विक्रय कर के अन्तर्गत दिए जाने वाले दण्ड केन्द्रीय विक्रय कर के मामले में भी लागू होंगे । इस प्रकार राज्य के सामान्य विक्रय कर कानूनों के आधार पर केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम के लिए जो दण्ड दिए गए, उन्ह वैध करार दिया जा रहा है ।

उपरोक्त विषयों के सम्बन्ध में अधिनियम में संशोधन किए जाने के अवसर का उपयोग निम्न संशोधन करने के लिए भी करने का विचार है : (एक) अन्तर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के लिए विशेष महत्व की वस्तुओं की सूची में अशोधित तेल और कुछ अनाज और दालों को भी शामिल करने का प्रस्ताव है । (दो) "व्यापार" और "भारत की सीमा शुल्क सीमा को पार करना" शब्दावलियों की परिभाषा को भी अधिनियम में जोड़ा गया है । (तीन) वर्तमान "व्यापारी" शब्द की परिभाषा के स्थान पर नई व्यापक परिभाषा को रखने का प्रस्ताव है । (चार) अधिनियम की धारा 7 में संशोधन करने का प्रस्ताव है । यह व्यवस्था की जा रही है कि प्रतिभूति तब तक नहीं मांगी जायेगी जब तक व्यापारी को सुनवाई का अवसर न दिया जाय । (पांच) अधिनियम की धारा (9) की उपधारा (1) की कमियों को दूर करने का प्रस्ताव है । निर्यात को बढ़ावा देने के लिये ही ये संशोधन किये जा रहे हैं ।

... मुझे विश्वास है कि सभा इस विधेयक को सर्व सम्मत्ति से स्वीकार करेगा ।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ : "कि केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 में और संशोधन करने वाल विधयक पर विचार किया जाय" ।

श्री सी० एच० मोहम्मद कोया : मैं श्री प्रणव कुमार मुखर्जी द्वारा पेश किये गये विधेयक का विरोध करता हूं। संशोधन विधेयक द्वारा अधिनियम की धारा 5 में संशोधन करने का प्रस्ताव है। यदि यह विधेयक पास कर दिया गया तो निर्यात एजेन्सियों द्वारा खरीदी गई वस्तुओं पर विक्रय कर नहीं लगेगा।

केरल सरकार ने भारत सरकार को लिखा है कि इस विधेयक का उनकी वित्त व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। राज्य सरकार के सामने आने वाली विशेष कठिनाई को विधेयक का प्रारुप तैयार करते समय ध्यान में नहीं रखा गया है। केरल से अधिकतर काली मिर्च, अदरक, इलायची; काजू और समुद्री उत्पादों का निर्यात होता है, जिसका निर्यात बाजार में कोई प्रतियोगी नहीं है। पहले इस कराधान का निर्यात व्यापार पर कोई प्रभाव नहीं पडता था।

प्रस्तावित संशोधन का राज्य की वित्त व्यवस्था पर गम्भीर प्रभाव पड़ेगा। केरल में योजना के वित्त पोषण के लिये हम ने 20 करोड रुपये के अतिरिक्त संसाधन जुटाये हैं और व्यय में कटौती तथा बकाया करों की वसूली से हम 10 करोड़ रुपये की राशि और जुटा रहे हैं। फिर भी घाटे को पूरा करने में बड़ी कमी रह जायेगी। प्रस्तावित संशोधन से हमारे राजस्व में से 23 करोड़ रुपये और निकल जाने से योजना का वित्त पोषण करना और असम्भव हो जायेगा।

मंत्री महोदय से मेरा अनुलोध है कि वह केरल के सदस्यों द्वारा पेश किये गये संशोधन स्वीकार कर ले।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 14.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned for lunch till Fourteen of the clock.

लोक सभा मध्याहन भोजन के बाद 14.00 बजे पुनः समवेत हुई।

The Lok Sabha reassembled after lunch at Forteen of the clock.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।]

MR. DEPUTY SPEAKER *in the chair*

केन्द्रीय विक्रय कर (संशोधन) विधेयक—जारी

CENTRAL SALES TAX (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

उपाध्यक्ष महोदय : श्री स्टीफन

Shri Ram Hedaoo (Ramtek): We have come to know that Bill regarding Scheduled Castes and Scheduled Tribes is not being moved even-today.....

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया शाति रखे। अगर माननीय सदस्य ने कुछ कहना है तो वह मुझे लिख कर भेंजे। श्री स्टीफन।

Shri Ram Hedaoo: I want that the Bill be moved and passed.....

उपाध्यक्ष महोदय : शांति, शांति। माननीय सदस्य द्वारा कहीं गई बात कार्यवाही सांराश में शामिल नहीं की जायेगी।

श्री राम हेगऊ : **

श्री सी० एम० स्टीफन : (मुवत्तुपुजा) यह विधेयक संघीय प्रणाली की सरकार के मूल सिद्धान्तों के विरुद्ध है। यदि यह विधेयक पास हो गया तो विभिन्न राज्यों की वित्तीय स्थिति डगमगा जाएगी तथा सरकारी निर्यात गृहों के अतिरिक्त तथाकथित गैर सरकारी निर्यातको को भी विभिन्न राज्यों की वित्त व्यवस्था के आधार पर उल्लेखनीय लाभ होगा।

खण्ड 3 में निर्यात व्यापार के सौदों की परिभाषा की गई है। यही परिभाषा संसद ने केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 5 में दी है। यदि सरकार धारा 5 को हटाकर अन्य नई धारा रखती और कोई नया सिद्धान्त अपनाया जाता तो बात समझ में आ सकती थी। परन्तु ऐसा न करके धारा 5 की उपधारा (1) और उप धारा (2) को बनाए रखा जा रहा है और एक नई उप-धारा को अन्तःस्थापित किया जा रहा है। यह बड़ी ही अजीब सी बात है। यह सही है कि इस संसद को व्याख्या करने का अधिकार है परन्तु संसद जो व्याख्या करे वह सामान्य ज्ञान और पूर्व स्वीकृत न्यायिक सिद्धान्तों के अनुरूप होनी चाहिए।

जहां तक अन्तर्राज्यीय विक्रय का सम्बन्ध है, अन्तर्राज्यीय व्यापार के लिए एक सा सिद्धान्त होना चाहिए। सरकार दो अलग अलग सिद्धान्त नहीं बना सकती। लेकिन सरकार ने दो राज्यों के बीच आयात-निर्यात तथा भारत से अन्य देशों को किए जाने वाले निर्यात के लिए अलग अलग सिद्धान्त बनाए हैं।

एक ओर तो दो राज्यों के बीच निर्यात होता है तथा दूसरी ओर दो देशों तथा भारत तथा अन्य देशों के बीच आयात निर्यात होता है। परन्तु दोनों के लिए अलग अलग नियम है। यह सब कुछ बहुत ही अजीब सा लगता है। जहां तक परिभाषा का सम्बन्ध है उसकी संवैधानिकता के बारे में भी मुझे संदेह है। ऐसा मालूम होता है कि जैसे कि सरकार को वैधानिक होने या न होने की कोई परवाह नही है। परन्तु एक विधायक होने के नाते मैं निश्चय ही इसे अपनी आत्मा के विरुद्ध समझता हूं।

इस सम्बन्ध में मैं एक अन्य निवेदन यह करना चाहता हूँ कि इस उपबन्ध की एक त्रुटि यह है कि निर्यात की बिक्री के लिए बनाये गये माल को भी बिक्री कर से बचाकर कर अन्य राज्यों में बेचा जा सकता है। इस प्रकार एक राज्य से दूसरे में माल को ले जाकर, व्यापारी लोग सभी राज्यों को बिक्री कर देने से बच सकने में सफल हो जायेंगे। जहां तक मेरे अपने राज्य का समबन्ध है, इस संशोधन का केरल राज्य की वित्त व्यवस्था पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस समय बिक्री कर से लगभग 118 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हो रहा है। इसमें से लगभग 23 करोड़ रूपये के माल पर इस संशोधन का

*कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

Not Recorded.

[श्री सी०एम० स्टीफन]

प्रभाव पड़ेगा। अतः राज्य को इससे 23 करोड़ पये के राजस्व की हानि होगी। अभी तो मन्त्री महोदय सम्भवतः यह कह देंगे कि वह आपको हम अगली पँचवर्षीय योजना में दे देंगे। परन्तु भविष्य के लिए तो यह सँशोधन भारतीय कानून व्यवस्था का एक अभिन्न अँग बन जायेगा उस समय तो सभी इस मूल बात को भूल जायेंगे। इसीलिए मैं यह कहता हूँ कि सँविधान के सँघीय स्वरूप का खुले रूप से उल्लँघन किया जा रहा है।

अन्त में, मैं एक बात कह कर अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ। सरकार द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि राज्य व्यापार निगम तथा अन्य ऐसे निर्यात गृह इसी अतिरिक्त लेवी के परिणामस्वरूप अन्तर्राष्ट्रीय मंडी में प्रतिस्पर्धा में पीछे रह रहे हैं। यह कितनी विचित्र बात है कि कुछ एक चुने हुए निर्यात गृहों के नाम पर आप सभी निर्यात व्यापारियो को यह सुविधा प्रदान करने जा रहे हैं। यह तो ऐसा लगता है मानो कि एक व्यूटी को मारने के लिए आप ऐटम् बम बनाने जा रहे हों। आप कुछ निर्यात गृहों के लिए अलग उपबन्ध बना दीजिये। यदि सँविधान के अनुच्छेद 198 का उप-अनुच्छेद 2 आपके रास्ते में आता है तो भला आप अन्य सँशोधनों की तरह उसमें भी सँशोधन क्यों नहीं कर देते? आप राज्यों के राजस्व को भला इस प्रकार क्यों समाप्त कर रहे हैं? गरीब राज्यों की अर्थव्यवस्था पर इसका काफी प्रभाव पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ यह सँशोधन सँवैधानिक दृष्टि से सँदेहपूर्ण है, तथ्यात्मक दृष्टि से भी गलत है तथा इससे संसद् की शक्तियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। इससे सँघीय अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। अतः मेरा माननीय मँत्री महोदय से अनुरोध है कि वह इस सँशोधन पर पुनः विचार करें।

श्री दिनेश जोरदर : (मालदा) उपाध्यक्ष महोदय इस विधेयक के सम्बन्ध में मेरे मित्र श्री स्टीफन द्वारा जो चिन्ता व्यक्त की गई है वह पुर्णतया उचित है। इस सँशोधन के परिणामस्वरूप न केवल केरल राज्य की अर्थव्यवस्था पर ही कुप्रभाव पड़ेगा अपितु देश के अन्य राज्यों पर भी इसका अनुचित प्रभाव पड़ेगा। इससे पूर्व जब वर्ष 1972 में केन्द्रीय बिक्री कर में सँशोधन किया गया था, तो उस समय केन्द्रीय बिक्री कर की बकाया राशि का उल्लेख किया गया था। परन्तु अभी तक बड़े बड़े व्यापार गृहों से बकाया धनराशि वसूल नहीं की गई है।

प्रस्तुत केन्द्रीय बिक्री कर (संशोधन) विधेयक के अन्तर्गत बड़े बड़े व्यापारगृहों को, जो कि अक्सर करों से बचाने के आदी हो चुके हैं, कई रियायतें दी जा रही हैं। दूसरी ओर तथ्य यह है कि अभी भी उनकी ओर बकाया धनराशि वसूल नहीं की गई है। अन्तर्राज्यीय बिक्री के सम्बन्ध में बाटा और कालगेट जैसे बड़े व्यापारी गृह केन्द्रीय बिक्री कर को बचाते रहे हैं। वह छोटे निर्माताओं से माल खरीद कर उस पर अपने नाम का ठप्पा लगा कर माल बेचते रहे हैं। इस तरह से वह सरकार तथा छोटे निर्माता दोनों को ही धोखा देते रहे हैं। अतः इस प्रकार से किये जा रहे कर-अपवँचन को रोकने तथा बकाया कर को वसूल करने के लिए कुछ न कुछ व्यवस्था की जानी चाहिये।

अनाज, दालों और अन्य कृषि उत्पादों को विधेयक के खण्ड 7 और 8 में जोड़ने से केन्द्रीय बिक्री कर तथा राज्य बिक्री कर लगाने के लिए परोक्ष रूप से प्रोत्साहन मिलता है।

सरकार निर्यात के सामान पर से बिक्री कर हटा रही है। बिक्री कर से वस्तुओं के मूल्य बढ़ जायेंगे। आज कपड़े पर 33 से 35 प्रतिशत मूल्य वृद्धि हुई है। केन्द्रीय तथा राज्य बिक्री कर से मूल्य

वृद्धि हुई है। निर्यात की जाने वाली वस्तुओं पर से बिक्री कर समाप्त करने से आप व्यापारियों, निर्माताओं या वणिकों को लाभ पहुंचा रहे हैं। आप आवश्यक एवं बुनियादी वस्तुओं से बिक्री कर नहीं हटा रहे हैं। अतः यह स्पष्ट किया जाये कि कौन सी आवश्यक वस्तुओं को बिक्री कर से छूट दी जाये।

प्रतिभूति के उपबन्धों में ढील देकर अच्छा कार्य किया है और छोटे व्यापारियों को कुछ रिआयतें दी गई हैं। अतः अब प्रतिभूति की राशि अनुमानित निर्धारण के आधार पर ही आंकी जायेगी।

बिक्री कर प्रमाण पत्र तथा अन्य दस्तावेज होने पर भी अन्तर्राज्यीय सीमाओं को पार करते समय वहां चुंगियों पर लोगों को बहुत तंग किया जाता है। हमने इस मामले पर अन्तर्राज्यीय मार्ग परमिटों के बारे में चर्चा के दौरान विचार किया था। इस तरह सामान उठाने में विलम्ब हो जाता है जिससे माल मालिक को रेलवे को हरजाना देना पड़ता है। अतः मन्त्री महोदय यह सुनिश्चित करें कि अन्तर्राज्यीय विक्रय व्यापार के दौरान केन्द्रीय बिक्री कर के मामले को लेकर किसी व्यक्ति को तंग न किया जाये

केन्द्रीय बिक्री कर की अलग ही परिभाषा दी गई हैं। इससे बहुत भ्रम पैदा होगा। यदि कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए भी किसी वस्तु का निर्माण करता है तो यह भी व्यापार के अन्तर्गत आ जाता है और एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाते समय उस बस्तु पर बिक्री कर देना होता है। आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में छूट दी गई है लेकिन उससे सम्बन्धित राज्य का राजस्व घट जायेगा। सामान्यतः इसे निर्यात के लिए विक्रय नहीं माना जायेगा। इस पहलू पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। मैं पहले ही उल्लेख कर चुका हूं कि विद्यार्थियों तथा गांवों के निर्धन वर्ग के लोगों के उपयोग की वस्तुओं पर से शुल्क हटा दिया जाये।

Shri Hari Singh (Khurja): This Bill has been brought forth with a view to promote the exports of certain goods by exempting them from Central Sales tax. It also deals with certain problems relating to Central Sales tax. So this is a welcome measure as it will help to increase the supply of our goods to foreign markets. It is said that this enactment will seriously affect the interests of states. But there is nothing in this Bill which may go against the interests of any State. The apprehensions expressed in this regard are completely unfounded.

This is a very timely and appropriate legislation. But there are certain difficulties in it. Goods are not assessed for purpose of imposing Central or State Sales tax in time and in a proper way. Appeal cases are kept pending for a very long time and inspectors act aribitrarily. Steps therefore, should be taken to appoint an authority to Judge the rationality of the decisions taken by inspectors. Measures should be taken to decide the pending appeal cases regarding tax evasion expeditiously after rationalising and simplifying the entire procedure.

Sales tax is the main component of State revenue. But the machinery for the administration of Sales Tax is top heavy. Steps should be taken to rectify this situation. I, therefore, support the Bill.

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर) : इस विधेयक में कोई नई बात नहीं है। इससे वर्तमान अधिनियम का संशोधन किया जा रहा हैं। इससे अनेक राज्यों और उनके राजस्व पर प्रभाव पड़ेगा। पिछला विक्रय कर (संशोधन) विधेयक 1972 में प्रवर समिति के पास भेजा गया था। उस समय यह दावा किया गया था कि यह अत्यधिक व्यापक विक्रय कर कानून हैं जिसके अन्तर्गत गरीब लोगों को हानि नहीं होगी और आवश्यक वस्तुओं पर यह कर नहीं लगेगा तथा बड़े व्यापारियों और एकाधिकारगृहों से विक्रय कर के रूप में भारी धनराशि एकत्र की जायेगी।

[श्री डी० के० पांडा]

जब विक्रय कर अधिनियम लागू हुआ था उस समय पिछले 10 वर्ष से एक मामला विचाराधीन पड़ा था जिसमें उड़ीसा उच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दिया था। उस निर्णय के विरुद्ध सिराजुद्दीन ने उच्चतम न्यायालय में अपील की थी। सरकार को इस कानून में संशोधन करते समय इस पहलू पर ध्यान रखना होगा। उच्चतम न्यायालय ने 16 अप्रैल, 1975 को अपना निर्णय दिया था। उस निर्णय के एक वर्ष चार महीने बाद अब यह विधेयक सदन में लाया गया है। इससे पता चलता है कि सरकार ऐसे मामलों में कितनी गम्भीर है। ऐसे कानून से एक भी राज्य को कोई लाभ नहीं होगा और इसके विपरीत बड़े व्यापारियों, खान मालिकों, और निर्यात गृहों को ही विक्रय कर की अदायगी से छूट मिलेगी। इन्हें यह छूट नहीं दी जानी चाहिए। इसके लिए यह तर्क दिया जाता है कि सरकार इनसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाती है और अन्तर्राष्ट्रीय मण्डी में भारी स्पर्धा के कारण ही हम इनको अधिक छूट देना चाहते हैं। लेकिन यह छूट कुछ चुनिन्दा मदों पर ही दी जानी चाहिए और वह भी सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को, बड़े व्यापारियों को नहीं।

हम जानते हैं बड़े व्यापारी कम राशि के बीजक और अधिक राशि के बीजक बनाते हैं। और ये कानून का उल्लंघन करते हैं और पकड़ में नहीं आते। ऐसी स्थिति में सरकार यह नहीं बता पाती है कि कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होगी और इससे राष्ट्र को कितना लाभ होगा। इसमें यह नहीं बताया गया है कि इस विधान से हमें कैसे लाभ होगा। इससे तो सिराजुद्दीन जैसे बड़े व्यापारियों को ही लाभ होगा।

सर्वप्रथम उन व्यापारियों पर विक्रय कर लगाया जाना चाहिए जो निर्यात गृहों को अपना माल बेचते हैं। दूसरे कुछ ऐसी वस्तुएं चुनी जानी चाहिए जिनसे राज्य के राजस्व में हानि न होने पाये। तीसरे इस अधिनियम पर नये सिरे से विचार करने और इसमें व्यापक संशोधन करने का समय आ गया है।

वर्तमान अधिनियम में अनेक खामियां हैं और विदेशी कम्पनियां या बहुराष्ट्रीय निगम इनसे अधिकतम लाभ उठा रहे हैं और आयकर की चोरी कर रहे हैं। वे धन का दुर्विनियोग भी कर रहे हैं। इसलिए एक व्यापक विधेयक लाया जाना चाहिए और विशेषकर आवश्यक वस्तुएं इस विधेयक के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत लाई जानी चाहिएं।

उपाध्यक्ष महोदय : यह अत्यधिक महत्वपूर्ण विधेयक है। श्री स्टीफन ने बहुत उपयोगी सुझाव दिये हैं जिनका समर्थन और सदस्यों ने भी किया है। लेकिन इस विधेयक के लिए केवल 2 घंटे दिए गए हैं। जिसमें से एक घंटा बीत गया है और अभी 10 वक्ता और हैं। मन्त्री महोदय को भी उनका उत्तर देना है। अतः प्रत्येक सदस्य 10 मिनट के भीतर ही अपना भाषण पूरा करने की कृपा करें।

Shri D. N. Tiwary (Gopalganj): This Central Sales Tax (Amendment) Bill has been brought here because some of the provisions of the parent Act have been declared *ultra vires* by the Centre. It seems that there is something wrong with our law drafting machinery because the laws drafted by them can not stand the scrutiny of court. The Minister should, therefore, ensure a full and complete scrutiny of all the financial Bills so that no locunas are left and courts could not strike them down. That machinery should be improved.

Sales tax is a major source of revenue for a state but it has been found that there is widespread bungling in the collection of sales tax and there is a scope for showing favour in the implementation of the provisions of this law. Therefore the machinery responsible for administration of this law should be set right. The officers at district level have indulged in all sorts of malpractices, as a result of which people are put to great harassment and at the same time State is put to loss of revenue. These should be checked. The efforts to simplyfy the procedure are welcome but they will not bring any positive results unless the tax-collecting machinery is properly set right.

It has been said that single point duty will be levied on foodgrains, such as, wheat, rice. But it appeared that grain has been excluded. So, a note should be taken of this point. It would be better if coarse grains are exempted from this provision because it will give some relief to the poor people who mostly use it.

श्री एन० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन) : इस विधेयक के उद्देश्य और कारण बताने वाले वक्तव्य में सरकार ने बताया है कि इससे गहन प्रतिस्पर्धात्मक अन्तर्राष्ट्रीय मण्डियों में हमारे प्रयास प्रतिस्पर्धा हीन हो जायेंगे । धारा 5 का संशोधन करने के लिए यही कारण दिया गया है । लेकिन इस प्रश्न का एक पहलू यह है । परम्परागत वस्तुओं का ही निर्यात होता है । क्योंकि ऐसी वस्तुओं में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती है और ये मुख्यत: एकाधिकारवादी होती हैं । सरकार इन वस्तुओं को यहां क्यों लाती है। मन्त्री महोदय का कहना है कि इन वस्तुओं के साथ हमें और वस्तुएं भी निकालनी पड़ेगी । यह समस्या का समाधान नहीं है । यदि निर्यात या निर्यात की मात्रा बढ़ाने का केवल यही पहलू है तो जिन वस्तुओं के निर्यात से विक्रय कर में बाधा नहीं पड़ती उन्हें शामिल नहीं किया जाना चाहिए ।

इसमें यह भी कहा गया है कि इस विधान से उद्देश्य की पूर्ति हो जायेगी । सरकार राज्य को एक स्थान पर शुल्क लगाने से रोक रही है तथा राज्य को कई स्थानों पर शुल्क लगाने के लिए बाध्य कर रही है । इससे शुल्क की राशि बहुत बढ़ जायेगी । इसलिये अन्तिम स्थान पर शुल्क लगाने की व्यवस्था आरम्भ की गई है क्योंकि हम गरीब उत्पादक को तंग नहीं करना चाहते और कर एकत्र करने के लिए बहुत से अधिकारी नियुक्त नहीं करना चाहते । अत: राज्य सरकारों ने अन्तिम स्थान पर ही शुल्क लगाने का निर्णय किया है । यदि ऐसा नहीं किया जायेगा तो निर्यात मूल्य और भारत के भीतर उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्य बढ़ जायेंगे । इससे कम से कम खण्ड 5 के मामले में तो इस विधान का उद्देश्य ही विफल हो जायेगा । यह 20 सूत्री कार्यक्रम के भी प्रतिकूल जा रहा है । सरकार प्रत्यक्ष कर लगाने के परोक्ष तरीके से आवश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ा रही हैं और यह स्वाभाविक ही है कि गरीब लोगों को ही हानि उठानी पड़ेगी ।

अत: कम से कम खण्ड 5 के मामले में निर्यात की जाने वाली उन परम्परागत वस्तुओं को जिन की अन्तर्राष्ट्रीय मण्डियों में प्रतिस्पर्धा नहीं है इस विधान के उपबन्धों से अलग कर दिया जाये या फिर सरकार को उन आवश्यक वस्तुओं के मामले में छूट देने का अधिकार लेना चाहिये जिनमें राज्यों को लाभ होता हो ।

Sardar Swaran Singh Sokhi (Jamshedpur): I support this Bill. It has been brought here because it has become necessary to amend the principle Act due to certain difficulties that have arisen as a result of the verdict of courts in regard to this legislation. If the original Act is not amended, Government will have

[Sardar Swaran Singh Sokhi]

to return crores of rupees that have already been realised. It is well-known to everybody that there is a large scale evasion of Sales Tax by big business houses and firms. Efforts should be made to check it.

A watch should be kept over those officials who take bribe for making registration in Sales Department.

The Central Sales Tax of 4 per cent should be levied at single point where the goods are manufactured. This will give some relief to people as well. It will also bring larger revenue to States. Then, there must also be coordination between the States and Central officials administering Sales Tax.

श्री वाई० एस० महाजन : (बुलडाना) : केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1966 7 जनवरी, 1967 को लागू किया गया था। धारा 15 अक्तूबर, 1968 में लागू की गई थी। यह संविधान के अनुच्छेद 286 के अधीन बनाया गया था। इसमें अन्तर्राज्यीय वाणिज्य और व्यापार में माल की बिक्री पर कर लगाने, कर-निर्धारित करने और कर की वसूली करने का उपबन्ध किया गया है। यह अधिनियम राजस्व बढ़ाने का एक साधन सिद्ध हुआ है। 1960–61 में कर की वसूली 83 करोड़ रुपये थी जबकि 1970–71 में 187 करोड़ रुपये की थी ? इसमें तेजी से वृद्धि हो रही है।

केन्द्रीय विक्रय कर संशोधन विधेयक में मूल अधिनियम की धारा 2 से 9 और धारा 14 तथा 15 में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने की मांग की गई है। माल का निर्यात करने के लिये सबसे पहले ऐसी एजेन्सी की तलाश करनी होती है जिसके माध्यम से माल निर्यात किया जाता है जैसे राज्य व्यापार निगम या निर्यात गृह जो वर्तमान के या आदेश का पालन करने के लिये विदेशी आयातक को माल का निर्यात करता है। अतः इन दोनों बातों को एक दूसरे पर आश्रित समझना होगा। इन्हें विक्रय कर से छूट दी गई है क्योंकि ये निर्यात बढ़ाते हैं। यह बात संशोधी विधेयक की धारा 4 से स्पष्ट हो गई है। धारा 3 और 4 भूतलक्षी प्रभाव अर्थात् 1 अप्रैल, 1976 से लागू होगी और इससे निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का मूल्य उतना कम होगा जितना कि कर की राशि कम होगी।

कुछ माननीय सदस्य प्रान्तीय दृष्टि से बोले हैं। लेकिन हमें यह बात समझनी होगी कि केन्द्र ही आयात और निर्यात के मामलों पर निगरानी रखता है। तेल के मूल्य में चार गुना वृद्धि होने से हमें भारी धक्का लगा है और हमारा व्यापार सन्तुलन संकट में पड़ गया है। निर्यात बढ़ाने के भारी प्रयासों के बावजूद भी 1975–76 में हमें 1050 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। यदि इसी दर पर घाटा होता रहा तो देश आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ नहीं रह सकेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए इन दोनों पहलुओं को विक्रय कर से छूट दी जानी चाहिये। प्रस्तावित संशोधन से निर्यात लागत कम होगी और अन्तर्राष्ट्रीय मण्डी में हमारी वस्तुएं अधिक प्रतिस्पर्धात्मक बनेंगी।

खेमका एण्ड कम्पनी बनाम उड़ीसा राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय से संशोधी विधेयक का खण्ड 6 आवश्यक हो गया है। केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम की धारा 14 में कुछ वस्तुओं को विशेष रूप से महत्वपूर्ण घोषित किया गया है। इसमें उपबन्ध किया गया है कि यदि इन पर कर लगाया जाता है तो कर की दर माल के क्रय या विक्रय मूल्य के 4 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये। यह कर एक स्टेज से अधिक नहीं लगाया जाना चाहिये।

कहा गया है कि इस विधेयक से राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति खराब हो जायेगी। यह एक दम ग़लत बात है। राज्यों की वित्तीय स्थिति राज्य विक्रय कर पर निर्भर करती है न कि केन्द्रीय विक्रय कर पर। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र द्वारा अन्तर्राज्यीय बिक्री कर लगाना उचित है?

श्री राजा कुलकर्णी (बम्बई उत्तर पूर्व): केन्द्रीय विक्रय कर (संशोधन) विधेयक से जहां विभिन्न न्यायिक निर्णयों से उत्पन्न असमानताओं या त्रुटियों को दूर करने का प्रयास किया गया है वहां इससे केन्द्र-राज्य सम्बन्धों में तनाव भी पैदा हुआ है या होने वाला है क्योंकि इससे कुछ राज्यों की वित्तीय आय पर प्रभाव पड़ेगा। इस विधेयक को लाने से पूर्व इस पर और अधिक विचार किया जाना चाहिये था तथा सम्बन्धित तथा इससे प्रभावित राज्य सरकारों से अधिक गहराई से परामर्श किया जाना चाहिये था। ऐसा नहीं किया गया है।

कुछ राज्य इससे प्रभावित होंगे क्योंकि कच्चे तेल को घोषित माल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसका क्या परिणाम होगा? जहां तक आयातित कच्चे तेल का सम्बन्ध है इसे छूट दी गई है और भविष्य में भी समस्या खड़ी नहीं होगी। परन्तु जहां तक देसी कच्चे तेल का सम्बन्ध है, महाराष्ट्र बम्बई हाई में कच्चा तेल निकलता है। अब उत्पादित 50 प्रतिशत अशोधित तेल पर 8 प्रतिशत राज्य विक्रय कर की दर से कर लगाया गया है। परन्तु इस विधान के अन्तर्गत यह घटा कर 4 प्रतिशत कर दिया जायेगा। अगले तीन या चार वर्ष में महाराष्ट्र में 1 करोड़ मीटरी टन अशोधित तेल का उत्पादन होने की सम्भावना है जबकि गुजरात में 50 या 60 लाख मीटरी टन और आसाम में 40 या 50 लाख मीटरी टन उत्पादन होगा। फिर भी इन राज्यों पर इस विधान से प्रभाव पड़ेगा। इन राज्यों की किसी न किसी रूप में क्षतिपूर्ति की जानी चाहिये।

[श्री जी० विश्वनाथन पीठासीन हुए]

[SHRI G. VISWANATHAN *in the Chair*]

दूसरी बात उस बिक्री के बारे में है जो निर्यात से होती है और जिसे खण्ड 3 के अधीन छूट दी गई है। निर्माता से थोक व्यापारी और थोक व्यापारी से निर्यातक तक की बिक्री पर विक्रय कर नहीं लगना चाहिये। इस सम्बन्ध में कुछ समय-सीमा होनी चाहिये। यदि बिक्री की तारीख से 9 महीने की अवधि के भीतर माल निर्यात नहीं किया जाता तो इस पर विक्रय कर लगाया जाना चाहिये। मन्त्री महोदय महाराष्ट्र सरकार के समय-सीमा सम्बन्धी इस सुझाव पर विचार करें।

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील): यह विधेयक विस्फोटक के रूप में हमारे सामने लाया गया है। इससे कुछ राज्यों पर, विशेषता केरल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस विधेयक को पास करने से कुल 119 करोड़ रुपये के राजस्व से 23 करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार ले जायेगी तथा देश के निर्यातकों और निर्यातगृहों को वापस दिया जायेगा।

कहा गया है कि इस उपाय से निर्यात में वृद्धि होगी। लेकिन वस्तुस्थिति यह है कि इस विधेयक के माध्यम से केवल एकाधिकारी निर्यातगृहों को ही 400 करोड़ रुपये का लाभ होगा। लघु और मध्यम वर्ग के उद्यमियों को लाभ नहीं होगा। मेरा राज्य कृषि वस्तुओं का उत्पादन करता है। परन्तु एकाधिकार गृह कर अपवंचन करने में काफ़ी चतुर हैं। गुडईयर, फ़ायरस्टोन, डनलप आदि बड़ी-बड़ी

[श्री वयालार रवि]

कम्पनियां केरल में कोई माल नहीं बेचतीं। वे केरल से बाहर माल बेचती हैं। अतः मेरे राज्य को रबड़ के कुल बिक्री का 40 प्रतिशत हानि हो रही है और हमें कोई कर नहीं मिल रहा है। इस कानून को लागू करके राज्य सरकारों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है।

मेरा यह कहना है कि इससे निर्यात में कोई वृद्धि नहीं होगी। जहां तक हमारे निर्यात का सम्बन्ध है, गत तीन वर्षों में मूल्य बढ़ गये हैं और मात्रा कम हो गई है। इसका कारण उद्योग में मन्दी नहीं है। इसके अन्य कारण हैं।

मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं कि उन्हें इस मामले में धैर्य से काम लेना चाहिए तथा राज्य सरकारों से परामर्श करना चाहिए। मुख्य मन्त्रियों से इस बारे में विचार विमर्श किया जाये। केरल जैसे राज्यों के लिये बिक्री कर राजस्व का एक बड़ा साधन है।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् (बडागरा) : श्री प्रणव कुमार मुखर्जी द्वारा पुरःस्थापित किये गये इस विधेयक से मेरा कोई विरोध नहीं है। परन्तु वह इसे राज्य सरकारों से परामर्श किये बिना तथा इस सभा को चर्चा का अवसर दिये बिना प्रस्तुत कर रहे हैं। इस मामले का कानूनी महत्व उतना नहीं है जितना कि व्यवहारिक महत्व है। इस विधेयक से राज्यों की वित्त व्यवस्था पर तथा विशेष रूप से मेरे राज्य की अर्थ व्यवस्था पर विशेष आघात पहुंचता है।

मैं इस विधेयक की संवैधानिकता अथवा असंवैधानिकता की चर्चा नहीं करना चाहता। इस विधेयक में संविधान में निहित संघ राज्य संबंधों एवं उनके वित्तीय संबंधों की निर्धारित भावना का आदर नहीं किया गया है। देश को संघात्मक शासन कहना सही नहीं है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी यह नहीं कहा जा सकता कि भारत कभी संघात्मक राज्य रहा है। भारत की क्या संकल्पना है ? बद्रीनाथ से कन्याकुमारी तक, तथा द्वारिका से मणीपुर तक कोई भारत नाम का राज्य नहीं है। मुझे खेद है कि इस विधेयक द्वारा संघ-राज्य संबंधों को गहरा आघात पहुंचता है।

उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अतिरिक्त उद्देश्यों और कारणों के कथन में एक मुख्य बात यह है कि इससे निर्यात बढ़ेगा और इससे हमारी निर्यात होने वाली वस्तुएं अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक स्पर्धाशाली होगी। यह बात इस्पात, इंजीनियरी सामान, वस्त्रों तथा हस्तनिर्मित कपड़ों पर कुछ हद तक सही बैठ सकती है किन्तु काली मिर्च, इलायची, नारियल जटा आदि जैसी परम्परागत निर्यात की जाने वाली वस्तुएं पर, जिन पर हमारा लगभग एकाधिकार सा है, यह बात सही नहीं बैठती यदि इन वस्तुओं के निर्यात पर प्रभाव पड़ता है तो उसके कारणों का अन्यत्र पता किया जाना चाहिये।

हमारे राज्य को इससे 23 करोड़ पये का नुकसान होगा। क्या हमें नकदी फ़सलें पैदा करने तथा सामुद्रिक उत्पाद उपलब्ध करने के लिये दंडित किया जायेगा ?

हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिये जिससे राज्य केन्द्र वित्तीय सम्बन्ध बिगड़ें। राज्यों को अधिक साधन जुटाने के लिये कहा जाता है। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार राज्यों के पास कृषि, शिक्षा, वन तथा छोटी सिंचाई जैसी अनेक बड़ी-बड़ी जिम्मेवारियां हैं।

देश के आर्थिक विकास में क्षेत्रिय विषमता रही है । उद्योग लाइसेंस अधिकतर कुछ ही राज्यों अथवा क्षेत्रो के लिये दिये गये जिसके फ़लस्वरूप रोजगार के अवसर केवल उन्हीं राज्यों तथा क्षेत्रो में खुले तथा उन्हीं राज्यों की आय में वृद्धि हुई ।

इस प्रकार के कानून द्वारा राज्य आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी नहीं बन सकता तथा अपने लिये अधिक आर्थिक साधन नही जुटा सकता । मैं मंत्री महोदय से निर्यात की जाने वाली कृषि वस्तुओं पर इस कानून के अन्तर्गत पुनः विचार करने का अनुरोध करता हूं । कृषि वस्तुओं को छूट दी जाये अधिक अच्छा होता यदि इसे प्रवर समिति को भेजा जाता ।

Dr. Kailas (Bombay-South): This Bill has been brought in a haste and therefore, it has many defects. Although this Bill affects a number of States, Government has not cared to consult those States before bringing forward this Bill. This attitude of the Central Government is not justified. The Centre should act like a mother to all the states and should take due care for their welfare. But through this Bill Centre has acted otherwise; the states who gave liberal assistance and incentives to the small entrepreneurs and small export houses, will be, considerably affected and the benefit will accrue to big exporters or business houses and also to S.T.C. who are handling the bulk of exports.

The Bill should be postponed till the next session of Parliament, so that it could be discussed in detail and suitably amended.

Those amendments which have become necessary as a result of Supreme Court judgements should be incorporated in the present Bill and all other provisons should be deleted.

श्री स० शिवाजी राव देशमुख (परमणि) : मैं मंत्री महोदय को इस विधेयक को लाने के लिये बधाई देता हूं । यह ठीक है कि देश का निर्यात व्यापार बढाना है किन्तु यह नहीं होना चाहिये कि केन्द्र राज्यों के बल पर विदेशी मुद्रा अर्जित करें क्यों कि हम इस तरह के संघीय ढांचे में ऐसा नहीं कर सकते कि जो राज्य वस्तुओं का उत्पादन करते है जो कि केवल आंतरिक खपत के लिये होती है वे उन पर मनमाने ंग से जितना मर्जी विक्रयकर लगालें और जो राज्य निर्यात बढाने में सहायक होते है तथा निर्यात की जाने वाली वस्तुओं का निर्माण करते हैं उन्हे मुख्य लाभ तथा मुख्य अधिकार देने से इन्कार कर दिया जाये जो कि भारत में किसी अन्य राज्य सरकार को साधारणतः दिये जाते हैं । इस विधेयक से राज्यों की भुगतान संतुलन स्थिति खतरनाक हो जायेगी ।

इस विधेयक पर पुनर्विचार करना चाहिये । यदि हम इस विधेयक को आज ही पारित नहीं करेंगे तो कोई आपत्ति नहीं आयेगी । इसकी सभी त्रुटियों को दूर किया जाना चाहिय । निर्यात के लिये बिक्री सम्बन्धी उपबंध को पुनः तैयार किया जाना चाहिये ताकि इससे करापवंचन की गुजायश न रहे ।

बम्बई हाई से लाखों टन या बैरल निकलने वाले कच्चे तेल से हमें बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा कमाने में सहायता मिलेगी । इससे हम कच्चे तेल का आयात करने से मुक्त हो जायगे, किन्तु इससे महाराष्ट्र सरकार की तिजोरी में एक भी पैसा नही जायेगा । तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग परिशोधनशालाओं या उत्पादकों को कच्चा तेल बेचता है । इसलिये महाराष्ट्र सरकार को इस

[श्री शिवजी राव देशमुख]

तरह के विक्रय पर स्थानीय विक्रय कर लगाने का अधिकार है किन्तु केन्द्रीय बिक्री कर के अन्तर्गत भी यह अधिकार केन्द्रीय दरों तक सीमित होगा। महाराष्ट्र सरकार को अपनी दरों पर विक्रय कर लगाने से रोका गया है। वे इसे आवश्यक वस्तुओं की अनुसूची में सम्मिलित कर सकते है किन्तु करों की दर उतनी ही होनी चाहिये। मेरे विचार में इस विधेयक को संयुक्त समिति को सौपा जाना चाहिये।

डा० हेनरी आस्टिन (एरणाकुलम): अभी हाल में न्यायालयो द्वारा दिये गये कुछ निर्णयों को ध्यान में रखते हुए विधेयक में प्रस्तावित परिवर्तन अनिवार्य से हैं। हमारे इस महान देश को अपनी प्रगति के लिये निर्यात में वृद्धि करना जरूरी है। वित्त मंत्री इस विचार से इस विधेयक को लाये हैं।

स दृष्टि से इस विधेयक का स्वागत किया जाना चाहिये। यदि यह विधेयक कानून बन जाता है तो केरल में एकाधिकारियों का बोलबाला हो जायेगा। बड़ी संख्या में कम्पनियां अपने रिकार्डो का हिसाब किताब इस से कर लेगी कि वे अपने प्रत्येक मध्यस्थ को अपने कर्मचारी के रूप में दिखा देंगे। इस विधेयक के पारित हो जाने के पश्चात निर्यातिक कम्पनियों के कर्मचारी हो जायेंगे और उनके लेनदेन पर यह अधिनियम लागू नही होगा। इससे राज्य बड़ी मात्रा में राजस्व से वंचित हो जायेगा और करापवंचन सुगम हो जायेगा। वित्त मंत्री को इस विधेयक पर पुनः विचार करना चाहिये।

Shri M. C. Daga (Pali): This Bill should be viewed in the light of views expressed by many hon. members.

There is no doubt that the financial condition of the states is bad. The Minister should tell us whether the Central Government will make good the loss which the States may suffer on account of this legislation. The hon. Minister should also give the statistics regarding the increase in export which will come about as a result of this legislation.

It is suggested that the sales tax should be levied at the source whose production take place. Then only it will be possible to check evasion of sales tax. Also sales tax on items of food and essential goods should be reduced.

This Bill should be given another thought in the light of points raised. The whole matter should be given a deep thought and then it should be proceeded further.

श्री वसन्त सा. (अकोला): यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है। इस के प्रभाव राज्यों के राजस्व पर पड़ेगा। अतः इसका अध्ययन करने के लिये माननीय सदस्यों को काफी समय चाहिये ताकि वे इस के विभिन्न पहलुओं पर विचार कर सकते। परन्तु इसे बहुत जल्दी में लाया गया है। मेरी समझ में यह नहीं आता कि इस विधेयक को इतनी जल्दी में पास करने की क्या आवश्यकता है। इसे परसों ही परिचालित किया गया था और आज इस पर विचार किया जा रहा है। इस का परिणाम

यह हुआ है कि सदस्यों को इस पर ध्यान पूर्वक विचार करने का समय नहीं मिला। विधेयक के खण्ड 9 के सिवाये, जिसे कुछ उपबन्धों को भूतलक्षी प्रभाव देने के लिये संशोधन किया जा रहा है तथा शायद खण्ड 5 तथा 6 के अतिरिक्त अन्य उपबन्धों का कोई लाभ नहीं है।

जहां तक कच्चे तेल का सम्बन्ध है, यदि मंत्री महोदय यह कहते हैं कि राज्यों को इस के अधिकारों से वंचित करके देश को लाभ होगा, तो इस बात को भी भली भांति समझा जा सकता है। बम्बई हाई में एक करोड़ मीटरी टन कच्चे तेल का उत्पादन होगा और इसे समूचे देश में वितरित किया जा रहा है। परन्तु केन्द्र को विक्रय कर करने से क्या लाभ होगा ? क्या विक्रय कर को 8 प्रतिशत से घटा कर 4 प्रतिशत करने से उत्पादन बढ़ जायेगा ? इस में क्या तर्क है ? मैं समझता हूं कि आसाम में 2 प्रतिशत से 4 प्रतिशत लाभ होगा, परन्तु गुजरात और महाराष्ट्र को उन के अधिकारों से क्यों वंचित रखा जा रहा है। महाराष्ट्र को लगभग 24 करोड़ रुपये की हानि होगी। मंत्री महोदय हमें बताएं कि इस में क्या औचित्य है और राज्यों को इससे कैसे लाभ होगा। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जिस में सिंचाई के बहुत कम साधन उपलब्ध हैं। हमें सिंचाई के और साधन की जरुरत है। परन्तु हमारे पास संसाधन नहीं है तथा जो कुछ संसाधन है, उन्हें भी घटाया जा रहा है।

दूसरी बात निर्यात संवर्धन से सम्बन्धित है। मंत्री महोदय ने कहा है कि विक्रय कर से निर्यात प्रभावित होता है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह हमें इस सम्बन्ध में भी आंकड़े दें कि विक्रय कर के कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में कितनी वस्तुएं प्रतिस्पर्धा के योग्य नहीं रह गईं। क्या मंत्री महोदय यह भी बता सकते हैं कि यदि विक्रय कर नहीं लगाया जाता तो परम्परागत वस्तुओं तथा निर्मित वस्तुओं जैसे इंजीनियरी सामान, इलैक्ट्रोनिक तथा अन्य आधुनिक उपकरणों, यहां तक कि सिले सिलाये कपड़ों के निर्यात में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी ?

मंत्री महोदय को सभा को सन्तुष्ट करना चाहिये कि इस विधेयक से राज्यों तथा समूचे रूप में राष्ट्र को किस प्रकार लाभ होगा। जब तक यह नहीं बताया जाता तब तक जल्दबाजी में विधेयक को पास करने से कोई लाभ नहीं होगा, अपितु हम कठिनाई में फंस जायेंगे और इससे सर्वत्र असंतोष उत्पन्न हो जायेगा। इस विधेयक पर विचार स्थापित किया जाना चाहिये ताकि इसके उपबन्धों पर गहराई से विचार किया जा सके।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : मैं श्री वसंत साठे के इस कथन से सहमत हूं कि राज्यों को अधिकाधिक राजस्व तथा राजस्व के स्रोत दिये जाने चाहियें। विक्रय कर राज्यों का राजस्व का सर्वोत्तम साधन है। परन्तु जहां तक केन्द्रीय विक्रय कर का सम्बन्ध है, इसमें संवैधानिक उपबन्ध के कारण कठिनाई पैदा हुई है। केन्द्रीय विक्रय कर प्रारम्भिक रूप से नहीं अपितु वास्तविक रूप से अन्तर्राज्यीय व्यापार तथा निर्यात या आयात के दौरान लागू होता है। संविधान के अन्तर्गत ऐसी बिक्री पर राज्यों द्वारा विक्रय कर लगाने पर रोक लगाई गई है। संविधान का अनुच्छेद 286 इस प्रकार है :—

> "राज्यों की कोई विधि, वस्तुओं के क्रय और विक्रय पर, जहां तक ऐसा क्रय या विक्रय —
>
> (क) राज्य के बाहर, अथवा
>
> (ख) भारत राज्य क्षेत्र में वस्तुओं के आयात अथवा उस के बाहर निर्यात के दौरान में, होता है, वहां कोई कर आरोपित न करेगी और न करना प्राधिकृत करेगी।"

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

अतः यदि राज्यों को सहायता देनी है तो संविधान के अनुच्छेद 286 में संशोधन किया जाना चाहिए और राज्य सरकारों को इस तरह की बिक्री पर विक्रय कर लगाने की शक्ति दी जानी चाहिए।

निर्यात के मामले में सारिणीबद्ध प्रणाली के कारण सरकार के लिये इस तरह का कानून बनाना आवश्यक है। संवैधानिक आदेश यह है कि उन विक्रियों पर कर नहीं लगाया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई व्याख्या के कारण वह संवैधानिक आदेश विफल किया जा रहा है। संविधान के उद्देश्य को ध्यान में रख कर ही इस कानून को सम्पादित करना है। इस का अर्थ यह नहीं है कि राज्य का राजस्व नहीं बढ़ना चाहिए। किन्तु कानूनी ढंग से ऐसा करने के लि हमें उपाय ढूंढने चाहियें।

संविधान में उपबन्ध किया गया है कि यदि एक बार कुछ वस्तुएं राष्ट्रीय महत्व की घोषित हो जायें तो उन वस्तुओं के सम्बन्ध में विक्रय कर लगाने के सम्बन्ध में संसद् द्वारा बनाये गये कानूनों का राज्य को पालन करना होगा। केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 में किये गय अनुवर्ती संशोधनों द्वारा यह उपबन्ध किया गया है कि राज्य अधिकाधिक 4 प्रतिशत की दर से विक्रय कर लगा सकते हैं। किन्तु वस्तुओं को राष्ट्रीय महत्व की वस्तुएं घोषित किया जाये, यह विवादास्पद मामला है। इस मामले पर अवश्य विचार किया जाना चाहिए। किन्तु धान, कोयला आदि जैसी वस्तुओं को यदि एक बार राष्ट्रीय महत्व की वस्तु घोषित कर दिया जायेगा, तो तत्काल संविधान सामने आ जायेगा और यदि एक बार इस तरह की घोषणा हो गई, तो फिर उसकी अधिकतम सीमा निर्धारित हो जायेगी।

ऐसी स्थिति में मंत्री जी को सभा के विचारों पर ध्यान देना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्यों के संसाधन पर्याप्त मात्रा में बढ़ाए जायें। राज्यो को यह शक्ति दी जानी चाहिए ताकि वे अपना राजस्व बढ़ा सकें और यदि इसके लिये संविधान में भी संशोधन करना पड़े तो इसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : सर्व प्रथम में यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि श्री स्टीफन ने जो बात कही थी, वह केवल केरल से सम्बन्धित थी। उन के कथन से कुछ माननीय सदस्यों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि संशोधी विधेयक के उपबन्धों द्वारा राज्य सरकारों पर प्रत्येक वस्तु पर और हर स्तर पर बिक्री कर लगाने पर प्रतिबन्ध लग जायेगा। एक ही स्थान पर कराधान किये जाने के कारण केरल को धारा 3 के उपबन्धों से वंचित किया जायेगा। परन्तु महाराष्ट्र विक्रय कर अधिनियम से निर्यातकों को अत्यधिक प्रोत्साहन मिलता है। कई राज्य सरकारें कई स्थानों पर कर लगाती हैं। इसलिये यह तथ्य नहीं है कि हम राज्य सरकारों के कर लगाने पर प्रतिबन्ध लगा रहे हैं। जैसा कि श्री सोमनाथ चटर्जी ने कहा है हम तो केवल अनुच्छेद 286 के अन्तर्गत केन्द्र को मिले अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं।

[श्री इशाक सम्भली पीठासीन हुए]

[SHRI ISHAQUE SAMBHALI in the Chair]

यह भी केवल उच्चतम न्यायालय द्वारा दिये गये विनिर्णय के संदर्भ में किया जा रहा है। उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि विदेशी खरीदार तथा देश के निर्यातक के बीच होने वाले सौदों को छोड़कर, सब पर विक्रय कर लागू है। यदि हम वस्तुस्थिति को बनाये रखते हैं, तो राज्य व्यापार निगम द्वारा विदेशों को निर्यात करने के लिये खरीदे गये कतिपय माल पर भी विक्रय कर लगेगा।

केवल प्रश्न यह है कि क्या कुछ वस्तुओं के सम्बन्ध में छूट दी जा सकती है ? जहां तक विधान के वर्तमान उपबन्धों का प्रश्न है; जैसा कि विधि मंत्री ने 1974 के एक मामले में व्याख्या की थी, कि हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। विक्रय अथवा क्रय सम्बन्धी सिद्धान्तों को निश्चित करना संसद् का काम है।

संघीय ढांचे के बारे में कई बातें कही गई थीं। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह धारणा सही नहीं है कि राज्यों को विक्रय कर लगाने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है।

मैं समझता हूं कि राज्य सरकारें इन लोगों को कानून की जद में लाने का कोई तरीका निकाल सकती हैं। इस सम्बन्ध में हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि केन्द्रीय विक्रय अधिनियम को लागू करना राज्यों का काम है हमारा नहीं। हम तो केवल कानून पास करते हैं। इससे होने वाली आय भी राज्यों को जाती है।

धान और चावल जैसी वस्तुओं पर लगा विक्रय कर अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है। एक राज्य में धान पर विक्रय कर 7 प्रतिशत है और चावल पर 4 प्रतिशत। एक अन्य राज्य में धान पर विक्रय कर 7 प्रतिशत और चावल पर बिक्री कर 4 प्रतिशत था। यह कहा गया है कि राज्य सरकारों से परामर्श किये बिना हम यह विधेयक क्यों लाये हैं। इस विषय में हम राज्य सरकारों से गत 5 वर्ष से विचार विमर्श कर रहे थे। लगभग आधा दर्जन बैठकें हुईं। परन्तु कोई निर्णय नहीं हो पाया। आखिरकार कहीं तो हमें निर्णय पर पहुंचना था।

मेरे केरल के मित्र यह जान लें कि अभावग्रस्त राज्य होने के कारण उन्हें इससे लाभ होगा, जबकि आवश्यकता से अधिक अनाज उगाने वाले राज्यों को लाभ नहीं होगा। पंजाब हरियाणा आदि को इससे हानि होगी।

कच्चे तेल के सम्बन्ध में हमारी प्रधान मंत्री ने स्वयं एक निर्णय रायल्टी के बारे में दिया है। गुजरात अपने कच्चे तेल का शोधन अपने शोधन कारखानों में ही करता है। परन्तु आसाम इसमें घाटे में है क्योंकि उसका कच्चा तेल बरौनी से आता है इस प्रकार यह अन्तराज्यीय महत्व की वस्तु बन जाता है। इसलिये वे 4 प्रतिशत से अधिक बिक्री कर नहीं लगा सकते। कुछ राज्यों में जहां तेल शोधक कारखाने हैं, राज्य सरकारें दोहरा लाभ उठाना चाहती हैं। यदि हम इसमें कुछ समानता लाना चाहते हैं तो यह कुछ गलत नहीं है अतः जिस वस्तु का देश की जनता के जीवन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है इसे एक आवश्यक वस्तु माना जाए और उसे घोषित वस्तुओं की सूची में लाया जाना चाहिए।

यह पूछा गया है कि इसका निर्यात पर क्या असर पड़ेगा। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 1974–75 में 65,000 मी० टन काजू का निर्यात हुआ जबकि 1975–76 में इसमें कमी आयी। 1974-75 में 26,000 मी० टन काली मिर्च का निर्यात हुआ, 1975-76 में यह घटकर 24,000 मी० टन ही रह गया। इसी प्रकार नारियल चटा का निर्यात 42,000 मी० टन से घटकर, 36,000 मी० टन रह गया। मेरे यह कहने का अर्थ यह है कि पहले के समान इन वस्तुओं के निर्यात पर अपना एकाधिकार अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बनाए रखने के लिये हमें उसके अनुसार नीति अपनानी होगी।

[श्री प्रणव कुमार मुखर्जी]

केरल की सभी समस्याओं पर उस समय विचार किया जायेगा जब वित्त आयोग इस विधान के कारण राज्य को हुई हानि पर विचार करेगा। अनेकों राज्यों के साधन अच्छे नहीं हैं। इसकी चिन्ता भारत सरकार करेगी। हमें यह देखना है कि वे अपने साधनों को किस प्रकार पूरा करेंगे, हम किस प्रकार उन्हें पर्याप्त सहायता दे सकते है जिससे कि वे योजना के कार्य की गति को बनाये रख सकें।

इस अधिनियम के लागू होने से केरल को राजस्व की कुछ हानि होगी, परन्तु इस हानि को कैसे पूरा किया जा सकता है अथवा इसका विकल्प क्या होगा इस ओर ध्यान दिया जाना है।

यदि कुछ सदस्य यह चाहते हैं कि निर्यात के लिये कोई अवधि निर्धारित की जाये तो उस पर विचार किया जा सकता है।

एक सदस्य का कहना है कि इस विधेयक का प्रारूप बनाते समय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को ध्यान में नहीं रखा गया। तो इस संबंध में न्यायधीशों में भी मतैक्य नही था। दो न्यायधीशों की एक राय थी और दो की दूसरी। अतः इस प्रकार की कुछ कमियां कानून में रह जाना स्वाभाविक है। परन्तु हमें सावधानी पूरी बरतनी चाहिए, यह मैं मानता हूं और वह बरती गई हैं।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय विक्रय कर में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : हम खण्डवार विचार शुरू करते हैं। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 3

श्री सी० एच० मोहम्मद कोया (मंजेरी) : मैं अपना, संशोधन संख्या 3 पेश करता हूं।

श्री एम० श्रीकान्तन नायर (त्रिचूर) : मैं अपना संशोधन संख्या 4 पेश करता हूं।

श्री सी० एच० मोहम्मद कोया : केरल को 23 करोड़ रु० की हानि होगी। मंत्री महोदय का कहना है कि सरकार इसका ध्यान रखेगी, यह तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को मार देने के बाद भी यह वायदा करने वाली बात है कि वह अंडा रोज देगी। इस संसद् को छूट देने का अधिकार है।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : मंत्री महोदय कहते हैं कि वह इस विधेयक के लिये केवल एक वर्ग की वस्तुओं पर ही विचार करेंगे । मैंने निर्यात की जाने वाली परम्परागत वस्तुओं का ही उल्लेख किया है । अतिरिक्त वस्तुओं का भले ही आगया हो, लेकिन परम्परागत वस्तुओं को स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं है ।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन (तेल्लीचेरी) : मंत्री जो ने बताया है कि इस विधान से केरल को राजस्व हानि हुई है । उन्होंने यह भी कहा है कि वह केरल की समस्याओं पर ध्यान देगें और इस विधान से केरल में उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों पर भी ध्यान देगे । वह किस तरह से केरल को राहत देगें ?

डा० हेनरी आस्टिन (एरणाकुलम) : सन्तोष की बात है कि मंत्री महोदय ने केरल की आर्थिक स्थिति को पहचाना है । लेकिन मंत्री महोदय को यह बताना चाहिए कि वह एकाधिकारवादी गृहों को अपने कर्मचारियों के बिचौलियों के रूप में काम करने से रोकने के लिये क्या कदम उठायेंगे । यदि ऐसे होने दिया जाता है तो इससे केरल के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ।

श्री सी० एम० स्टीफन (भुवन्तुपुजा) : जो सुझाव मैंने दिये हैं उनके द्वारा सरकार को वह माल बेचने का अधिकार प्राप्त होगा जो उपधारा (3) के बजाय उपधारा (1) और (2) के अन्तर्गत होंगे । मंत्री महोदय को इसके वैधानिक पहलू पर विचार करना चाहिये । ताकि केन्द्रीय सरकार इस विशेष मामले में अपनी शक्ति का प्रयोग कर सके ।

जहां तक काजू का सम्बन्ध है, उन निर्माताओं का मामला है जो इसका सीधा निर्यात करते हैं । अतः इस पर वर्तमान कानून के अन्तर्गत भी विक्रय कर नहीं लगता है । दूसरी वस्तुओं के बारे में मंत्री महोदय ने कहा है कि सरकार ऐसी व्यवस्था करेगी जिससे अग्रिम स्तर पर ही कर एकत्रित किया जा सकेगा, खेतीहर कुछ वस्तुएं बाजार में लाते है जहां से इनका आयात निर्यात आधार पर सीधा विक्रय होता है । अतः निर्यातक और अन्तिम विक्रेता के बीच केवल एक ही बिचौलिया रह जाता है । इसलिये ऐसी कोई बीच की स्थिति नही रहती जहां से सरकार कोई भी वसूल कर सकती है । वस्तुओं के गुण दोष को ध्यान में रखते हुए सरकार को कर एकत्र करने का अवसर नहीं मिलेगा । सम्पूर्ण कर की चोरी होगी और सरकार को कुछ भी नहीं मिलेगा । अतः मंत्री महोदय को मेरे संशोधन की वैधानिक सम्भाव्यता, संवैधानिक व्यवहार्यता तथा कानूनी अनुज्ञेयता की जांच करनी चाहिए ।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : मैं इस बात से सहमत हूं कि किसी भी स्तर पर कर लगाना सम्भव नहीं होगा । इस सम्बन्ध में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे और केरल सरकार से भी इस पर परामर्श करेंगे । इसके संविधानिक पहलू और वैधानिक अक्षमता की जांच पुनः करने के लिये मैंने विधि मंत्री से कहा है ।

यदि किसी राज्य को कुछ विधानों के फलस्वरूप कुछ राजस्व से वंचित रहना पड़ रहा हो तो उस राज्य सरकार के संसाधनों की स्थिति पर विचार करने का कार्य योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय आदि का है । जब वित्त आयोग इस बात की जांच करेगा तो वे इस तथ्य को भी ध्यान में रखेंगे ताकि उसका स्थायी समाधान निकाला जा सके । यही कारण है कि इन मामलों पर अभी विचार करना है तथा इसे संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हूं ।

[श्री प्रणब कुमार मुखर्जी]

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 3 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 3 was put and negatived.

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 4 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

Amendment No. 4 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 3 was added to the Bill.

खण्ड 4

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : मैं अपना संशोधन संख्या 7 प्रस्तुत करता हूं। अपने इस संशोधन के कारणों को मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं।

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : मुझे इस सम्बन्ध में और अधिक नहीं कहना है।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 7 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत आ।

Amendment No. 7 was put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 4 विधेयक का अंग बने।"

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 4 was added to the Bill.

खण्ड 5 और 6 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 5 and 6 were added to the Bill.

खण्ड 7

श्री प्रणव कुमार मुखर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

Page 4, lines 25 and 26,—

omit.—with effect from the 1st day of September, 1976"

(पृष्ठ 4, पंक्ति 25 और 26,—

"सितम्बर, 1976 के पहले दिन से" का लोप कर दिया जाये)

श्री शिवाजीराव एस० देशमुख (परभणि) : वस्तुओं की अनुसूची के बारे में कोई भी इस बात से इंकार नहीं करता कि खाद्यान्न तथा दालें समूचे भारत के लिए महत्व की वस्तुएं हैं और भिन्न-भिन्न राज्यों में इनके विक्रय कर में भिन्नता होने से उपभोक्ताओं को कठिनाई होगी और इसलिए इसमें कुछ एकरूपता होनी चाहिए। किन्तु कच्चे तेल के बारे में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यह देश में केवल दो ही राज्यों में उपलब्ध है। यदि यह समुद्र में मिलता है तो संविधान के अनुसार राज्य को रायल्टी का अधिकार नहीं है।

इस विधेयक के अन्तर्गत पुरानी दरों पर किसी राज्य का विक्रय कर लगाने का अधिकार किसी वस्तु को आवश्यक वस्तु घोषित करने के बहाने पर छीन लिया जायेगा। अतः अन्तर्राज्यीय व्यापार के लिए अखिल भारतीय महत्व की वस्तुओं के मामले में सरकार को पूरी स्वतंत्रता लेने दी जाये। परन्तु कर की दर विक्रय कर अधिनियम में उल्लिखित 4 प्रतिशत के बजाय विभिन्न राज्यों की कर दर के अनुसार होनी चाहिए।

जैसा मंत्री जी ने स्वयं कहा है आसाम को 4 प्रतिशत विक्रय कर लगाने का अधिकार है लेकिन वहां केवल 2 प्रतिशत विक्रय कर लगाया जाता है क्योंकि इससे प्रधान मंत्री से कहा जा सकता है कि उसे 45 रु० प्रति टन की दर से रायल्टी दी जाये। इस विक्रय कर की दर को एक बार स्थायी रूप से नियत कर दिया जाये।

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : इस समय केवल 4 प्रतिशत की दर से विक्रय कर लगाये जाने की ही व्यवस्था है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है;

पृष्ठ 4, पंक्ति 25 और 26,—

"सितम्बर, 1976 के प्रथम दिवस से" [", with effect from the 1st day of September, 1976"] का लोप किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत आ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 7, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

खण्ड 7, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

***Clause** 7, as amended, was added to the Bill.*

खण्ड 8

(संशोधन किया गया):

Amendment.)

पृष्ठ 5, पंक्ति 30,—

"सितम्बर, 1976 के प्रथम दिवस से" [", with effect from the 1st day of September, 1976"] का लोप किया जाये।

(श्री प्रणब कुमार मुखर्जी)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 8, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 8, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 8, as amended, was added to the Bill.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 9 और 1, अधिनियमन सूत्र और विधयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 9 और 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clause 9 and 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री प्रणब कुमार मुखर्जी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पास किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पास किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

ुजरात के सम्बन्ध में उदघोषणा जारी रखने के बारे में सांविधिक संकल्प

STATUTORY RESOLUTION RE. CONTINUATION OF PROCLAMATION IN RELATION TO GUJARAT

गृह मंत्री (श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन गुजरात राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 12 मार्च, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा को 24 सितम्बर, 1976 से 6 मास की अवधि के लिए और लागू रखने का अनुमोदन करती है।"

सदस्यों को स्मरण होगा कि गुजरात के राज्यपाल की रिपोर्ट पर भली भांति विचार करने और अन्य जानकारी प्राप्त होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन गुजरात राज्य के सम्बन्ध में 12 मार्च, 1976 को उद्घोषणा जारी की गई थी। राज्य सभा ने 22 मार्च, 1976 को और लोक सभा ने 24 मार्च, 1976 को उसका अनुमोदन कर दिया था। यह उद्घोषणा 23 सितम्बर, 1976 को समाप्त हो जायेगी।

परन्तु गुजरात विधान सभा स्थगित कर दी गई थी। यह आशा थी कि राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान राजनीतिक स्थिति में स्थिरता आ जायेगी। लेकिन अभी तक वहां स्थिर मंत्रिमण्डल बनाने की स्थिति पैदा नहीं हुई है।

राष्ट्रपति शासन के दौरान प्रशासनिक तंत्र में सुधार के लिए गुजरात सरकार ने कई उपाय किये हैं। सरकारी सेवाओं से अकुशल एवं भ्रष्ट कर्मचारियों को निकालने का अभियान तेज कर दिया गया है। 238 सरकारी अधिकारियों को, जिनमें 16 प्रथम श्रेणी और 15 द्वितीय श्रेणी के अधिकारी भी हैं, सेवा निवृत्त कर दिया गया है।

20 सूत्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन को उच्चतम प्राथमिकता दी गई। इसलिए भी प्रशासनिक तंत्र में कायकुशलता लाने की बात अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गई है। कार्क्रम के विभिन्न सूत्रों को कार्यान्वित करने के लिए राज्यपाल की अध्यक्षता में उच्च शक्ति प्राप्त समिति बनाई गयी है। कई विभागीय तथा अन्तरविभागीय समितियां भी बनाई गई हैं। सभी स्तरों पर पंचायती राज संस्थानों को कार्यान्वयन कार्यक्रम में पूरी तरह शामिल किया गया है।

राज्य सरकारों द्वारा मूल्यों पर कड़ी दृष्टि रखी जा रही है। राष्ट्रपति शासन के दौयान 3,762 छापे मारे गये और 43 व्यापारियों को कदाचार, काला बाजार और मुनाफाखोरी के आरोप में आंसुका के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है। इससे अगस्त 1976 में कीमतों में कमी आ गई।

भूमि की अधिकतम सीमा अधिनियम को लागू करने सम्बन्धी सभी प्रशासनिक कदम उठाये गये हैं और सभी फालतू भूमि जून, 1977 तक सरकारी अधिकार में ले ली जायेगी। खाली पड़ी सरकारी नगरीय भूमि के विकास और निपटान के लिए एक कार्यकारी दल गठित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा इस बारे में व्यापक योजना तैयार की गई है। छोटे किसानों, ग्रामीण श्रमिकों और ग्रामीण कारीगरों को ऋणमुक्त करने और ऋण कम करने के लिए 15 अगस्त को एक राष्ट्रपतीय विधि लागू की गई है। राज्य में प्राथमिक सहकारी समितियों को सुदृढ बनाया जा रहा है।

राष्ट्रपति शासन के लागू होने के बाद से राज्य में शान्ति और व्यवस्था में बहुत प्रगति हुई है। मार्च, 1976 के बाद से अपराधों में कमी हुई है। आपत्तिजनक और देशहित के विरुद्ध प्रचार करने वाले समाचार पत्रों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है।

[श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी]

जून, 1976 में गुजरात में साइकलोन के साथ-साथ भारी वर्षा भी हुई। बाढ़ के प्रकोप को कम करने के लिए अच्छे बीज, उर्वरक और कीटनाशक दवाइयां किसानों को उपलब्ध कराई गई हैं। सरकार ने सभी सहकारी बैंकों को 60 लाख रुपये की कुल ब्लाक गारंटी दी है ताकि किसानों को ऋण दिया जा सके।

सरकार वहां आर्थिक कार्यक्रम में तेजी लाने के काम में जुटी हुई है और राज्य प्रशासन में कुशलता बढाने के लिए उपाय किये जा रहे हैं। यह उद्घोषणा 24 सितम्बर, 1976 से 6 मास के लिए लागू रहेंगी।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन गुजरात राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 12 मार्च, 1976 को जारी की गई उद्घोषणा को 24 सितम्बर, 1976 से 6 मास की अवधि के लिए और लागू रखने का अनुमोदन करती है।"

*श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर (औसग्राम) : मैं गृह मंत्री द्वारा पेश किये गये इस संकल्प का विरोध करता हूं क्योंकि सरकार की नीति विभिन्न राज्यों के लिये अलग-अलग है। केरल में संयुक्त सरकार की अवधि बार-बार बढ़ाई जा रही है और इसके विपरीत तमिलनाडु विधान सभा को चुनाव होने के दो महीने पहले भंग कर दिया गया क्योंकि कांग्रेस वहां दल-बदल करवाने में सफल नहीं हो सकी। गुजरात में कांग्रेस दल की बुरी तरह हार हुई क्योंकि विभिन्न विरोधी दलों ने एक साथ मिल कर सफलतापूर्वक चुनाव लड़ा और कांग्रेस अल्पमत में आई। परन्तु जब से गुजरात में विरोधी पक्ष की सरकार बनी तब से कांग्रेस विधायकों में दल-बदल करवाने का प्रयास चलता रहा। आयारामों और गयारामों को कांग्रेस का समर्थन करने के लिये कई प्रकार के प्रलोभन दिये गये। देश में लोकतंत्र का अर्थ बन गया है कांग्रेस या उसके प्रति वफादार दल का शासन। किसी भी राज्य में विरोधी पक्ष की सरकार को बर्दाशत नहीं किया जाता। एक ओर कांग्रेस सरकार कहती है कि कोई भी प्रतिपक्षी दल इतना समर्थ नहीं है कि अपनी सरकार बना सके और यदि किसी राज्य में प्रतिपक्षी दल की सरकार सत्ता में आ जाती है तो कांग्रेस उस सरकार को उखाड़ फैंकने के लिये सभी हथकंडे अपनाती है।

जब गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था तो यह कहा गया था कि केवल स्थिरता लाने की दृष्टि से ऐसा किया गया है और राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिक देर तक लागू नहीं रहेगा। राष्ट्रपति शासन लागू होने से दल-बदल करवाने और विधायकों को खरीदने आदि के लिये भरसक प्रयास किये जा रहे हैं। अगस्त 1976 के शुरू में हमें प्रेस में यह संकेत मिला कि गुजरात में चुनाव होने वाले हैं और वहां एक लोकतंत्री सरकार बनने वाली है। कांग्रेस का कहना है कि विधान सभा के 178 सदस्यों में से 104 सदस्य उनके साथ हैं, उनका समर्थन करते हैं। अतः मेरी समझ में नहीं आता कि फिर कांग्रेस सरकार बनाने में असमर्थ क्यों है। इसका एकमात्र कारण

*बंगला में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Bengali.

यह है कि गुजरात में जनता कांग्रेस के हक में नहीं है। अधिकांश सदस्य जो दल-बदल कर कांग्रेस में मिल गये हैं वे मंत्री बनना चाहते हैं। अतः उनके दल में दलगत लड़ाई चल रही है। प्रश्न यह पैदा हो गया है कि मुख्य मंत्री कौन बनेगा? गुजरात राज्य के लोगों को अनिश्चितता की स्थिति में क्यों रहने दिया जाये?

हम चाहते हैं कि गुजरात में राष्ट्रपति शासन को समाप्त किया जाये क्योंकि राष्ट्रपति शासन का अर्थ है नौकरशाहों का शासन। यदि निर्वाचित सरकार सत्ता में होती है तो लोग उनके पास आसानी से अपनी कठिनाइयों और शिकायतों के निपटारे के लिये जा सकते हैं लेकिन नौकरशाही शासन में यह सम्भव नहीं है।

राष्ट्रपति शासन को लागू करने के बाद भी आदिवासी खेतिहर श्रमिकों को न्यूनतम मजूरी नहीं दी जा रही है। जमींदारों द्वारा अब भी गरीब कर्मचारियों पर अत्याचार किये जा रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि गुजरात राज्य में आदिवासी क्षेत्र विकास योजना का क्रियान्वयन किस प्रकार किया जा रहा है।

अतः मैं गुजरात में राष्ट्रपति शासन की अवधि के बढ़ाये जाने के विरूद्ध हूं। राज्य में संवैधानिक रूप से निर्वाचित सरकार को काम करने दिया जाना चाहिए और केन्द्र को अनुचित हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं कि समूचे देश में राजनीतिक बदला लेने के लिये मीसा के अन्तर्गत लोगों को अन्धा धुंध गिरफ्तार किया जा रहा है। अतः मैं न केवल गुजरात में अपितु सारे देश में लोकतंत्र को पुनः स्थापित किये जाने की मांग करता हूं। मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं और मांग करता हूं कि सारे देश को यह पता चलने दिया जाये कि गुजरात राज्य में वास्तव में क्या हो रहा है।

श्री नटवरलाल पटेल (मेहसाना) : मैं गुजरात राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाये जाने सम्बन्धी पेश किये गये संकल्प का समर्थन करता हूं। गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू करने से पूर्व वहां पर क्या हुआ था इसका सभी सदस्यों को पता है। राष्ट्रपति शासन लागू होने से पूर्व राज्य में जनता मोर्चा की सरकार सत्तारूढ़ थी।

सभापति महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रखें।

तत्पश्चात् लोकसभा बुधवार, 1 सितम्बर, 1976/10 भाद्र, 1898 (शक) के 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Wednesday, September 1, 1976/Bhadra 10, 1898 (Saka)

GMGIPND—1757LS—16-10-76—200.